₹ 20

www.kewalsach.com

निर्भीकता हमारी पहचान

सितम्बर 2023

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

RNI NO.- BIHHIN/2006/18181, DAVP NO.-129888, POSTAL REG. NO. :- PT-35

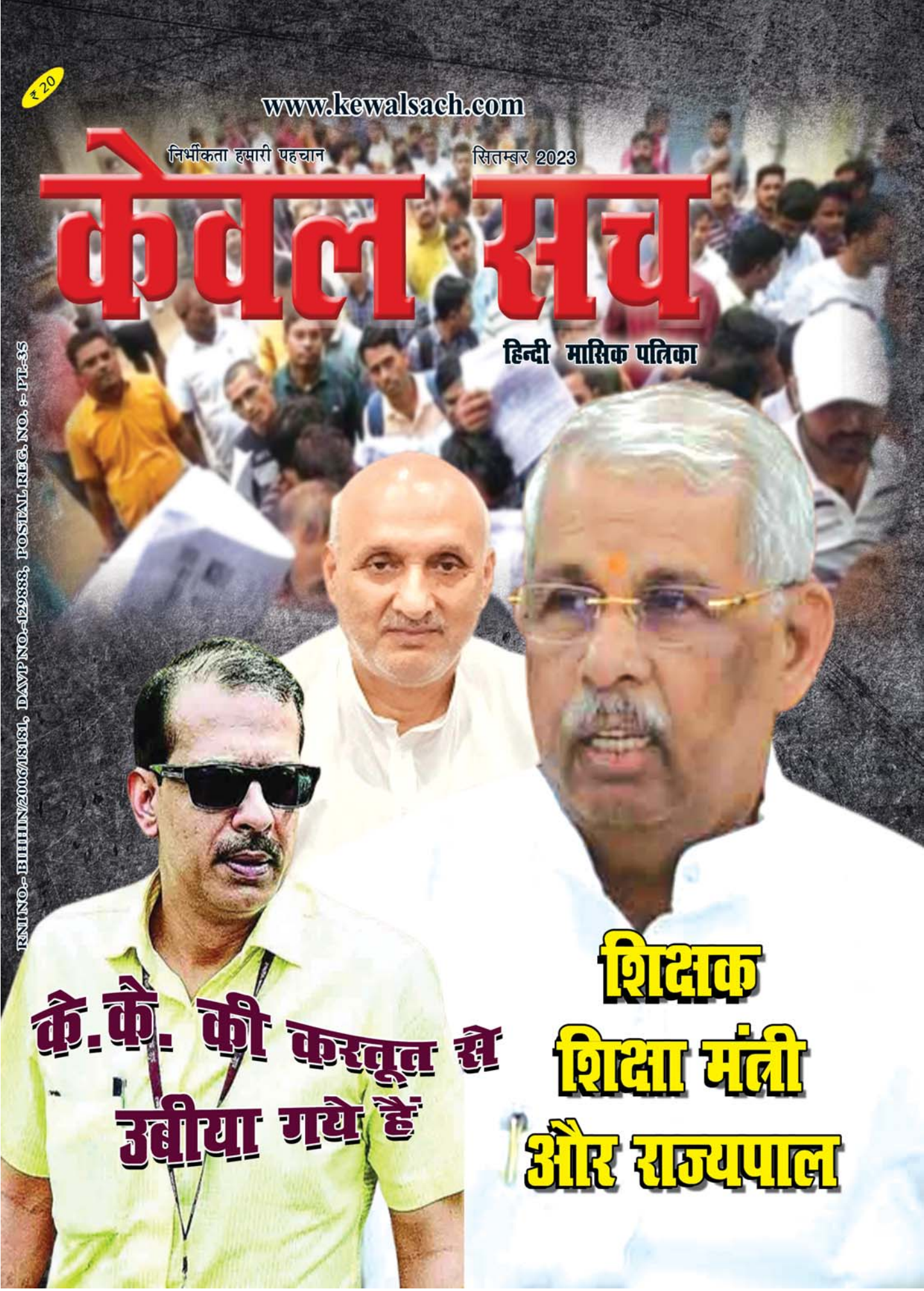

के.के. की करतूत से उबीया गये हैं

शिक्षक शिक्षा मंत्री और राज्यपाल

जन-जन की आवाज है केवल सच

आत्म-निर्भर बनने वाले युवाओं को सपोर्ट करें

आपका छोटा सहयोग, हमें मजबूती प्रदान करेगा

www.kewalsach.com

www.kewalsachlive.in

-: सम्पर्क करें :-

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या-28/14,

कंकड़बाग, पटना (बिहार)-800020, मो०:-9431073769, 9308815605

जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ

विवेक ओबेरॉय
03 सितम्बर 1976

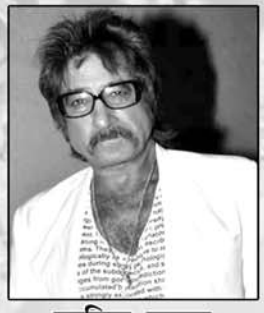

शक्ति कपूर
03 सितम्बर 1952

स्व०ऋषि कपूर
04 सितम्बर 1952

यशवंत सिन्हा
06 सितम्बर 1937

आशा भोसले
08 सितम्बर 1933

अक्षय कुमार
09 सितम्बर 1967

स्व०रामजेठ मलानी
10 सितम्बर 1923

महिमा चौधरी
13 सितम्बर 1973

सुब्रमण्यम स्वामी
15 सितम्बर 1939

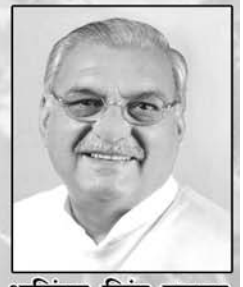

भूपिंदर सिंह हुड्डा
15 सितम्बर 1947

पी. चिदम्बरम
16 सितम्बर 1945

नरेन्द्र मोदी
17 सितम्बर 1950

महेश भट्ट
20 सितम्बर 1948

करीना कपूर
21 सितम्बर 1980

प्रेम चोपड़ा
23 सितम्बर 1935

कुमार सानू
23 सितम्बर 1957

मनमोहन सिंह
26 सितम्बर 1932

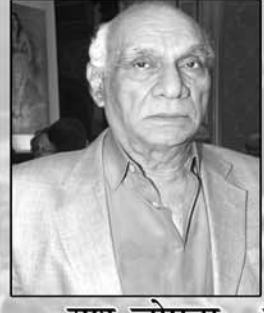

यश चोपड़ा
27 सितम्बर 1932

स्व० लता मंगेसकर
28 सितम्बर 1929

रणवीर कपूर
28 सितम्बर 1982

निर्भीकता हमारी पहचान

www.kewalsach.com

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

Regd. Office :-
East Ashok, Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar) Mob.-09431073769
E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-
Vaishnavi Enclave, Second Floor, Flat No. 2B, Near-firing range, Bariatu Road, Ranchi- 834001
E-mail :- editor.kstimes@rediffmail.com

Delhi Office :-
Sanjay Kumar Sinha, A-68, 1st Floor, Nageshwar Talla Shastri Nagar, New Delhi - 110052
Mob.- 09868700991, 09955077308
E-mail:- kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-
Ajeet Kumar Dube, 131 Chitranjan Avenue, Near- md. Ali Park, Kolkata- 700073 (West Bengal)
Mob.- 09433567880 09339740757

Advertisement Rates Per Issue

COLOUR

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE	Qr. PAGE
Cover Page	5,00,000/-	N/A	N/A
Back Page	1,60,000/-	N/A	N/A
Back Inside	1, 00000/-	60,000/-	35000
Back Inner	90,000/-	50,000/-	30000
Middle	1,50,000/-	N/A	N/A
Front Inside	1, 00000/-	60,000/-	40000
Front Inner	90,000/-	50,000/-	30000

B & W

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
Inner Page	60,000/-	35,000/-

1. एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेवसाइट **www.kewalsach.com** के फ्रंट पर भी विज्ञापन निःशुल्क तथा आपका वेवसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
2. एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
3. आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
4. पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
5. विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

कथावाचक एवं कवियों का बढ़ता व्यापार

अपनी प्रतिक्रिया हमारे ई-मेल पर दें:- editor.kstimes@rediffmail.com

'' होइहें वहीं जो राम रचि राखा '' भारत देश में आज भी धर्म - अध्यात्म और संस्कार और सभ्यता का वर्चस्व कायम है तथा राष्ट्र की बात आने पर हर समुदाय के लोग तिरंगे के स्वाभिमान के लिए सीना तानकर खड़े हो जाते हैं। पजा - पाठ, भक्ति - भाव, ज्ञान की बातों सहित साहित्य को गंभीरता से हर भारतीय लेता है चाहे वह किसी भी धर्म या समुदाय का हो। इस भाव को देखते हुए देश के भीतर एवं बाहर विभिन्न प्रकार के कथाओं एवं वर्त्तमान समय की राजनीति एवं राष्ट्रभक्ति को लेकर कवि सम्मेलनों का बड़ा बाजार बनता जा रहा है जो पूर्णतः व्यापार का रूप ले रहा है। इस बढ़ते बाजार एवं व्यापार को करने के लिए तथा इसको बढ़ावा देने के लिए कथावाचक एवं कवियों के साथ आयोजक मंडल देश की जनता की भावना का भरपूर ख्याल रखते हुए अपनी झोली भी भरने में कामयाब है और सबसे अधिक कमाई का क्षेत्र होने के बाद भी सरकार के खाते में कुछ खास नहीं जाता और जनता भी इनसे हिसाब मांगने में डरती है। हिन्दू कथावाचक और मुस्लिम मौलाना अपने - अपने धर्म की कहानी को अपने लोगों के बीच अपनी बात को इस लहजे में रख रहे हैं जिससे आपसी भाईचारा भी खंडित हो रहा है और उससे भी बड़ी समस्या तो यह है की दोनों धर्म के जानकार एक ही कहानी को तोड़ - मड़ोड कर बता रहे हैं वैसे में अपना पैसा लगाकर सही जानकारी पाने से भी वंचित हो जाये तो फिर क्या होगा। सनातन का देश में अपने ही धर्म के साथ खिलवाड़ के कारण युवा पीढ़ी दिग्भ्रमित होती है।

कथा सुनने एवं सुनाने का भारत में अवलौकिक इतिहास है और यह सिलसिला कथावाचकों ने नहीं प्रारंभ किया बल्कि सृष्टि की रचना करने वाले भगवान ने इस प्रथा को शुरू किया तथा इसके कई प्रकार के वेद एवं ग्रंथ को लिखा। 02 महीने सावन का महीना चला और भगवान रूद्ध (शिव) की कहानी को सबने सोसल मीडिया पर, समाचार पत्र-पत्रिका में पढ़ा तथा टेलीविजन पर भी देखा और शिव-पार्वती की कहानी को समझा। आज भारत देश में सनातन संस्कृति के वाहक आदि शंकराचार्य के वाणी से अधिक उन कथावाचकों के कथा-कहानी पर भरोसा अधिक होने लगा है जो आज के आधुनिक साज-बाज के साथ संगीत के धुन पर कथा सुनाने का करोड़ों रूपये लेते हैं। शंकराचार्य निच्छलानंद सरस्वती जी के पास नासा और आईआई एम के वरीष्ठ लोग उनके पास आकर गुत्थी सुलझाते हैं लेकिन कथावाचक की कहानी से देश कई बार शर्मसार भी हुआ क्योंकि कथा के आड़ में कई बाबा बलात्कार एवं अत्याचार के कृत्य में जेल की सलाखों में अपनी कहानी लिख रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि भारत की पौराणिक संस्कृति को सहेजने वाले कथावाचक नहीं है बल्कि दर्जनों ऐसे कथावाचक भारत देश की एकता - अखंडता एवं राष्ट्रीय भावना के साथ सनातन की सच्चाई को देश-दुनिया के बीच प्रमाणिक तथ्यों के साथ रख रहे हैं। हजारों वर्ष की गुलामी की जंजीर में बंधा भारत की गौरव-गाथा को राजनीतिक लाभ लेने के लिए आजादी के बाद और आजादी के पूर्व अपना साम्राज्य कायम रखने के लिए दोगली कहानी को आवाम के बीच रखा जाता रहा है लेकिन वर्त्तमान समय में कथावाचक एवं कवियों ने अपनी जीविका के लिए इसको व्यापार के रूप में जहां खड़ा किया वहीं भूत - वर्त्तमान की सच्चाई को जनता के बीच तथ्यों के साथ ला रहे हैं और इस प्रयास को सफल बनाने के लिए कथा एवं कवि सम्मेलन से बड़ा व्यापार का रूप आयोजक मंडल देने में कामयाब है। आज इस देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक सहित देश के सर्वोच्च परीक्षा पास कर पदाधिकारी बने अधिकारियों से अधिक पारिश्रमिक कथावाचकों एवं कवियों का है। एक तरफ धर्म का प्रचार -प्रसार की बात होती है तथा राष्ट्रीय भावना को जागृत किया जाता है लेकिन इस कार्य के लिए आयोजक (मुख्य यजमान) को उनको मोटी रकम चुकानी पड़ती है। साफतौर पर यह कहा जा सकता है कि कथावाचक एवं कवि भी धर्म एवं साहित्य का व्यापार कर रहे हैं और जब व्यापार होगा तो इनको भी सरकारी खाता में टैक्स देना चाहिए लेकिन 18 प्रतिशत जीएसटी बचाने के लिए लोग खाता में पैसा कम और नगद ज्यादा लेते हैं की सैकड़ों कहानी सामने आ चुकी है जब कथावाचक एवं कवियों का पैसा आयोजकों ने नहीं दिया। आज के भौतिकवादी युग में पैसा के चकाचौंध में लोग जहां परेशान है और पाप से मुक्ति चाहते है तो दूसरी तरफ तनाव (स्ट्रेस) को कम करने के लिए धर्म एवं भगवान के शरण में जाकर बचना चाहते हैं और महत्वपूर्ण कारण है आज भारत देश के अलावा विदेशों में कथावाचकों एवं कवियों का बुकिंग जोरो पर है तो कई इवेंट वाले भी इस क्षेत्र को सर्वाधिक लाभ वाला व्यापार मानते हैं अगर कथावाचक एवं कवि काफी लोकप्रिय हों। कथावाचक के साथ-साथ इन दिनों मौलाना भी अपने कुरान को अपने समुदाय के बीच उसके अच्छे एवं बुरे दोनों पक्षों को रखते हैं और तो और कई मौलाना सनातन संस्कृति को स्वीकार भी करते हैं। भारत पूरे विश्व में धर्म सर्वोच्च है को मानता है और यही कारण है कि भारत देश में ही कई धर्म एवं पथ बड़ी तेजी से पनप रहे हैं और अपने सुविधानुसार आवाम के भावना का कारोबार कर रहे है। जिस प्रकार देश के भीतर धर्म का प्रचार का बाजार हो रहा है उससे भारत के भीतर कई प्रकार का माहौल बन रहा है क्योंकि अपनी दुकान को सबसे बड़ा दुकान बनाने के चक्कर में एक ही कथा को कई प्रकार से कहकर लोगों को भ्रमित भी किया जा रहा है। फिल्मी कलाकार जिस प्रकार अपना कलाकारी का किमत जनता से वसूल रहे हैं कुछ वैसा ही खेल धर्म के ठेकेदार भी खेल रहे हैं। फिल्मी कलाकार हो या कथावाचक एवं कवि जो अपना कला का कारोबार कर रहा हो उसको भारत रत्न या कोई भी राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपनी किमत पहले ही वसूल ली है। जो राष्ट्रहित में, समाजहित में और मानव कल्याण के लिए धर्म का प्रचार कर रहे हैं उनको तमाम सम्मान एवं सुविधाए मिलनी चाहिए न कि राजनीति के क्षणिक लाभ के लिए उनको भगवान का दर्जा दे देना चाहिए। कांग्रेस हो या भाजपा जेल में बंद कई कथावाचको को पैर छूकर प्रणाम करते थे जिन्होंने धर्म एवं आस्था के साथ खिलवाड़ किया और बड़ा कारोबार किया। कई कथावाचक एवं कवि है जिनके पास अकूत संपत्ति है क्योंकि प्रतिदिन की कमाई देश के बड़ी-बड़ी कंपनियों से कम नहीं है। बहुत तेजी से कथावाचकों एवं कवियों का व्यापार बढ़ता जा रहा है। व्यापार इस तीव्र गति से बढ़ता रहा था इनका भी शेयर, शेयर बाजार में आ जायेगा। हो सकता है कि इनका व्यापार किसी बड़ी-बड़ी कंपनी के साथ हो जिसका उद्बोधन भविष्य में हो। वहीं जनता धर्म के भ्रम में मशगूल है।

अगस्त 2023

आपको केवल सच पत्रिका कैसी लगी तथा इसमें कौन-कौन सी खामियाँ हैं, अपने सुझाव के साथ हमारा मार्गदर्शन करें। आपका पत्र ही हमारा बल है। हम आपके सलाह को संजीवनी बूटी समझेंगे।

केवल सच

हमारा पता है :-

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका
द्वारा:- ब्रजेश मिश्र
पूर्वी अशोक नगर, रोड़ नं.- 14, मकान संख्या- 14/28
कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)
फोन:- 9431073769/ 8340360961/ 9955077308

हमारा ई-मेल
kewalsach@gmail.com, editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

सम्मान समारोह

संपादक जी,

मैं केवल सच, पत्रिका का नियमित पाठक हूं और इसके सभी अंकों को अवश्य पढ़ता हूं। अगस्त अंक में अमित कुमार एवं पूनम जयसवाल की खबर को पढ़ा जिसमें केवल सच, पत्रिका के 18वां स्थापना वर्ष सम्मान समारोह पर आधारित था। पत्रिका नियमित प्रकाशित होते हुए समाज में बेहतरीन कार्य करने वालों को सम्मानित करके सकरात्मक ऊर्जा का संचार कर रही है। राज्य के कई समाजहित में कार्य करने वाले सम्मानित हुए और कई अतिथियों ने ज्ञानवर्द्धक बातों को पाठकों के बीच रखा है। बहुत बढ़िया प्रयास है।

✦ **संजय पाठक, लेखा नगर, सगुना, पटना**

महोत्सव

ब्रजेश जी,

अगस्त 2023 अंक के संपादकीय ''राजनीति एवं आजादी का महोत्सव'' में आपने वर्त्तमान समय के यर्थाथ को पाठकों के बीच रखा है कि किस प्रकार आजादी के नाम पर बयानबाजी हो रही है तथा बयानों पर राजनीति हो रही है। आजादी का मतलब ही बदलता दिख रहा है तथा संविधान में बोलने की आजादी का भी मजाक धड़ल्ले से उड़ाया जा रहा है। सरकार बनाने के पहले घोषणा पत्र में कुछ और बाते होती हैं और बाद में बदल जाती है। आजादी का मजाक उड़या जा रहा है, जो अनुचित है। सटक खबर।

✦ **कैलाश साव, सेक्टर-2, द्वारका, नई दिल्ली**

जीविका

मिश्रा जी,

करोड़ों-करोड़ रूपये की वित्तिय अनियमितता पर बहुत ही धारदार खबर ''जीविका के अधिकारी हुए बागी'' में सरकार की योजना एवं उसमें हुए बंदरबांट की खबर को बिना डरे सागर कुमार एवं के के सिंह ने लिखा है जो काबिले तारिफ है। जीविका में महिलाओं का भला हो या नहीं लेकिन पदाधिकारियों एवं विभागीय मंत्री का बल्ले-बल्ले है अन्यथा जिस प्रकार प्रमाण के साथ खबर लिखा जा रहा है विभाग एवं सरकार को संज्ञान लेकर भ्रष्टों को बेदखल कर देना चाहिए था। सागर कुमार एवं के के सिंह बधाई के पात्र हैं।

✦ **प्रवीण यादव, अड़गोड़ा चौक, राँची, झा०**

खाता न बही

मिश्रा जी,

''खाता न बही, जो रेणु कहें, वही सही'' अगस्त अंक के शशि रंजन सिंह एवं राजीव शुक्ला की खबर ने वास्तव में सरकार की नीद उडा दी है की एक विशेष कार्य पदाधिकारी रेणु कुमारी के क्रिया-कलाप की जांच करने वाला कोई नही है जिसकी वजह से बिप्रसे की अधिकारी रेणु का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। दोनों पत्रकारों की खबरे भ्रष्टाचार को उजागर करती है। दूसरी खबर ''माफियाओं से संबंध'' तथा तीसरी खबर ''राजनीतिक पहुंच दिखाकर मनमानी उगाही'' में भी भ्रष्टाचार की बातों को गंभीरतापूर्वक उठाया है। ऐसे ही खबरें अन्य विभागों का भी दें।

✦ **रौशन प्रसाद, पाया नं-60, राजाबाजार, पटना**

के. के. पाठक

संपादक जी,

अमित कुमार ने अपनी खबर ''बिगड़ी शिक्षा व्यवस्था को दुरूस्त करने में जुटे अपर मुख्य सचिव के के पाठक'' में बहुत ही सटीक समीक्षात्मक बातों को गंभीरता पूर्वक उठाया है तथा शिक्षा की बद्दत्तर हालत को कैसे उपयोगी बनाया जाये की बात को भी प्रमुखता से लिखा है। बहाली की बात हो या विद्यालयों में नियमित उपस्थिति की के.के. पाठक कहर बनकर कार्य कर रहे हैं। आधुनिक संसाधनों से लैश शिक्षा प्रणाली होने से शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा तथा नियमित उपस्थिति भी दर्ज होगी तथा फर्जी शिक्षकों का भी भंड़ाफोड़ होगा। उपयोगी खबर है।

✦ **दयाल सिंह, रजौली बाजार,**

लूट की छूट

संपादक जी,

स्वास्थ्य विभाग पर पिछले एक वर्ष से लगातार खबर प्रकाशित किया जा रहा है लेकिन सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। अगस्त 2023 में भी त्रिलोकी नाथ प्रसाद की खबर ''राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार का मतलब ही बन गया है लूट की छूट'' में कार्यपालक निदेशक संजय सिंह और एसपीएम अविनाश के झांसे में आकर वरीय पदाधिकारियों का भी आदेश की अवहेलना करते हैं। नीतीश कुमार की सरकार का स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर जिस दिन अंकुश लगेगा उसी दिन शराबबंदी में हुए नुकसान की भारपाई हो जोयगी। दमदार खबर।

✦ **गणेश कुलकर्णी, श्याम बाजार, कोलकाता**

अन्दर के पन्नों में

सलमान की मौत 72

RNI No.- BIHHIN/2006/18181, DAVP No.- 129888

समृद्ध भारत खुशहाल भारत

निर्भीकता हमारी पहचान

केवल सच

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

वर्ष:- 18,	अंक:- 208,	माह:- सितम्बर 2023,	मूल्य:- 20/- रू०

फाउंडर

स्व० गोपाल मिश्र

संपादक

ब्रजेश मिश्र

9431073769 8340360961

editor.kstimes@rediffmail.com

kewalsach@gmail.com

प्रधान संपादक

अरूण कुमार बंका 7782053204

सुरजीत तिवारी 9431222619

निलेन्दु कुमार झा 9431810505, 8210878854

सच्चिदानन्द मिश्र 9934899917

रामानन्द राय 9905250798

संपादकीय सलाहकार

अमिताभ रंजन मिश्र 9430888060, 8873004350

अमोद कुमार 9431075402

महाप्रबंधक

त्रिलोकी नाथ प्रसाद 9308815605, 9122003000

triloki.kewalsach@gmail.com

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

पूनम जयसवाल 9430000482, 9798874154

मनीष कुमार कमलिया 9934964551, 8809888819

उप-संपादक

अरबिन्द मिश्रा 9934227532, 8603069137

प्रसुन्न पुष्कर 9430826922, 7004808186

ब्रजेश सहाय 7488696914

ललन कुमार 7979909054, 9334813587

आलोक कुमार सिंह 8409746883

संयुक्त संपादक

अमित कुमार 'गुड्डू' 9905244479, 7979075212

राजीव कुमार शुक्ला 9430049782, 7488290565

कृष्ण कुमार सिंह 6209194719, 7909077239

काशीनाथ गिरी 9905048751, 9431644829

सहायक संपादक

शशि रंजन सिंह 8210772610, 9431253179

मिथिलेश कुमार 9934021022, 9431410833

नवेन्दु कुमार मिश्र 9570029800, 9199732994

समाचार प्रबंधक

सुधीर कुमार मिश्र 9608010907

ब्यूरो-इन-चीफ

संकेत कुमार झा 9386901616, 7762089203

बिनय भूषण झा 9473035808, 8229070426.

.

विधि सलाहकार

शिवानन्द गिरि 9308454485

रवि कुमार पाण्डेय 9507712014

चीफ क्राइम ब्यूरो

आनन्द प्रकाश 9508451204, 8409462970

साज-सज्जा प्रबंधक

अमित कुमार 9905244479

amit.kewalsach@gmail.com

कार्यालय संवाददाता

सोनू यादव 8002647553, 9060359115

प्रसार प्रतिनिधि

कुणाल कुमार 9905203164

बिहार प्रदेश जिला ब्यूरो

पटना (श०)	:-	श्रीधर पाण्डेय	9470709185
(म०)	:-	गौरव कुमार	9472400626
(ग्रा०)	:-		
बाढ़	:-		
भोजपुर	:-	गुड्डू कुमार सिंह	8789291547
बक्सर	:-	बिन्ध्याचल सिंह	8935909034
कैमूर	:-		
रोहतास	:-	अशोक कुमार सिंह	7739706506
	:-		
गया (श०)	:-	सुमित कुमार मिश्र	7667482916
(ग्रा०)	:-		
औरंगाबाद	:-		
जहानाबाद	:-	नवीन कुमार रौशन	9934039939
अरवल	:-	संतोष कुमार मिश्रा	9934248543
नालन्दा	:-		
	:-		
नवादा	:-	अमित कुमार	9934706928
	:-		
मुंगेर	:-		
लखीसराय	:-		
शेखपुरा	:-		
बेगूसराय	:-	निलेश कुमार	9113384406
	:-		
खगड़िया	:-		
समस्तीपुर	:-		
जमुई	:-	अजय कुमार	09430030594
वैशाली	:-		
	:-		
छपरा	:-		
सिवान	:-		
	:-		
गोपालगंज	:-		
	:-		
मुजफ्फरपुर	:-	.	
	:-		
सीतामढ़ी	:-		
शिवहर	:-		
बेतिया	:-	रवि रंजन मिश्रा	9801447649
बगहा	:-		
मोतिहारी	:-	संजीव रंजन तिवारी	9430915909
दरभंगा	:-		
	:-		
मधुबनी	:-	सुरेश प्रसाद गुप्ता	9939817141
	:-	प्रशांत कुमार गुप्ता	6299028442
सहरसा	:-		
मधेपुरा	:-		
सुपौल	:-		
किशनगंज	:-		
	:-		
अररिया	:-	अब्दुल कय्यूम	9934276870
पूर्णिया	:-		
कटिहार	:-		
भागलपुर,	:-		
(ग्रा०)	:-	रवि पाण्डेय	7033040570
नवगछिया	:-		

दिल्ली कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
A-68, 1st Floor,
नागेश्वर तल्ला, शास्त्रीनगर, न्यू
दिल्ली-110052
संजय कुमार सिन्हा, स्टेट हेड
मो०- 9868700991, 9431073769

उत्तरप्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
....., स्टेट हेड

सम्पर्क करें
9308815605

पश्चिम बंगाल कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकात्ता, पश्चिम बंगाल- 700073
अजीत कुमार दुबे, स्टेट हेड
मो०- 9433567880, 9308815605

मध्य प्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
हाउस नं.-28, हरसिद्धि कैम्पस
खुशीपुर, चांबड़
भोपाल, मध्य प्रदेश- 462010
अभिषेक कुमार पाठक, स्टेट हेड
मो०- 8109932505,

झारखंड कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
वैष्णवी इंक्लेव,
द्वितीय तल, फ्लैट नं- 2बी
नियर- फायरिंग रेंज
बरियातु रोड, राँची- 834001

छत्तीसगढ़ कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,

....., स्टेट हेड

सम्पर्क करें
8340360961

संपादकीय व प्रधान कार्यालय:-

☞ पूर्वी अशोक नगर, रोड नं:-14, मकान संख्या:- 14/28, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार) मो०- 9431073769, 9955077308

☞ e-mail:- kewalsach@gmail.com, e ditor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

☞ स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा सांध्य प्रवक्ता खबर वर्क्स, ए- 17, वाटिका विहार (आनन्द विहार), अम्बेडकर पथ, पटना 8000 14(बिहार) एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्र। RNI NO.-BIHHIN/2006/18181

☞ पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।

☞ सभी प्रकार के वाद-विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।

☞ आलेख पर कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।

☞ किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

☞ सभी पद अवैतनिक हैं।

☞ फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्त्रोत)

☞ कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।

☞ **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**

☞ भुगतान Kewal Sach को ही करें। प्रतिनिधियों को नगद न दें।

☞ A/C No. :- 0600050004768
BANK :- Punjab National Bank
IFSC Code :- PUNB0060020
PAN No. :- AAJFK0065A

प्रधान संपादक
राजीव कुमार 9431369995, 7280999339

झारखण्ड स्टेट ब्यूरो

झारखण्ड सहायक संपादक
ब्रजेश कुमार मिश्र 9431950636, 9631490205
ब्रजेश मिश्र 7654122344-7979769647
अभिजीत दीप 7004274675-9430192929

उप संपादक
अजय कुमार 8409103023, 6203723995

संयुक्त संपादक
शशि भूषण 7061052578, 9905643374

विशेष प्रतिनिधि
भारती मिश्रा 8210023343-8863893672

झारखण्ड प्रदेश जिला ब्यूरो

राँची	:- अभिषेक मिश्र	7903856569
	:- ओम प्रकाश	9708005900
साहेबगंज	:- अनंत मोहन यादव	9546624444
खूँटी	:-	
जमशेदपुर	:- तारकेश्वर प्रसाद गुप्ता	9304824724
हजारीबाग	:-	
जामताड़ा	:-	
दुमका	:-	
देवघर	:-	
धनबाद	:-	
बोकारो	:-	
रामगढ़	:-	
चाईबासा	:-	
कोडरमा	:-	
गिरीडीह	:-	
चतरा	:- धीरज कुमार	9939149331
लातेहार	:-	
गोड्डा	:-	
गुमला	:-	
पलामू	:-	
गढ़वा	:-	
पाकुड़	:-	
सरायकेला	:-	
सिमडेगा	:-	
लोहरदगा	:-	

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)

पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स

09431016951, 09334110654

डॉ. सुनील कुमार

शिशु रोग विशेषज्ञ सह मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका

एवं 'केवल सच टाइम्स'

एन.सी.- 115, एसबीआई ऑफिसर्स कॉलोनी,

लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना- 800020

फोन- 0612/3504251

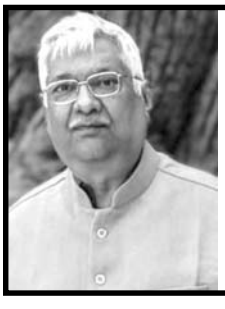

श्री सज्जन कुमार सुरेका

मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

डी- 402 राजेन्द्र विहार, फॉरेस्ट पार्क

भुवनेश्वर- 751009 मो-09437029875

सुधीर कुमार

मुख्य संरक्षक सह निदेशक ''**मगध इंटरनेशनल स्कूल**'' टेकारी

'' **केवल सच** '' पत्रिका **एवं** '' **केवल सच टाइम्स** ''

9060148110

sudhir4s14@gmail.com

श्री आर के झा

मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

EX. CGM, (Engg.) N.B.C.C

08877663300

बिहार राज्य प्रमंडल ब्यूरो

पटना		
मगध		
सारण		
तिरहुत		
पूर्णिया	**धर्मेन्द्र सिंह**	9430230000 7004119966
भागलपुर		
मुंगेर		
दरभंगा		
कोशी		

विशेष प्रतिनिधि

आशुतोष कुमार	9430202335, 9304441800
सागर कुमार	9155378519, 8863014673
सुमित राज यादव	9472110940, 8987123161
बेंकटेश कुमार	8521308428, 9572796847
राजीव नयन	9973120511, 9430255401
मणिभूषण तिवारी	9693498852
दीपनारायण सिंह	9934292882
आनन्द प्रकाश पाण्डेय	9931202352, 7808496247
विनित कुमार	8210591866, 8969722700
रामजीवन साहू	9430279411, 7250065417

छायाकार

त्रिलोकी नाथ प्रसाद	9122003000, 9431096964
मुकेश कुमार	9835054762, 9304377779
जय प्रसाद	9386899670,
कृष्णा प्रसाद	9608084774, 9835829947

"इंडिया बनेगा भारत" अफवाह या हकीकत !

● **अमित कुमार**

पूरा देश इसी चर्चा में व्यस्त है कि क्या भारत के संविधान में बदलाव कर इसे सिर्फ भारत का संविधान बनाने जा रही है? मोदी सरकार इंडिया नाम खत्म कर देगी, ये बात राष्ट्रपति भवन के एक डिनर लेटर के सामने आने के बाद कही जाने लगी थी, लेकिन अब कुछ और भी दस्तावेज सामने आए हैं। जी-20 डिनर के लिए 5 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से जारी हुए निमंत्रण पत्र पर 'भारत के राष्ट्रपति' (President of Bharat) लिखा गया। इसके बाद से ही इस मुद्दे पर बहस गर्मा गई। कहा जा रहा है कि संसद के विशेष सत्र में इंडिया का नाम बदल कर भारत कर दिया जाएगा। विपक्षी पार्टियों के कई नेताओं ने इसे लेकर नाराजगी जताई है और अब इंडिया और भारत की बहस बढ़ती ही जा रही है। हालांकि, ये पहली बार नहीं है जब किसी आधिकारिक दस्तावेज पर भारत लिखा गया हो। इससे पहले अगस्त के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वीं ब्रिक्स समिट में शामिल होने दक्षिण अफ्रीका गए थे। इसके बाद उन्होंने ग्रीस का दौरा भी किया था। इन दोनों देशों की यात्रा के लिए जारी हुई सरकारी अधिसूचना में भी उन्हें 'भारत के प्रधानमंत्री' (Prime Minister of Bharat) कहा गया था। इसके अलावा अब जी-20 में भी भारतीय अधिकारियों

के पहचान पत्रों पर 'भारतीय अधिकारी' (Bharat Official) लिखा होगा। इससे पहले इन पर 'इंडियन अधिकारी' (Indian Official) लिखा जाता रहा है। भारतीय संविधान में फिलहाल देश को 'इंडिया यानी भारत' कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है कि 'इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा'। संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से शुरू होगा। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि देश का नाम बदलने के लिए संविधान में संशोधन पेश किया जा सकता है।

गौरतलब हो कि अगर संविधान में संशोधन कर 'इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स' को बदल कर सिर्फ भारत करना चाहती है तो संविधान के अनुच्छेद एक और 52 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जैसे पदनाम उनके ऑफिस को इंगित करते हैं। हालांकि संविधान के आधिकारिक हिंदी अनुवाद में इन पदनाम का जिक्र भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के तौर पर किया गया है। हिंदी अनुवाद में इंडिया नहीं सिर्फ भारत है। अगर सरकार इसमें सिर्फ भारत को ही मान्यता देना चाहती है तो तय प्रक्रिया के मुताबिक

संविधान में बदलाव कर घोषणा करनी होगी-The India shall hear after this Bharat only or republic known as Bharat only. अनुच्छेद तीन और 239 जैसे कई अनुच्छेद हैं जिनमें बदलाव के लिए राज्यों की सम्मति आवश्यक नहीं है, लेकिन संविधान में उन अनुच्छेदों का स्पष्ट जिक्र है जिनमें संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों से अलग-अलग दो तिहाई बहुमत से पारित होना आवश्यक है। बहुमत के लिए सदन की कुल संख्या का स्पष्ट बहुमत यानी आधे से ज्यादा और उपस्थित सदस्यों का दो तिहाई बहुमत से पारित होना आवश्यक है। इसके बाद आधे से ज्यादा यानी कुल राज्यों में से पचास फीसद से एक ज्यादा राज्यों की सम्मति आवश्यक होती है।

बहरहाल, कुछ लोग नाम के इतिहास को खोजने में लगे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव भी याद आ गए। दरअसल, मुख्यमंत्री के रूप में अपने आखिरी कार्यकाल में मुलायम सिंह यादव विधानसभा में एक प्रस्ताव लेकर आए थे। ये प्रस्ताव संविधान में 'इंडिया' से पहले 'भारत' लाने का था। विधानसभा में ये प्रस्ताव पारित भी हो गया था। साल 2004 की बात है। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने मैनिफेस्टो में भी इसकी चर्चा की थी। वादा किया था कि अगर वो सत्ता में आती है तो देश का नाम 'भारत' करेगी। पार्टी का कहना था कि देश की गरिमा और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, देश का नाम इंडिया से भारत होना चाहिए। अंग्रेजी अखबार टेलीग्राफ में छपी खबर के मुताबिक, सपा ने मैनेफेस्टो (2004) में कहा था, '200 सालों के ब्रिटिश राज में देश के नाम को तोड़-मरोड़कर इंडिया कर दिया गया। भगवान जाने संविधान निर्माताओं ने भारत से पहले इंडिया का जिक्र क्यों किया और लगातार करते रहे'। इसके बाद 3 अगस्त, 2004 को मुलायम सिंह यादव विधानसभा में एक प्रस्ताव लेकर आए। इसमें कहा गया कि संविधान में संशोधन कर 'इंडिया, दैट इज भारत' के बदले 'भारत, दैट इज इंडिया' किया जाना चाहिए। सदन में ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया। हालांकि ध्यान देने वाली बात यहां ये है कि इससे पहले बीजेपी के विधायक सदन से वॉक आउट कर चुके थे। कुछ जगहों पर ये खबर लिखी है कि बीजेपी ने इसी 'भारत' वाले प्रस्ताव पर वॉक आउट कर दिया था। संविधान का अनुच्छेद-1 कहता है, 'इंडिया, दैट इज भारत, जो राज्यों का संघ होगा'। इसका मतलब है कि अनुच्छेद-1 'इंडिया' और 'भारत', दोनों को मान्यता देता है। इस मसले पर मुलायम सिंह यादव का स्टैंड समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रेरित था। लोहिया देश में अंग्रेजी थोपे जाने का विरोध किया करते थे। हालांकि उन्होंने इसके बदले हिंदी लाने की बात नहीं की थी बल्कि लोहिया ने अंग्रेजी के बदले हिंदुस्तानी जबानों की वकालत की थी। उनका मानना था कि आबादी का एक छोटा हिस्सा जिसे अंग्रेजी में महारत हासिल है, वो उसे सत्ता या स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता है। लोहिया के मुताबिक, दुनिया के हर देश में सभी सरकारी या सार्वजनिक काम उसी भाषा में होते हैं, जिसे बहुसंख्यक लोग समझते और जानते हैं, लेकिन हमारे देश में ठीक इसका उल्टा है। समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह यादव ने भी 2004 के इस प्रस्ताव का जिक्र किया। सुनील सिंह ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए बताया था कि नेताजी (मुलायम सिंह यादव) ने 2004 में ये बात कही थी कि अगर हम कभी सत्ता में आए तो इंडिया का नाम बदलकर भारत कर देंगे। लेकिन नेताजी का भाव क्या था? भारत का मतलब क्या है, भारत का मतलब गांवों में रहने वाला आदमी, किसान, गरीब। हम बचपन से भारत माता की जय बोलकर ही देश को प्रणाम करते हैं। लेकिन नेताजी की भारत को लेकर मंशा ये थी कि किसान और गरीब की मदद हो। लेकिन बीजेपी नाम तो रख रही है लेकिन 9 साल में भारत के लिए क्या किया, किसान और गरीब के लिए क्या किया? बीजेपी

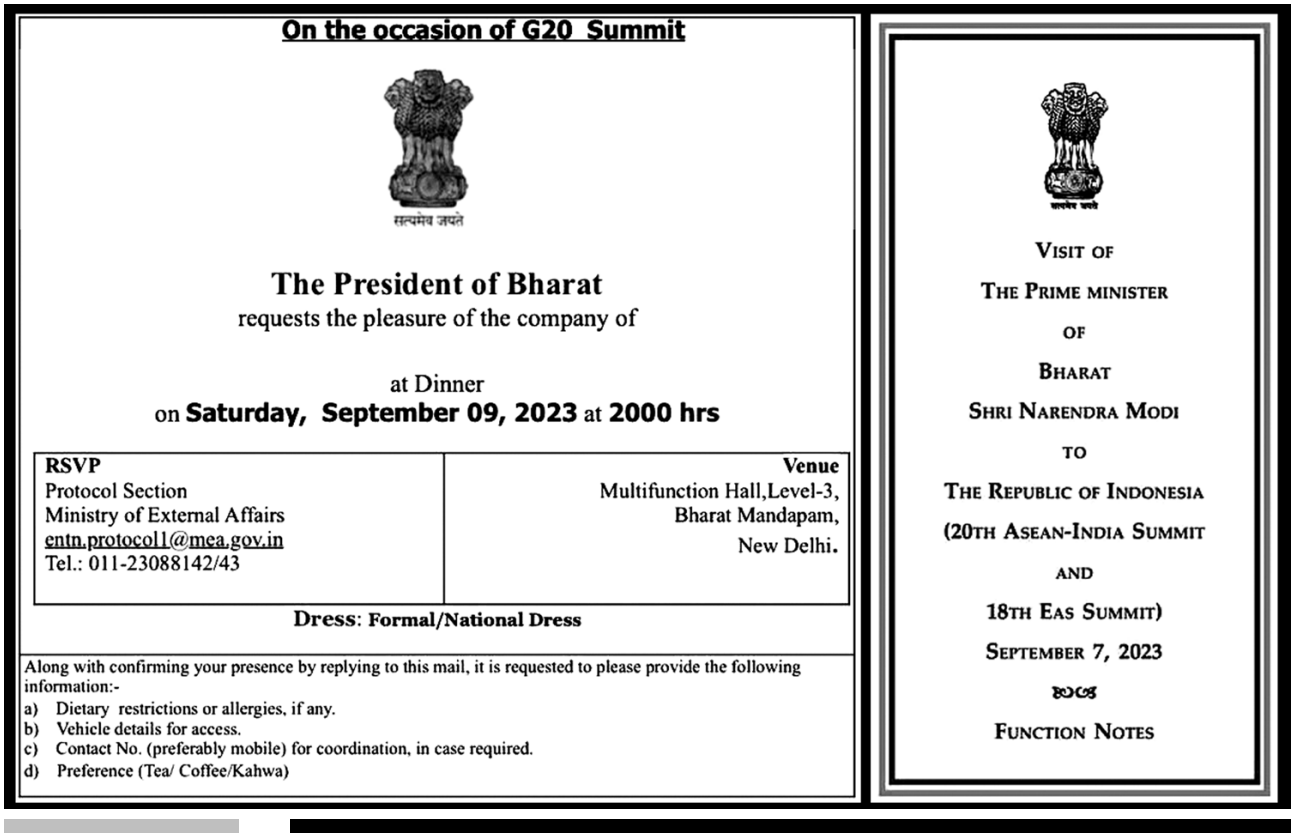
On the occasion of G20 Summit

सत्यमेव जयते

The President of Bharat
requests the pleasure of the company of

at Dinner
on Saturday, September 09, 2023 at 2000 hrs

RSVP
Protocol Section
Ministry of External Affairs
entn.protocol1@mea.gov.in
Tel.: 011-23088142/43

Venue
Multifunction Hall,Level-3,
Bharat Mandapam,
New Delhi.

Dress: Formal/National Dress

Along with confirming your presence by replying to this mail, it is requested to please provide the following information:-
a) Dietary restrictions or allergies, if any.
b) Vehicle details for access.
c) Contact No. (preferably mobile) for coordination, in case required.
d) Preference (Tea/ Coffee/Kahwa)

सत्यमेव जयते

VISIT OF
THE PRIME MINISTER
OF
BHARAT
SHRI NARENDRA MODI
TO
THE REPUBLIC OF INDONESIA
(20TH ASEAN-INDIA SUMMIT
AND
18TH EAS SUMMIT)
SEPTEMBER 7, 2023
FUNCTION NOTES

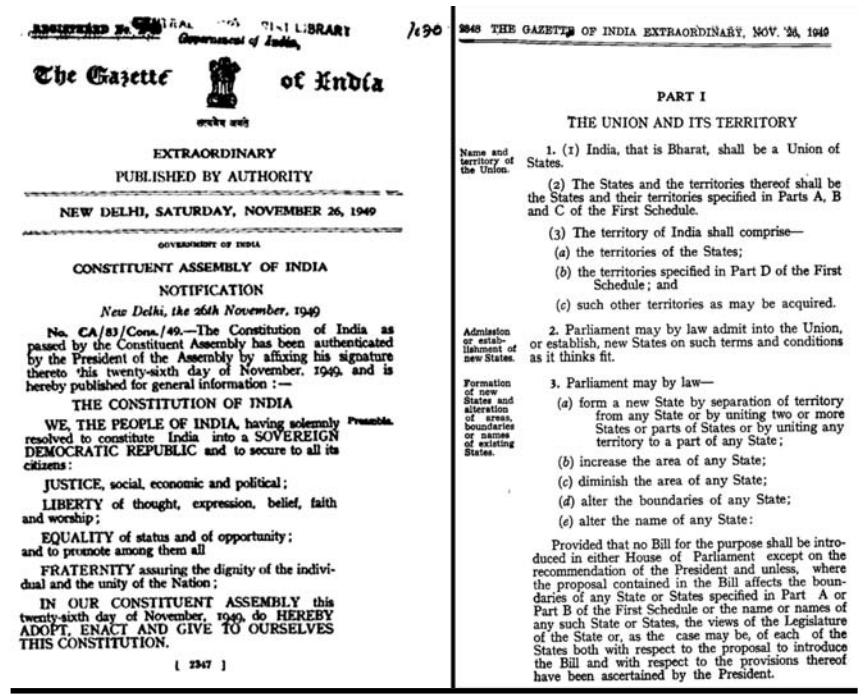

REGISTERED No. [illegible] CENTRAL [illegible] LIBRARY
Government of India.

1690

The Gazette of India

सत्यमेव जयते

EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 26, 1949

GOVERNMENT OF INDIA

CONSTITUENT ASSEMBLY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 1949

No. CA/83/Cons./49.—The Constitution of India as passed by the Constituent Assembly has been authenticated by the President of the Assembly by affixing his signature thereto this twenty-sixth day of November, 1949, and is hereby published for general information :—

THE CONSTITUTION OF INDIA

Preamble. WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens :

JUSTICE, social, economic and political ;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship ;

EQUALITY of status and of opportunity ; and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity of the Nation ;

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

[2347]

2848 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY, NOV. 26, 1949

PART I

THE UNION AND ITS TERRITORY

Name and territory of the Union. 1. (1) India, that is Bharat, shall be a Union of States.

(2) The States and the territories thereof shall be the States and their territories specified in Parts A, B and C of the First Schedule.

(3) The territory of India shall comprise—

(*a*) the territories of the States;

(*b*) the territories specified in Part D of the First Schedule ; and

(*c*) such other territories as may be acquired.

Admission or establishment of new States. 2. Parliament may by law admit into the Union, or establish, new States on such terms and conditions as it thinks fit.

Formation of new States and alteration of areas, boundaries or names of existing States. 3. Parliament may by law—

(*a*) form a new State by separation of territory from any State or by uniting two or more States or parts of States or by uniting any territory to a part of any State ;

(*b*) increase the area of any State;

(*c*) diminish the area of any State;

(*d*) alter the boundaries of any State;

(*e*) alter the name of any State:

Provided that no Bill for the purpose shall be introduced in either House of Parliament except on the recommendation of the President and unless, where the proposal contained in the Bill affects the boundaries of any State or States specified in Part A or Part B of the First Schedule or the name or names of any such State or States, the views of the Legislature of the State or, as the case may be, of each of the States both with respect to the proposal to introduce the Bill and with respect to the provisions thereof have been ascertained by the President.

ये सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने के लिए कर रही है। हालांकि सरकार ने किसी तरह की घोषणा नहीं की है, लेकिन चर्चा शुरू हो गई कि सरकार देश का नाम सिर्फ 'भारत' कर देगी।

दिगर बात है कि संसद के विशेष सत्र में देश का नाम 'इंडिया' से हटाकर 'भारत' रखने की बातें हो रही है, जिसको लेकर जबरदस्त बहस छिड़ गई है। विपक्ष जहां मोदी सरकार पर लगातार प्रहार कर रहा है वहीं अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्र और कांग्रेस दोनों पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने एक पीसी करके कहा कि देश के नाम को लेकर अपने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का मौका भाजपा को खुद विपक्ष ने एक सोची समझी रणनीति के तहत दिया है। उसने अपने गठबंधन का नाम जानबूझकर INDIA रखा। इसलिए भाजपा की ओर से इस तरह का कदम उठाया जा रहा है, दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि सत्ता और विपक्ष दोनों ही अंदर ही अंदर मिले हुए हैं। दरअसल जी-20 के बाद सरकार की ओर से विशेष संसद सत्र बुलाया गया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इस सत्र में मोदी सरकार संविधान में 'इंडिया' शब्द को हटाने के लिए बिल पेश करने वाली है। जिसको लेकर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल भड़क गए हैं और इसकी आलोचना कर रहे हैं। वहीं इंडिया अलांयस में शामिल दलों की ओर से कहा जा रहा है कि मोदी सरकार हमारे INDIA गठबंधन से डर गई है इसलिए देश का नाम बदलने जा रही है। इस बाबत जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आपको इनकी INDIA शब्द से घबराहट नहीं नजर आ रही है, ये हताश हैं इसलिए नाम बदल रहे हैं, जनता इनकी सारी चालबाजियों को अच्छी तरह से समझ रही है, वो ही इन्हें जवाब देगी।

गौरतलब हो कि अगर देश का नाम इंडिया से भारत किया जाता है तो बहुत सारी चीजों के नाम बदलने पड़ेंगे। सोशल मीडिया पर इन विवाद को लेकर मशखरे उड़ने शुरू हो गये हैं। कई लोगों ने लिखा है कि अगर इंडिया अगर भारत हो गया तो अब से हम इंडिया गेट को इंडिया गेट ना कहकर भारत गेट कहेंगे और आईपीएल का नाम इंडियन प्रीमियर लीग ना होकर भारत प्रीमियर लीग हो जाएगा। यहीं नहीं आरबीआई का नाम भी फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना होकर रिजर्व बैंक ऑफ भारत होगा। अब तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ भारत कहना होगा तो वहीं एयर इंडिया को भी अब एयर भारत कहना होगा। सोशल मीडिया पर जहां मीम्स की भरमार है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सोशल प्लेटफार्म पर ये भी पूछ रहे हैं कि क्या देश का नाम बदलने के बाद हमें पासपोर्ट और आधार कार्ड पर फिर से नाम बदलवाना होगा, क्योंकि हर जगह तो इंडिया ही लिखा है। आपको बता दें कि देश के नाम में कोई बदलाव होने जा रहा है, इस बारे में सरकार की ओर से कोई अधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है लेकिन बीजेपी नेताओं से लंबे वक्त से इस बारे में मांग जरूर की जा रही थी। उनका कहना है कि इंडिया शब्द गुलामी की याद दिलाता है, इसलिए इसे हटाया जाना चाहिए। भारत हमें देश की संस्कृति से जोड़ता है और इसलिए इसका नाम भारत ही होना चाहिए।

मालूम हो कि नाम को लेकर छिड़े विवाद पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि भारत के संविधान के पहले अनुच्छेद

भारत, इंडिया, हिंदुस्तान अलग-अलग नाम की टाइमलाइन

साल	नाम	सोर्स	क्या जिक्र किया
440 ईसा पूर्व	इंडिया	ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस	इंडिया के पूर्व में एक भूभाग है, जो पूरी तरह से रेत से बना है। एशिया के पूर्व में जहां सूर्योदय होता है, इंडिया उसके सबसे करीब है।
400-300 ईसा पूर्व	होदू	हिब्रू बाइबिल	फारस के राजा अहासुरस ने होदु (इंडिया) से कुश (इथियोपिया) तक 127 प्रांतों पर शासन किया।
300 ईसा पूर्व	इंडिया/ इंडिके	ग्रीक इतिहासकार मेगस्थनीज	इंडिया जो पूर्व और दक्षिण में समुद्र से घिरा है। वहीं, पश्चिम में सिंधु नदी से लगा यह देश उत्तर दिशा में पर्वतों से घिरा है।
200 ईसा पूर्व	जम्बूद्वीप	चाणक्य अर्थशास्त्र	जम्बूद्वीप की पूर्वी सीमा ब्रह्मपुत्र और पश्चिमी सीमा सिंधु नदी के मुहाने पर है। इसकी दक्षिणी सीमा हिंद महासागर या रामसेतु की ओर है।
पहली शताब्दी ईसा पूर्व और नौवीं शताब्दी ईस्वी के बीच (अनुमानित)	भारतवर्ष	विष्णुपुराण	उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्। वर्षं तद् भारतम् नाम भारती यत्र सन्ततिः।। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं तथा उसकी संतानों को भारती कहते हैं।
262 ईस्वी	हिन्दुस्तान	नक्श-ए-रुस्तम	ईरान के सासानी सम्राट शापुर प्रथम के नक्श-ए-रुस्तम शिलालेख में हिन्दुस्तान का उल्लेख है।
1020 ईस्वी	हिंद	अल बरुनी	हिंद पूर्व में चिन और माचिन से, पश्चिम में सिंध (बलूचिस्तान) और काबुल से और दक्षिण में समुद्र से घिरा हुआ है।

Source: worldhistory.org

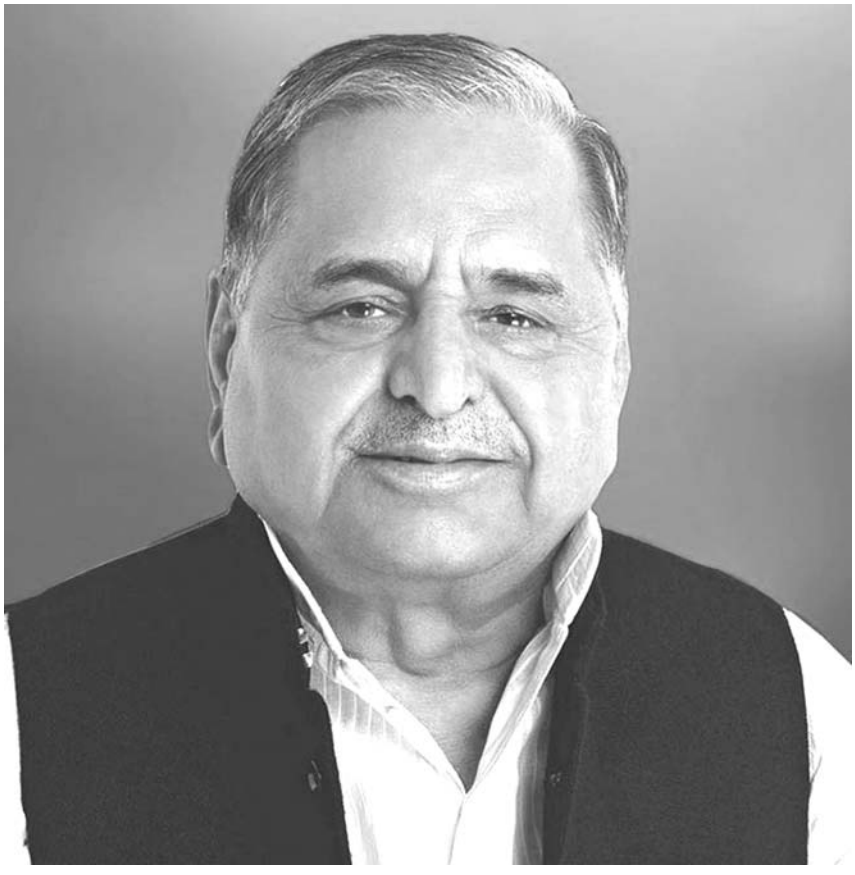

में ही लिखा है, 'वी द पीपल ऑफ इंडिया दैट इज भारत'। किसी भी शास्त्र में इंडिया का उपयोग नहीं हुआ, हमारे राष्ट्रीय गान में भी भारत भाग्य विधाता है ना कि इंडिया भाग्य विधाता। वहीं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि देश में तो पहले ही बहुत सारे नाम बदले गए हैं, मद्रास से चेन्नई, बेंगलोर से बेंगलुरु हो चुका है। अंग्रेजों ने अपने हिसाब से नाम बदल लिए थे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि विपक्ष इस बात पर इतना तिलमिला क्यों रहा है, वो इतना परेशान क्यों हैं? कहा जा रहा है कि मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ विपक्ष के महागठबंधन का नाम 'इंडिया' के नाम पर होने की वजह से ही केंद्र सरकार देश के नाम बदलने की तैयारी कर रही है। फिलहाल इसे लेकर देश में जोर-शोर से बहस जारी है।

बहरहाल, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से इस बात को लेकर स्पष्टीकरण दिया गया कि सरकार संसद का विशेष सत्र नाम बदलने के लिए नहीं बुला रही है। ठाकुर ने इस बात को 'अफवाह' कहकर खारिज कर दिया, लेकिन एक सवाल है जिसे खारिज नहीं किया जा सकता है। सवाल ये कि अगर देश का नाम बदला गया तो इसमें खर्च कितना आएगा। वैसे भारत पहला देश नहीं जहां नाम बदले जाने या बदल देने की बात हो रही है। ऐसे बदलाव समय-समय पर कई देशों में पहले भी हुए हैं। कभी कोलोनियल लेगेसी मिटाने के वास्ते तो कभी एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए हर बदलाव अपने साथ कुछ न कुछ खर्च लेकर चलता है। जैसे घर में पुताई कराना, उसके अपने खर्च होते हैं। स्कूल में नाम बदलवाना या किसी डॉक्यूमेंट में अपना पता या नाम चेंज कराना। सभी बदलाव बिना किसी खर्च के नहीं होते। ऐसा ही देश के लेवल पर होता है। नाम बदला जाएगा तो सभी डॉक्यूमेंट्स, आधिकारिक वेबसाइट, देश की विभिन्न संस्थान और कई अन्य बड़े-बड़े बदलाव भी करने होंगे। इन सबका अपना अलग-अलग खर्चा होगा। लेकिन इस खर्चे को मापा कैसे जाएगा? तो बता दें कि इसके भी कुछ तरीके होते हैं। ऐसा ही एक तरीका साउथ अफ्रीका के एक वकील ने निकाला था। नाम था डैरेन ओलिवियर। ओलिवियर ने अफ्रीकी देशों में नाम बदलने की प्रक्रिया की तुलना किसी बड़े कॉरपोरेट की रीब्रांडिंग एक्सरसाइज से की। उनके मुताबिक एक बड़े कॉरपोरेट हाउस की औसत मार्केटिंग कॉस्ट उसके रेवेन्यू का 6 फीसदी होती है। वहीं रीब्रांडिंग

एक्सरसाइज का खर्च कंपनी के मार्केटिंग बजट का 10 फीसदी तक हो सकता है। डैरेन ओलिवियर के इसी मॉडल की मदद से भारत के लिए होने वाले खर्च का पता लगाया जा सकता है। भारत का नाम बदलने की प्रक्रिया में होने वाला खर्च कितना बड़ा है, ये एक उदाहरण से समझ सकते हैं। केंद्र सरकार 80 करोड़ भारतीय नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा में जितना खर्च करती है, नाम बदलने में उतना खर्च होने का अनुमान है। अब सवाल ये है कि ये आंकड़ा निकला कैसे? साल 2023 में खत्म हुए वित्तीय वर्ष के लिए भारत की राजस्व प्राप्ति 23 लाख 84 हजार करोड़ रुपये थी। मतलब सरकार ने जो टैक्स और गैर-टैक्स वाला राजस्व यानी रेवेन्यू हासिल किया, वो राजस्व के इस आंकड़े के आधार पर 'ओलिवियर मॉडल' के मुताबिक भारत का नाम बदलने की प्रक्रिया में लगभग 14 हजार 304 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। बता दें कि ओलिवियर ने साल 2018 में साउथ अफ्रीकी देश स्वाजीलैंड का नाम बदले जाने पर ही ये मॉडल विकसित किया था। स्वाजीलैंड का नाम बदलकर इस्वातिनी रखा गया था। ओलिवियर के मॉडल के मुताबिक स्वाजीलैंड का नाम बदले जाने का खर्च लगभग 500 करोड़ रुपये आया था। इस आंकड़े को निकालने में भी ओलिवियर ने देश की राजस्व कमाई वाला फॉर्मूला लगाया था। सनद् रहे कि इस साल की शुरुआत में महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रखा गया था। उसी वक्त उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव कर दिया गया था। साल 2016 में हरियाणा सरकार ने गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया था। वहीं साल 2018 में यूपी सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इलाहाबाद का नाम बदलने पर राज्य सरकार को 300 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आया था।

अब तमाम कयासों के बीच सवाल ये है कि क्या इंडिया नाम हटाया जा सकता है? अगर केंद्र सरकार इंडिया नाम हटाना चाहे, तो इसके लिए क्या करना होगा? तो बता दें कि संविधान का अनुच्छेद-1 कहता है, 'इंडिया, दैट इज भारत, जो राज्यों का संघ होगा'। इसका मतलब है कि अनुच्छेद-1 'इंडिया' और 'भारत', दोनों को मान्यता देता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना अंग्रेजी और हिंदी दोनों में है। अंग्रेजी वाले में 'इंडिया' और हिंदी में 'भारत' शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं और भारत सरकार भी। अगर केंद्र सरकार देश का नाम सिर्फ भारत करना चाहती है, तो उसे अनुच्छेद-1 में संशोधन करना होगा। संविधान का अनुच्छेद-368 संविधान संशोधन की अनुमति देता है। इसके लिए केंद्र सरकार को संसद में एक बिल लाना होगा और उसे बहुमत से पास कराना होगा। संविधान के कुछ अनुच्छेद में बदलाव के लिए साधारण बहुमत यानी 50 प्रतिशत से अधिक की जरूरत होती है। वहीं कुछ अनुच्छेद में संशोधन के लिए दो तिहाई बहुमत यानी 66 फीसदी बहुमत की जरूरत होती है। कोई नया राज्य बनाने या राज्यसभा में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन के लिए साधारण बहुमत की जरूरत होती है। वहीं अनुच्छेद-1 में बदलाव के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत होगी। सनद् रहे कि देश का नाम सिर्फ 'भारत' रखने की मांग सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुकी है। मार्च 2016

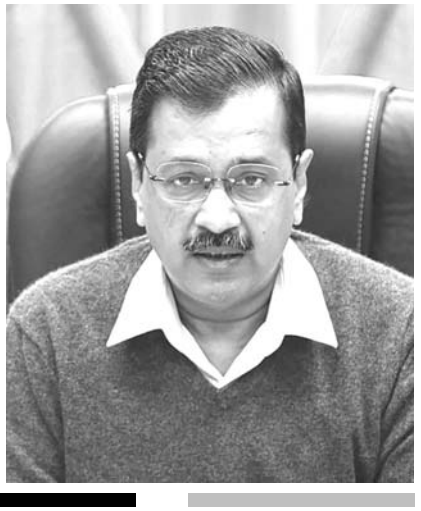

में सुप्रीम कोर्ट ने देश का नाम इंडिया की जगह सिर्फ भारत रखने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। उस समय तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टीएस ठाकुर ने कहा था, भारत और इंडिया? आप भारत बुलाना चाहते हैं तो बुलाइए। अगर कोई इंडिया कहना चाहता है तो उसे इंडिया कहने दीजिए। चार साल बाद 2020 में फिर से सुप्रीम कोर्ट में ऐसी ही याचिका दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा याचिका को खारिज कर दिया था।

बहरहाल, इंडिया और भारत की बहस के बीच विशेष सत्र बुलाये जाने से विपक्ष काफी घबराया हुआ है। बताते चले कि जी-20 की बैठक के एक हफ्ते बाद 18-22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा कर सरकार ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया (I.N.D.I.A.) को भौंचक्का कर दिया है। विपक्ष के 28 दलों के इस गठबंधन के नेता इस सोच में हैं कि यह भाजपा सरकार का कौन-सा दांव चलने वाला है? उनके नेता 2024 की तैयारी में जुटे हुए हैं लेकिन यह एकजुटता अभी पुख्ता नहीं बन पाई है। इसीलिए इंडिया गठबंधन बनने

के मात्र एक महीने में तीसरी अहम बैठक मुंबई में की गई। विपक्षी गठबंधन में अबतक सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बात नहीं हुई है लेकिन इसपर चर्चा के दौरान विपक्षी नेताओं में उठापटक देखी जा सकती है। बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने 9 सीटों पर अपनी दावेदारी रखी है तो वही लेफ्ट पार्टी 8 सीटों पर अड़ी है। ऐसे में क्षेत्रीय पार्टी राजद और जदयू के हिस्से में क्या होगा इसपर भी विचार हो रहे हैं। किन्तु 28 दलों में से कुछ को लोकसभा चुनाव के लिए एक भी सीट नहीं दी गई है। उनको कहा गया है, कि मोदी को हराने के लिए पहले एक हो जाओ, सीट तो मिलती रहेगी। किंतु लाभ के पद से वंचित रहने से जो कुंठा अंदर ही अंदर पनपती है, वह किसी भी गठबंधन के बड़े दल का बंटाधार करती है। यही सब सोंच कर केंद्र की मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाने का निर्णय किया होगा। अभी जनता के बीच मोदी की प्रतिष्ठा शिखर पर है। चंद्रयान-3 की सफलता ने उनके हौसले बढ़ा दिए हैं। विश्व में उनका डंका बज रहा है, क्योंकि भारत का चंद्रयान जिस जगह उतरा, वह अभी तक अछूती थी। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी मिलने की संभावना से चंद्रमा पर जीवन के संकेत भी मिले हैं। अभी तक चंद्रमा में जीवन के कोई लक्षण नहीं मिले थे लेकिन भारत के रोवर प्रज्ञान ने चंद्रमा के बारे में बहुत सारे अज्ञान से उबारा है। इसके बाद जी-20 की मेजबानी से भी भारत का रुतबा बढ़ा है। विश्व के 20 विकसित देशों में से 18 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस आयोजन में पहुंचे। 8 से 10 सितंबर तक दिल्ली में हुए इस बैठक से भारत में काफी-कुछ विनिवेश होने की संभावना है। इसका श्रेय भी सरकार को मिलेगा। इन सफलताओं से प्रफुल्लित सरकार ने तय किया है कि 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। हालांकि, विशेष सत्र कोई आम बात नहीं है। किसी विशेष स्थिति में ही ऐसा किया जा सकता है। मगर सरकार ने ना कोई खुलासा किया न विपक्षी दलों को इसकी भनक लगने दी लेकिन ऐसा करना कोई असंवैधानिक नहीं है। पूर्व की सरकारें भी ऐसा कर चुकी हैं। अब विपक्षी दलों के गठबंधन को लग रहा है कि सरकार इस विशेष सत्र में कौन-कौन से बिल पास करेगी? सरकार के पास लोकसभा में अपार बहुमत है और राज्यसभा में उसके पास जुगाड़ है। इसलिए वह जो बिल चाहे पास करवा सकती है। विपक्षी गठबंधन इंडिया को सबसे अधिक भय एक राष्ट्र एक चुनाव का है, क्योंकि ऐसा कर सरकार अपनी तात्कालिक लोकप्रियता को इसी वर्ष भुना सकती है।

बताते चले कि जल्द ही मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलांगना, मिजोरम और राजस्थान में विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे मौके पर यदि लोकसभा चुनाव भी इसी मौके पर करवाने का फैसला हो गया तो इंडिया के लिए अपने को संभालना मुश्किल हो जाएगा। वजह यह है, कि ये सारे दल अपने-अपने राज्यों में कांग्रेस के विरोधी हैं।

कांग्रेस को माइनस कर बना नया गठबंधन 'इंडिया' कोई करिश्मा नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त कई और विधेयक भी लाए जाने की संभावना है। यह भी कहा जा रहा है कि सरकार इस विशेष सत्र में महिला आरक्षण का बिल ला सकती है या समान नागरिक संहिता पास कराने हेतु विधेयक ला सकती है। महिला आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा में भी असंतोष हो सकता है और समान नागरिक संहिता का बहुत लाभ सरकार को नहीं मिलेगा लेकिन यदि सरकार एक देश, एक चुनाव का बिल ले आई और वह कानून बन गया तो मोदी सरकार को पुनः आने से रोकना मुश्किल हो जाएगा। मगर यह कानून लाना आसान नहीं होगा। इसमें कई अड़चनें हैं, क्योंकि इस पर अमल के लिए दो-तिहाई राज्यों की सरकारें भी इस पर सहमत हों। एक अड़चन तो यह है कि कुछ विधानसभाओं को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग की जाएं और कुछ का कार्यकाल बढ़ाया जाए ताकि सबका चुनाव एक साथ हो सके। इसलिए इस बिल के पास होने के बाद भी तत्काल यह लागू नहीं हो सकेगा। परंतु सरकार को फायदा यह होगा कि वह विपक्ष में हबड़-तबड़ मचा देगी। इंडिया के घटक दल अपने राज्यों में लग जाएंगे। दूसरे आने वाले महीनों में सरकार के पास और कुछ श्रेय मिलने से रहा। अडानी को लेकर लगातार जो रिपोर्ट्स लीक की जा रही हैं, उससे केंद्र सरकार पर हमले के और कई रूप आएंगे। ऐसे में जल्द चुनाव केंद्र के लिए फायदेमंद होगा और अगर सरकार अपने चातुर्य से एक देश, एक चुनाव कानून बनाने में कामयाब हो गई तो बल्ले-बल्ले।

गौरतलब हो कि इस विशेष सत्र के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है लेकिन विशेष सत्र बुलाने की घोषणा से ही हड़कंप मच

गया है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसा मास्टर स्ट्रोक है, जिससे इंडिया को कुछ सूझ नहीं रहा। जिस तीव्रता के साथ यह इंडिया गठबंधन उभरा था, इससे उसे आघात लगा है। यद्यपि भाजपा और कांग्रेस दोनों को एक देश, एक चुनाव से लाभ होगा, क्योंकि ये दोनों दल किसी एक राज्य तक सीमित नहीं हैं। पर क्या कांग्रेस अपने बूते पूरे देश में चुनाव लड़ पाएगी? पिछले दो लोकसभा में उसकी संख्या इतनी कम रही कि उसने अपना जनाधार भी खोया है। आज की तारीख में उसका जो भी जनाधार है, वह अन्य क्षेत्रीय दलों के बूते है। जाहिर है कांग्रेस की इस कमजोरी का लाभ भाजपा को मिला है। यह मोदी और शाह की ऐसी रणनीति है, जिससे विपक्षी गठबंधन को शॉक लगा है। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह दो ऐसे राजनेता हैं, जिनके लिए राजनीति के लिए कोई भी ऐसा विषय नहीं जिस पर उनकी दिलचस्पी हो। वे आज से नहीं बल्कि तब से वे इस मुहीम में जुटे हैं जब से वे संसदीय राजनीति में आए। तीन बार लगातार गुजरात विधानसभा चुनाव जीतना आसान नहीं था पर वे जीते। इसी तरह जब से वे केंद्र में आए लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा लोकसभा चुनाव जीती। उनकी यह सफलता बताती है, कि नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष के दांव-पेच ढ़ीले पड़ जाते हैं, क्योंकि चुनाव जीतने की कला में वे माहिर हैं। भाषण पटु तो वे हैं ही, उन्हें अच्छी तरह पता है कि विपक्ष की कमजोरी क्या है। वे उसी कमजोर नस को दबाते हैं और सफलता वे पा जाते हैं। आज संसद का विशेष सत्र बुलाने का उनका दांव कुछ ऐसा ही है। बता दें कि एक देश, एक चुनाव की बात वे आज से नहीं कर रहे बल्कि 2014 और 2019 से वे इस अभियान में जुटे हैं। उस समय गैर भाजपाई दल इसकी गंभीरता को समझ नहीं पाए और तो और 2019 में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और जनता दल (यू) प्रमुख नीतीश कुमार इसका स्वागत कर रहे थे। अब वे इसे लेकर बेचैन हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया के कुनबे को बिखेरने के लिए एक देश, एक चुनाव का अभियान काफी है। इसलिए जो विपक्ष कल तक यह मान कर चल रहा था, कि भाजपा के पास कोई राजनीतिक चातुर्य नहीं है। वह तो बस हिंदू-मुस्लिम कर सत्ता में आ गई है, वे भौंचक्के रह गए हैं। उनके लिए अब बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। अगर सरकार इस बिल को लाकर कानून बना ले गई तो भी और अगर ऐन पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ लोकसभा चुनाव करवा दिया तो भी। मोदी का मास्टर स्ट्रोक भारी पड़ने वाला है। देखते हैं कि विशेष सत्र में क्या होता है?

बहरहाल, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के अनुसार इंडिया की जगह सिर्फ भारत का नाम किये जाने की चर्चा को वह सिर्फ अफवाहें बता रहे हैं और वे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जो कोई भी भारत शब्द पर आपत्ति जताता है, वो साफ तौर पर उसकी मानसिकता को दिखाता है। किन्तु जिस तरह से जी-20 समिट में मेजबान देशों के बीच बैठे भारत के प्रधानमंत्री की डेस्क के आगे देशों के नाम में 'भारत' लिखा देखा गया, वह पहले कभी 'इंडिया' हुआ करता था। ऐसे में कयास तो जरूर लगाये जा सकते हैं कि 'इंडिया' अब 'भारत' बनेगा, किन्तु यह फिलवक्त के लिए अफवाह होगा या भविष्य के लिए हकीकत यह देखना होगा! ●

● संजय सिन्हा

आज भारत में तुष्टिकरण अपने चरमोत्कर्ष पर है, कमोबेश सभी राजनीतिक दलों को मुस्लिम वोट चाहिए, इसके लिए भले अपने पूवर्जो को गाली ही देना क्यों न पड़े, देश में सनातन संस्कृति को गाली देने की अभी प्रतिस्पर्धा हो रही है, कौन कितना गाली दे सकता है? कुछ दिनों पहले तक हिन्दू व रामचरितमानस को गाली देने का हेडमास्टर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अपने को समझ रहे थे, परंतु अभी मौर्य बहुत पिछे हो गयें हैं, तमिलनाडु का मूखयमंत्री स्टालिन का बिगरैल बेटा उदयनिधी रेस में सबसे आगे है ऐसे दूसरा नेता जो काफी दिनों से जेल में बंद था डी राजा वो भी स्टालिन के डीएमके पार्टी का ही है, कांग्रेस का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत पहले मुसलमान को डरा चुके है कि अगर आप नहीं समझोगे तो ये सनातन संस्कृति बढ़ने लगेगा इसे खत्म करना है तो आप सहयोग दो, अभी उसका बेटा और कर्नाटक के ग्रामीण विकास मंत्री प्रियांस खड़गे भी हिन्दू और सनातन को एक बीमारी बताया है, बिहार के राजद अध्यक्ष जगदानंद ने हिन्दू के तिलक लगाने वालों को गुलामी के लिए जिम्मेदार माना और कहाँ तिलक लगाने वाले देश को आजाद नहीं होने दे रहे थें। बात यही नहीं खत्म

होती राजद के एक और शिक्षा मंत्री डॉ० चंदशेखर जो पेशे से प्रोफेसर हैं और पढ़ाने का कार्य किया है, इन्होंने रामचरितमानस को भले न पढ़ा हो? परंतु रामचरितमानस पर सवाल एवं उसके कुछ पैराग्राफ को गलत व गंदा बताया है। इन नेताओं को जो अपने राजनीति के लिए सुट कर जाये वो ठीक है अन्यथा कमसे कम हिन्दू और सनातन संस्कृति को गालियाँ देकर अपनी राजनीतिक चमकानी है, इन्हें दम नहीं है कि वे वैसे धर्मों के लिए कुछ बोले? जहाँ बहुत कुरितिया हैं, मुसलमान भी इन नेताओं को भलीभाँति समझ रहें हैं कि ये अपने अराध्य अपने पूर्वजों के नहीं हुये तो भला मेरा क्या हो सकतें हैं? वे समझते भी हैं और इतिहास में जयचंद की मृत्यु का कारण भी जानते हैं, नया नया मौलवी बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला कहावत उदयनिधी के साथ चरितार्थ हो रहा है। ये स्टालिन या इसका बच्चा नया नया इसाई जो बना है? इसलिए इसके हिन्दू संस्कृति के लिए घृणा अपने चरम पर है, आज दूनिया में सनातन संस्कृति का डंका बज रहें है, इंग्लैंड में वहां के मुल ईसाई निवासी राधे राधे कृष्णा करते मंदिरों में चौक चौराहे पर देखें जा सकते हैं, इस्कॉन मंदिरों में इसाई धर्म के लोगों को जाकर बड़ी शांति एवं स्वस्थ महसूस करते हैं और बताते हैं कि इस सनातन संस्कृति का कोई तुलना नहीं, वेदों पुराण को

नासा के बड़े बड़े वैज्ञानिक लोहा मान चुके हैं गीता दूनिया का सबसे उत्तम ग्रंथ है ये आये दिन दूसरे धर्म के बड़े बड़े स्कालर मानने लगें हैं और सनातन संस्कृति अपना रहे हैं, भारत की बड़ी संख्या में मुस्लिम भी मान रहे हैं कि हमारे पूर्वज कभी हिन्दू थे, परंतु कुछ राजनीति दल नेता देश की दस योजनाओं का नाम नहीं जानते, चन्द्रयान क्या है? कहाँ गया है? इसे किस संस्थान ने

सनातन पर सुप्रीमकोर्ट मौन

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री स्टालिन का बिगड़ा बेटा उदयनिधी पर भी बिहार यूपी मध्यप्रदेश महाराष्ट्र के अदालतों में मुकदमे दर्ज किया गया है क्या इस पर सुप्रीमकोर्ट कोई संज्ञान लेगी? शायद नहीं लेकिन अगर ये उलट होता तो सुप्रीमकोर्ट बरसात की रात में भी सक्रिय हो जाती और नुपूर शर्मा मामले जैसा उल्लू – जल्लूल फैसला किया होता, ऐसा नहीं है कि ये एक दर्जन नेता भर है? अपने राजनीतिक हिसाब से सनातन संस्कृति को समय समय पर गाली देने वाले की लंबी लिस्ट है, वो भले आज बीजेपी में ही क्यों न हो, बीजेपी नेता जब समाजवादी पार्टी में थे तो भगवान को बहुत गंदी गंदी बातें कहीं थी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी भी रामचरितमानस को भला बुरा कह चुके हैं भले वो उस समय महागठबंधन के सदस्य थे, जिस समय हमारे भारत की जनता जाति से उपर उठ कर देगें उस समय ये सभी नेता बगीचे की दरवानी करेगें या फिर कचहरी में सत्तू की दुकान न कोई मुस्लिम तुष्टिकरण न कोई जाति तुष्टिकरण अच्छे लोग संसद विधानसभा में जायेगे और जनता खुशहाल जीवन जियेंगे जाति गोत्र सिर्फ बेटा बेटी के शादी के लिए, ऐसा उदाहरण इंग्लैंड के लोग मिशाल दे रहे हैं जो वहाँ एक सनातनी हिंदू ऋषि सुनक प्रधानमंत्री के रूप में विराजमान हैं।

बताया है? मानव रहित या सहित है? कितने लागत लगें हैं? ये कुछ नहीं मालूम, रामायण गीता पढ़ा नहीं है, वेद पुराण, दोहा चौपाई नहीं है मालूम परंतु जब ये किसी विषय पर बातें करेंगे तो लगेगा कि ये कितने विषयों में पीएचडी कर रखा है, काफी संख्या में ऐसे सांसद विधायक मंत्री सह मंत्री हैं जिन्हें एक पन्ने आवेदन लिखना नहीं आता, एक फार्म भरने नहीं आता, ये तो देश के लोकतंत्र का कमाल है कि ऐसे गैरजिम्मेदार नासमझ को जनता लोकसभा विधानसभा में भेज देतीं, ऐसे नेता क्या अपने जातिवाद क्षेत्र के अलावा कहीं से जीत जाते हैं क्या? सनातन

हिन्दुओं का अपमान करने की चलन सी हो गई है : आलोक कुमार

अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिन्दू परिषद् के कार्यकारी अध्यक्ष एवं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आलोक कुमार से हमारे दिल्ली ब्यूरो संजय सिन्हा ने विभिन्न मुद्दों पर साक्षात्कार किये, प्रस्तुत है प्रमुख अंश :-

★ अलोक जी आप सनातन संस्कृति पर हो रहें हमलों और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के मंत्री पुत्र उदयनिधी के सनातन पर दिये गये बेशर्मी बयान को कैसे देखते हैं?

आठ सौ वर्षों तक मुगलों ने क्या क्या नहीं किया? दो सौ वर्षों अंग्रेजों ने क्या नहीं चतुराई कि? ये अकेले स्टालिन के बेटे ने सनातन के लिए गलत बातें नहीं कहा है, कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे ने भी कहा है और डीएमके नेता डी राजा ने भी कहा है तीनों पार्टी कम्युनिस्ट कांग्रेस डीएमके ने सनातन के लिए कहा है, ऐसा नहीं हैं कि इन लोगों ने अन्यास ही कहा है? ये पुरी आई.एन.डी.आई.ए. का सोची समझी साजिश है, ये समाज को बाट कर रखना चाहते एवं मुसलमान एवं ईसाई को डरा कर रखना चाहते हैं, उनका सोचना है कि इनका समुचा वोट उन्हें मिले वोट के लिए देश को बांटना उचित नहीं है।

★ पीछे गुजरे हुए जमाने में फिल्मों के माध्यम से समाज को बताया गया कि पंडित लालची है पाखंडी है, बनिया बेईमान है, फिर पिछले दसक से होली पर पानी दिवाली पर पटाखे नहीं छोड़ना चाहिए और अब नया ट्रेंड चला है कि हिन्दू त्योहार का दो दिन होना क्या ये सनातन संस्कृति के लिए साजिश तो नहीं?

आपने पहली बात बिलकुल सच कहा कि जल्लीकट्टू को रोकने के लिए सुप्रीमकोर्ट की ये बैल पर अत्याचार हैं इसे बंद किया जाये और बकरीद पर अनगिनत बकड़े को काट कर खून बहाया जाये इस पर चुप्पी इसको अहिंसा नहीं समझा सकते क्या आस्था है तो मिट्टी के बकड़े बना कर रसम नहीं किया जा सकता? ये सारे के सारे हिन्दू के लिए ही पाठ है? ये आपका कहना बिलकुल सही है मैं इस से बिलकुल सहमत हूँ कि ये षड्यंत्र है ये हिन्दू के त्यौहार के आनंद को निचोर लिया जाये और वो नीरस रह जाये ये प्रयंत्र किया जा रहा है ये षड्यंत्र है ये समझ में आ रहा है, ये सबने समझना चाहिए और आपका दो दिनों का त्यौहार की बात है तो वो मैं अभी कुछ नहीं कहुगां मैं अभी इसे सडयंत्र नहीं मानता इस पर धर्म गुरुओं से बात करुगा, उनको इस पर कोई रास्ता निकालने के लिए कहूंगा.

★ अभी बिहार की नीतीश सरकार ने हिन्दुओं के त्यौहारों के कुछ छुट्टियां कम कर दिया है और कुछ त्योहारों के बिलकुल खत्म जबकि दूसरे धर्मो के तरफ नजर भी नहीं करना क्या बताता है?

ये कैसा समय हो गया है सबलोग ये प्रयत्न कर रहे सबलोग कह रहे हैं कि हिन्दूओं का वोट संभवतः लगभग रिर्जव हो गई है उसमें फुट नहीं पड़ने वाली है, हिन्दूओं को अपमान करने की चलन सी हो गई है हिन्दूओं को मच्छर कहों, कोरोना कहों, मलेरिया कहों , खुश करने के लिए हिन्दूओं को मारने की समाप्त करने की बातें कहों बिहार सरकार का भी कदम वैसा ही है और मेरा अंदाजा कि अल्पसंख्यक समाज भी समझता है कि उनका मित्र कौन है इसलिए उनके चालबाजियो में नहीं आयेगें, न माया मिलेगी न राम, न घर के रहेगें न घाट के।

★ केन्द्र सरकार बहुत सारे ऐसे कानून जो हिन्दू विरोधी या अन्य के खिलाफ जो सन् 1991 से 1996 के बीच के है जैसे वक्फ बोर्ड, वर्कशिप ऐक्ट शायद सरकार के ऐजेण्डे में नहीं है?

ऐसा कहना शायद ठीक नहीं है कि सरकार के ऐजेण्डे में नहीं है, वक्फ बोर्ड का तो विचार है ही, वर्कशिप ऐक्ट अभी सुप्रीमकोर्ट के पास परीक्षा के लिए पड़ा हुआ है, ये सरकार ने जो अपना संकल्प दिखाया है युनिफार्म सिविल कोड सिटीजन ऐमेन्मेंट बिल इस सरकार ने जो आगे बढ़ाया है, मैं सोचता हूँ कि एक टाईम टेबल भी होगा सबके सब एक साथ नहीं हो सकता पर आपका कहना ठीक है कि जल्दी से जल्दी वक्फबोर्ड में संसोधन होना चाहिए वह बहुत अन्यायपूर्ण है बहुत खराब है।

★ हरियाणा के नूह पर एक सवाल, क्या नूह की हिंसा प्रायोजित थी?

निश्चित रूप से प्रायोजित था, ढुढ़ने पर सोसल साइट पर से खबर पब्लिक डोमिन में संदेश था कि वो आयेगे उनको प्याज के तरह तोड़ेगे इन्होंने पथ्थर इकठ्ठा कर किये थे, जिस तरह बेगर लाईसेन्सी हथियार इकठ्ठा किये थे, लोगों को बाहर से बुलाया गया था कहाँ, कहाँ किसे कैसे घेरना है इसकी योजना की गई थी, ये कोई एक पर एक नहीं हो सकती? ये पुरी अच्छी लंबी समय से एक्सपर्ट के द्वारा तैयारीयां कि गई योजना थी, ये ईश्वर की कृपा थी नहीं तो बहुत लोग मारे जाते।

★ तो ऐसा न माना जाये कि हरियाणा सरकार फेल हो गई?

ऐसा नहीं था कि हरियाणा सरकार फेल थी वहाँ का लोकल प्रशासन व्यवस्था की कमी थी।

★ लेकिन हरियाणा सरकार से सभी गुस्से में है क्या पक्ष क्या विपक्ष?

ऐसा नहीं है हरियाणा सरकार बहुत एक्शन लिया है सीसीटीवी कैमरे खंगाले गयें है अपराधी को काफी पकड़ा गया है.

★ हिन्दू अपने जीवन में तो जाति बने होते हैं परंतु किसी मुस्लिम के द्वारा मारे जाने पर वो हिन्दू हो जातें हैं या कहें जातें हैं, इस जाति समस्या के लिए विश्व हिन्दू परिषद् या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कुछ कर रही है?

नहीं, ऐसा नहीं है अब पहले वाली बात नहीं है शहरों में तो बिलकुल नहीं है पर बांकी जगहों पर भी वंचित समाज के लिए जहाँ शिक्षा कौशल स्वास्थ्य रोजगार पहुचाने का काम समाज को भी करने चाहिए विश्व हिन्दू परिषद् सरकार भी काम कर रही है आगे समय इसका अच्छे परिणाम मिलेगें।

स्वामी प्रसाद मौर्य

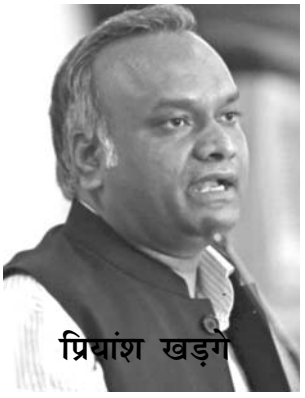
प्रियांश खड़गे

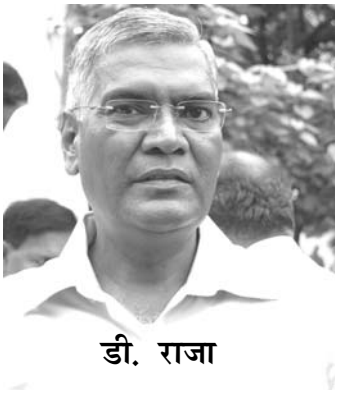
डी. राजा

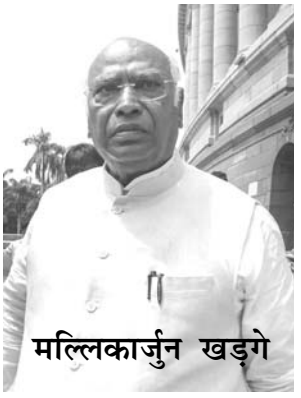
मल्लिकार्जुन खड़गे

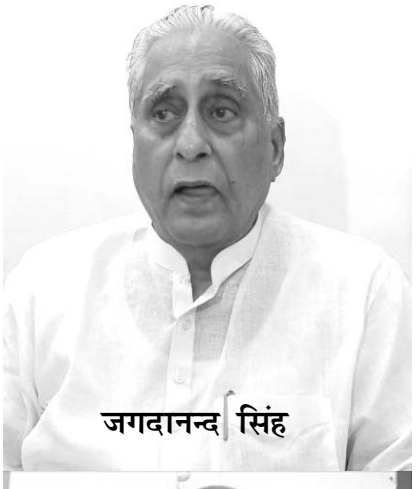
जगदानन्द सिंह

चंद्रशेखर

जीतनराम मांझी

संस्कृति क्षमा कृपा दया का स्वभाव सीखाती है अन्यथा ऐसा किसी अन्य धर्म के लिए बोल कर देख ले? क्या राजस्थान का एक गरीब दर्जी कन्हैया का क्या दोष था? क्या सिर्फ नुपूर शर्मा के डीपी लगाने या समर्थन करने का? क्या नुपूर शर्मा वहीं बातें नहीं दोहराई जो बड़े बड़े मंच पर डाक्टर जाकिर नायक बोलता है? सनातन संस्कृति किसी भी धर्म को सम्मान करती है, किसी धर्म वाले को दुख वाली बातें नहीं बोला करते और मानते हैं कि ऐसा करना पाप है, अगर ऐसे संस्कृति को मूल नाश करने की बात करेगें तो, फिर कैसी संस्कृति को अपनाना चाहते? क्या वैसी संस्कृति? जिसमें पापा मम्मी अलग - अलग कई शादीयां करें? और पापा डे मम्मी डे बच्चों को मनाना पड़े? या फिर नफरत वाली संस्कृति सिर्फ हम अच्छे है और बांकी काफिर? आज हम क्यों न माने ले कि सउदी अरब यूएई वाले अच्छे लोंग हैं? जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई, आज इन इस्लामिक देशों में मंदिर का निर्माण हो रहा है और वहाँ के बड़े-बड़े मंत्री अपने देखरेख मंदिर का काम करवा रहें, ईसाई देश वाले इंग्लैंड अपने देश में तरक्की के लिए धर्म से उपर उठ कर एक ऐसे हिन्दू प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को बनाया है जो सार्वजनिक सभा से, मिडिया के सामने बड़े मंच जी 20 से कहता हो कि मुझे गर्व है हिन्दू होने पर, जो भारत में I.N.D.I.A. एलायंस के लगभग कोई सांसद विधायक या कहें तो एनडी एलाईन्स के भी कई सांसद विधायक ऐसा नहीं बोल सकता? जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री श्री सुनक बोल ते हैं, ऐसा गर्व अनुभूति के लाईन अक्सर साधु संत व्यापारी वर्ग पश्चिम व दक्षिण भारत में दलित वर्ग और

विश्व हिन्दू परिषद् के लोगों ही बोल पाते हैं कि ष्गर्व से कहों हम हिन्दू हैंष् ये जीतने नेता है आप पता कर सकते हैं कि ये अपने घर हरेक अनुष्ठान कर्म सनातन संस्कृति के हिसाब से बड़े निष्ठा से करवाते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है इन नेताओं के भाग्य का इन नेताओं को लगता है कि तुष्टीकरण करने से हमें वोट मिलेगी? इन नेताओं को समझना चाहिए कि अगर मुस्लिम तुष्टिकरण से ही चुनाव में जीत हो सकती है ? तो उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा के चुनाव में बहुत बड़ी जीत समाजवादी पार्टी को मिली होती? क्योंकि सन् 2017 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों का वोट काफी मात्रा में बहुजन समाज पार्टी को मिली थी, जबकि 2022 में उत्तर प्रदेश व बंगाल चुनाव में मुस्लिमों का वोट एकतरफा पोलराईट हुई थी।●

बिहार वित्त नियमावली का उल्लंघन कर शिक्षा निगम बांट रहा है करोड़ों का ठीका

● शशि रंजन सिंह/राजीव शुक्ला

कहते हैं ना कि खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग-अलग होते हैं, वही हाल है शिक्षा विभाग के अपर प्रमुख सचिव केशव कुमार पाठक उर्फ के.के. पाठक का है। के.के. पाठक बिहार की जनता, बिहार प्रशासनिक अधिकारी, मंत्री, कर्मचारियों को अपना लिमिट बता चुके हैं। यही नहीं, पाठक साहब की कारिस्तानियाँ लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में भी मशहूर है। साल 2018 में पटना उच्च न्यायालय ने इन पर 170000 का जुर्माना भी लगा था। इनकी तानाशाही इतनी है कि इन्होंने अपनें संवेदक पर रिवाल्वर तान दिया था। बहरहाल के.के. पाठक ने शिक्षा विभाग में आने के बाद कई अमूल चूक परिवर्तन किया, जिससे राज्य को फायदा भी मिला है।

बिहार में स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करवाने के लिए बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड का गठन किया गया। जिसने अपने स्थापना के बाद कई कीर्तिमान स्थापित किया है। के.के. पाठक के आने के पहले इसके प्रबंध निदेशक शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव थे, लेकिन मंत्री चंद्रशेखर यादव से तनाव के बाद के.के. पाठक ने मंत्री जी का नजदीकी समझ कर सचिव बैद्यनाथ यादव को प्रबंध निदेशक के पद से चलता करवा दिया और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री बी. कार्तिकेय धनजी को बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक बना दिया। जब के. के. पाठक का आशीर्वाद प्राप्त हो तो फिर क्या कहना, श्री धनजी ने अपने मुख्य अभियंता ओम प्रकाश सिंह, कार्यपालक अभियंता राजेश कुमार के माध्यम से बिहार वित्तीय नियमावली 2005 का उल्लंघन कर निविदा को अपने लोगों को देने की रूपरेखा तैयार करने लगे।

बताते चले कि बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के मुख्य अभियंता के द्वारा अखबार में निविदा संख्या 12 वर्ष 23-24 निकाला जाता है, जिसमें बिहार के प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में फर्नीचर के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है। अखबार

में प्रकाशित निविदा के अनुसार बीड पत्र बिक्री की तिथि 27/07/2023 से 04/08/2023 दिन के 3:00 बजे तक होता है और अंतिम तिथि 05/08/23 होता है। मतलब सिर्फ 9 दिनों का समय था, लेकिन तय समय यानी 27 को निविदा www.eproc2.bihar.gov.in इन पर अपलोड नहीं की जाती है और फिर बिना अखबार में प्रकाशित किए एक को Corrigendum निकाला जाता है, जिसमें बीड अपलोड/डाउनलोड की तिथि बढ़ाकर 07/08/2023 से 15/08/2023 दिन के 3:00 बजे कर दी जाती है। निविदा की अंतिम तिथि 16/08/2023, यानी मात्र सिर्फ 9 दिन की होती है।

बिहार स्टेट एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निकाली गई निविदा संख्या 12 वर्ष 2023-2024 में निविदा 70 करोड़ के लिए निकाली गई थी, बिहार वित्त नियमावली (BFR) के रूल 131 के तहत 25 लाख से ऊपर विज्ञापित निविदा निकाली जाती है। बिहार स्टेट एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निकाली गई निविदा भी विज्ञापित निविदा है, इसलिए BFR के रूल 131(H) के नियम के तहत कम से (कम 3 सप्ताह) 21 दिनों का समय होना चाहिए।

अखबार में विज्ञापन के अनुसार निविदा की अंतिम तिथि -05/08/23 तो फिर चुपके से Corrigendum निकालकर निविदा की अंतिम तिथि 16/08/2023 होना और निविदा डालने के लिए मात्र 9 दोनों का समय देना, कहीं नहीं कहीं निविदा में भारी भ्रष्टाचार को दिखाता है। इसके

साथ ही केवल सच द्वारा निविदा देख रहे अभियंता अभिजीत के मोबाइल नंबर-9709517525 पर बार-बार फोन करने के बाद भी फोन नहीं उठाना और उठाकर भी सही जवाब नहीं देना भ्रष्टाचार को दिखाता है। इस निविदा में मुख्य अभियंता की कार्यशैली सरकार के नियमों के विपरीत है, जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। निविदा का प्रारूप भी किसी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है।

02/09/2023 को समाचार पत्रों में बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड का एक रीकोटेशन सीमित निविदा पूछताछ प्रकाशित की गई, जिसमें निविदा संख्या-04/2023-24, जिसमें निविदा डाउनलोड की अंतिम तिथि 18/09/2023, समय 3:00 पीएम, निविदा समर्पित करने की अंतिम तिथि 18/09/2023, समय 3:00 पीएम, निविदा समाचार पत्र में प्रकाशित होने की तिथि-02/09/2023 इसमें कितना समय निविदा पढ़ने में और उसको जमा करने में दिया गया है, जबकि ई एमडी और निविदा कागजात बीएसईआईडीसी मुख्यालय में जमा करना है। सीमित निविदा पूछताछ के लिए बिहार वित्त नियमावली 2005 के नियम 131 (झ) और 131 (I) लिमिटेड टेंडर इंक्वारी में कहा गया है कि निविदा समर्पित करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना आवश्यक है।

बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड
BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
(A Govt. of Bihar Undertaking)
ISO 9001:14001;OHSAS 18001
Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasa, Parishad Campus, Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna-800004
Tel. No : 0612 - 2660850 *Fax No : 0612 - 2660256
E-mail: bseidc@gmail.com * Website : http:/www.bseidc.in * CIN: U80301BR2010SGC015859

Letter no.:- BSEIDC/NIT(2023-24)/2023/1439- 6693 Date:- 14/8/23

Corrigendum No.-03

With reference to Notice Inviting Tender No-12/2023-24 through through various newspaper and e-tendering **website:- www.eproc2.bihar.gov.in/www.bseidc.in,** the following amendments have been made as mentioned below:-

Amendments in the important date related to tender

Sl. No.	Existing Provision as par Corrigendum-02	Amended Provision
1.	Period of Sale of Bid Document (Download / Upload) from **Date 07-08-2023 to 15-08-2023, 15:00 Hrs.**	Period of Sale of Bid Document (Download / Upload) from **Date 07.08.2023 to 21.08.2023, 15:00 Hrs.**
2.	Date / Time for submission of Original/Hard copy of Tender fee, EMD and Tender documents on **Date-16.08.2023 upto 15:00 Hrs** in the office of BSEIDC.	Date / Time for submission of Original/Hard copy of Tender fee, EMD and Tender documents on **Date-22.08.2023 upto 15:00 Hrs** in the office of BSEIDC.
3.	Date / Time for Opening of Technical Bid dated: **16.08.2023 at 15:30 Hrs**	Date / Time for Opening of Technical Bid dated: **22.08.2023 at 15:30 Hrs**

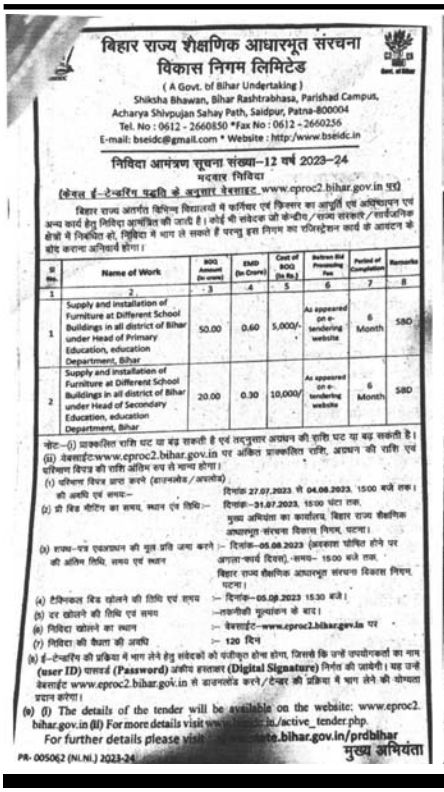

The other terms and conditions will remain unchanged.

14/8/23

Chief Engineer

केवल सच के पूर्व के पत्र पर मुख्य सचिव बिहार संज्ञान लेते हुए अपर मुख्य सचिव महोदय शिक्षा विभाग बिहार को पत्रांक संख्या-6017, दिनांक-23/08/2023 को पत्र भेजा

बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड
(A Govt. of Bihar Undertaking)
Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasa, Parishad Campus,
Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna-800004
Tel. No : 0612 - 2660850 *Fax No : 0612 - 2660256
E-mail: bseidc@gmail.com * Website : http:/www.bseidc.in

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-12 वर्ष 2023-24
मदवार निविदा
(केवल ई-टेन्डरिंग पद्धति के अनुसार वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर)

बिहार राज्य अंतर्गत विभिन्न विद्यालयों में फर्नीचर एवं फिक्सर का आपूर्ति एवं अधिष्ठापन एवं अन्य कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। कोई भी संवेदक जो केन्द्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्रों में निबंधित हो, निविदा में भाग ले सकते हैं परन्तु इस निगम का रजिस्ट्रेशन कार्य के आवंटन के बाद कराना अनिवार्य होगा।

Sl No.	Name of Work	BOQ Amount (in crore)	EMD (In Crore)	Cost of BOQ (In Rs.)	Bid Processing Fee	Period of Completion	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Supply and installation of Furniture at Different School Buildings in all district of Bihar under Head of Primary Education, education Department, Bihar	50.00	0.60	5,000/-	As appeared on e-tendering website	6 Month	SBD
2	Supply and installation of Furniture at Different School Buildings in all district of Bihar under Head of Secondary Education, education Department, Bihar	20.00	0.30	10,000/	As appeared on e-tendering website	6 Month	SBD

नोट-(i) प्राक्कलित राशि घट या बढ़ सकती है एवं तद्नुसार अग्रधन की राशि घट या बढ़ सकती है।
(ii) वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर अंकित प्राक्कलित राशि, अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र की राशि अंतिम रूप से मान्य होगा।

(1) परिमाण विपत्र प्राप्त करने (डाउनलोड/अपलोड) की अवधि एवं समय:- दिनांक 27.07.2023 से 04.08.2023, 15:00 बजे तक।
(2) प्री बिड मीटिंग का समय, स्थान एवं तिथि:- दिनांक-31.07.2023, 15:00 घंटा तक, मुख्य अभियंता का कार्यालय, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम, पटना।
(3) शपथ-पत्र एवं अग्रधन की मूल प्रति जमा करने की अंतिम तिथि, समय एवं स्थान :- दिनांक-05.08.2023 (अवकाश घोषित होने पर अगला कार्य दिवस), समय- 15:00 बजे तक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम, पटना।
(4) टैक्निकल बिड खोलने की तिथि एवं समय :- दिनांक-05.08.2023 15:30 बजे।
(5) दर खोलने की तिथि एवं समय :- तकनीकी मूल्यांकन के बाद।
(6) निविदा खोलने का स्थान :- वेबसाईट-www.eproc2.bihar.gov.in पर
(7) निविदा की वैधता की अवधि :- 120 दिन
(8) ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों को पंजीकृत होना होगा, जिससे कि उन्हें उपयोगकर्ता का नाम **(user ID)** पासवर्ड **(Password)** अंकीय हस्ताक्षर **(Digital Signature)** निर्गत की जायेगी। यह उन्हें वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in से डाउनलोड करने/टेन्डर की प्रक्रिया में भाग लेने की योग्यता प्रदान करेगा।
(9) (i) The details of the tender will be available on the website: www.eproc2.bihar.gov.in (ii) For more details visit www.bseidc.in./active_tender.php.
For further details please visit [illegible]state.bihar.gov.in/prdbihar

मुख्य अभियंता

PR- 005062 (NI.NI.) 2023-24

बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड
BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
(A Govt. of Bihar Undertaking) ISO 9001:14001:OHSAS 18001
Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasa, Parishad Campus, Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna-800 004
Tel. No : 0612 - 2660850 *Fax No : 0612 - 2660256
E-mail: bseidc@gmail.com * Website : http:/www.bseidc.in

अल्पकालीन पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना संख्या - 22 वर्ष 2023-24
प्रतिशत दर निविदा
(केवल ई-टेन्डरिंग पद्धति के अनुसार वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर)

बिहार राज्य में विभिन्न निर्माण हेतु अल्पकालीन पुनर्निविदा आमंत्रित की जाती है। कोई भी संवेदक जो केन्द्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्रों में निबंधित हो, निविदा में भाग ले सकते हैं परन्तु इस निगम का रजिस्ट्रेशन कार्य के आवंटन के बाद कराना अनिवार्य होगा।

Sl. No.	District Name	School Name	BOQ Amount	EMD	Cost of BOQ	Bid Processing Fee	Period of Completion	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Gopalganj	Construction of internal approach road with paver block under different work of Sainik School Gopalganj in Bihar	321.98	6.44	10,000/-	As appeared on e-tendering website	6 Month	SBD'
02	Purnea	Construction of Administrative Building at G.L.M. College Banmankhi, Purnea	96.00	1.8	10,000/-	As appeared on e-tendering website	09 Months	F2
03	Nalanda	Construction of Adarsh High School and Badi Pahari High & Middle School at Biharsharif, Nalanda under Biharsharif Smart City Limited	2390.00	33.90	10,000/-	As appeared on e-tendering website	09 Months	SBD
04	Muzaffarpur	Construction of School Building (For IX & IX Class) at UHSS Bakhari, Panchayat - Sonepur, Block - Katra, District - Muzaffarpur (Group No. -320)	113.78	2.28	10,000/-	As appeared on e-tendering website	09 Months	F2
05	Saharsa	Construction of School Building (For IX & XX Class) at UHSS Ghoghsam, Panchayat - Ghoghsam, Block - Simri Bakhtiyarpur, District - Saharsa (Group No. - 44)	113.78	2.28	10,000/-	As appeared on e-tendering website	09 Months	F1

नोट-(i) प्राक्कलित राशि घट या बढ़ सकती है एवं तद्नुसार अग्रधन की राशि घट या बढ़ सकती है।
(ii) वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर अंकित प्राक्कलित राशि, अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र की राशि अंतिम रुप से मान्य होगा।

(1) परिमाण विपत्र प्राप्त करने (डाउनलोड/अपलोड) की अवधि एवं समय :- दिनांक-04.09.2023 से 11.09.2023, 15:00 बजे तक।
(2) प्री बिड मीटिंग का समय, स्थान एवं तिथि :- दिनांक-07.09.2023, 15:00 घंटा तक, मुख्य अभियंता का कार्यालय, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम, पटना।
(3) शपथ-पत्र एवं अग्रधन की मूल प्रति जमा करने की अंतिम तिथि, समय एवं स्थान :- दिनांक-12.09.2023 (अवकाश घोषित होने पर अगला कार्य दिवस), समय- 15:00 बजे तक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम, पटना।
(4) टेक्निकल बिड खोलने की तिथि एवं समय :- दिनांक-12.09.2023 समय- 15:30 बजे तक
(5) दर खोलने की तिथि एवं समय :- तकनीकी मूल्यांकन के बाद।
(6) निविदा खोलने का स्थान :- वेबसाईट-www.eproc2.bihar.gov.in पर
(7) निविदा की वैधता की अवधि :- 120 दिन
(8) ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों को पंजीकृत होना होगा, जिससे कि उन्हें उपयोगकर्ता का नाम (user ID) पासवर्ड (Password) अंकीय हस्ताक्षर (Digital Signature) निर्गत की जायेगी। यह उन्हें वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in से डाउनलोड करने/टेन्डर की प्रक्रिया में भाग लेने की योग्यता प्रदान करेगा।
(9) (i) The details of the tender will be available on the website: www.eproc2.bihar.gov.in
(ii) For more details visit www.bseidc.in./active_tender.php.
(10) विशेष जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है। ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी/सूचना हेतु eProc 2.0 Help Desk Address ; mjunction services limited RJ Complex, 2nd Floor, Canara Bank Campus, Khajpura, Ashiana Road, P.S.- Shastri Nagar, Patna - 800014, Bihar Toll Free Number 18005726571
(11) संपर्क सूत्र श्री सचिन दयाल कार्यपालक अभियंता मोबाइल नं. 9431012707

विस्तृत जानकारी **state.bihar.gov.in/prdbihar** से प्राप्त की जा सकती है।

PR- 007646 (Ni.Ni.) 2023-24

मुख्य अभियंता

10 दैनिक जागरण पटना, 3 सितंबर, 2023

बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड
(A Govt. of Bihar Undertaking)
Tel. No : 0612 - 2660850 *Fax No : 0612 - 2660256
Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasa, Parishad Campus,
Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna-800004
E-mail: bseidc@gmail.com * Website : http:/www.bseidc.in

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या - 25 वर्ष 2023-24
SBD आधारित प्रतिशत दर निविदा
(केवल ई-टेन्डरिंग पद्धति के अनुसार वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर)

[illegible]

Sl. No.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of Panchayat	Name of School	Estimated Cost (In Rs. Lakh)	Amount of EMD (In Rs. Lakh)	Cost of BOQ (In Rs.)	Completion period
1	SSS-2001	Araria	[illegible]	[illegible]	[illegible]	887.07	17.75	10,000/-	15 Month
2	SSS-2002	Araria	FORBESGANJ	[illegible]	[illegible]	887.07	17.75	10,000/-	15 Months
3	SSS-2003	Araria	[illegible]	[illegible]	[illegible]	665.30	13.31	10,000/-	15 Month
4	SSS-2004	Araria	[illegible]	[illegible]	[illegible]	665.30	13.31	10,000/-	15 Month
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PR- 007777 (Ni.Ni.) 2023-24

मुख्य अभियंता

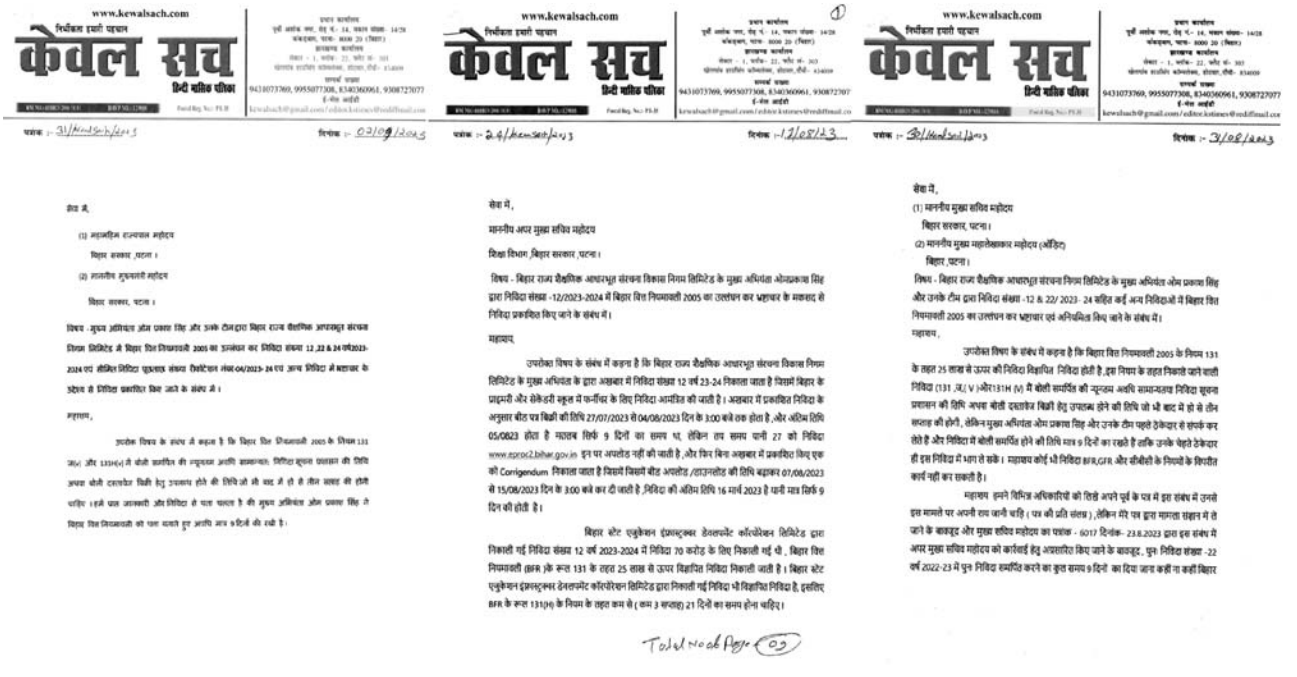

www.kewalsach.com
निर्भीकता हमारी पहचान
केवल सच
हिन्दी मासिक पत्रिका

पत्रांक :- 31/Kewal Sach/2023 दिनांक :- 02/09/2023

सेवा में,

(1) महामहिम राज्यपाल महोदय
बिहार सरकार, पटना।

(2) माननीय मुख्यमंत्री महोदय
बिहार सरकार, पटना।

विषय - मुख्य अभियंता ओम प्रकाश सिंह और उनके टीम द्वारा बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड में बिहार वित्त नियमावली 2005 का उल्लंघन कर निविदा संख्या 12, 22 & 24 वर्ष 2023-2024 एवं सीमित निविदा सूचना संख्या रिलेटेड नंबर 04/2023-24 एवं अन्य निविदा में भ्रष्टाचार के उद्देश्य से निविदा प्रकाशित किए जाने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार वित्त नियमावली 2005 के नियम 131 जे(v) और 131H(v) में बोली समर्पित की न्यूनतम अवधि सामान्यतः निविदा सूचना प्रकाशन की तिथि अथवा बोली दस्तावेज बिक्री हेतु उपलब्ध होने की तिथि जो भी बाद में हो से तीन सप्ताह की होनी चाहिए। हमें प्राप्त जानकारी और निविदा से पता चलता है की मुख्य अभियंता ओम प्रकाश सिंह ने बिहार वित्त नियमावली को धता बताते हुए अवधि मात्र 9 दिनों की रखी है।

www.kewalsach.com
निर्भीकता हमारी पहचान
केवल सच
हिन्दी मासिक पत्रिका

पत्रांक :- 24/Kewalsach/2023 दिनांक :- 12/08/23

सेवा में,

माननीय अपर मुख्य सचिव महोदय

शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।

विषय - बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के मुख्य अभियंता ओमप्रकाश सिंह द्वारा निविदा संख्या -12/2023-2024 में बिहार वित्त नियमावली 2005 का उल्लंघन कर भ्रष्टाचार के मकसद से निविदा प्रकाशित किए जाने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के मुख्य अभियंता के द्वारा अखबार में निविदा संख्या 12 वर्ष 23-24 निकाला जाता है जिसमें बिहार के प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में फर्नीचर के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है। अखबार में प्रकाशित निविदा के अनुसार बीड पत्र बिक्री की तिथि 27/07/2023 से 04/08/2023 दिन के 3:00 बजे तक होता है, और अंतिम तिथि 05/0823 होता है मतलब सिर्फ 9 दिनों का समय था, लेकिन उस समय यानी 27 को निविदा www.eproc2.bihar.gov.in इस पर अपलोड नहीं की जाती है, और फिर बिना अखबार में प्रकाशित किए एक को Corrigendum निकाला जाता है जिसमें जिसमें बीड अपलोड /डाउनलोड की तिथि बढ़ाकर 07/08/2023 से 15/08/2023 दिन के 3:00 बजे कर दी जाती है, निविदा की अंतिम तिथि 16 मार्च 2023 है यानी मात्र सिर्फ 9 दिन की होती है।

बिहार स्टेट एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निकाली गई निविदा संख्या 12 वर्ष 2023-2024 में निविदा 70 करोड़ के लिए निकाली गई थी, बिहार वित्त नियमावली (BFR) के रूल 131 के तहत 25 लाख से ऊपर विज्ञापित निविदा निकाली जाती है। बिहार स्टेट एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निकाली गई निविदा भी विज्ञापित निविदा है, इसलिए BFR के रूल 131(H) के नियम के तहत कम से (कम 3 सप्ताह) 21 दिनों का समय होना चाहिए।

Total No of Page (02)

www.kewalsach.com
निर्भीकता हमारी पहचान
केवल सच
हिन्दी मासिक पत्रिका

पत्रांक :- 30/Kewalsach/2023 दिनांक :- 31/08/2023

सेवा में,

(1) माननीय मुख्य सचिव महोदय
बिहार सरकार, पटना।

(2) माननीय मुख्य महालेखाकार महोदय (ऑडिट)
बिहार, पटना।

विषय - बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के मुख्य अभियंता ओम प्रकाश सिंह और उनके टीम द्वारा निविदा संख्या -12 & 22/ 2023- 24 सहित कई अन्य निविदाओं में बिहार वित्त नियमावली 2005 का उल्लंघन कर भ्रष्टाचार एवं अनियमितता किए जाने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार वित्त नियमावली 2005 के नियम 131 के तहत 25 लाख से ऊपर की निविदा विज्ञापित निविदा होती है, इस नियम के तहत निकाले जाने वाली निविदा (131 ,ज/(V)और131H (V) में बोली समर्पित की न्यूनतम अवधि सामान्यतया निविदा सूचना प्रकाशन की तिथि अथवा बोली दस्तावेज बिक्री हेतु उपलब्ध होने की तिथि जो भी बाद में हो से तीन सप्ताह की होगी, लेकिन मुख्य अभियंता ओम प्रकाश सिंह और उनके टीम पहले ठेकेदार से संपर्क कर लेते हैं और निविदा में बोली समर्पित होने की तिथि मात्र 9 दिनों का रखते हैं ताकि उनके चेहते ठेकेदार ही इस निविदा में भाग ले सके। महाशय कोई भी निविदा BFR,GFR और सीवीसी के नियमों के विपरीत कार्य नहीं कर सकती है।

महाशय हमने विभिन्न अधिकारियों को लिखे अपने पूर्व के पत्र में इस संबंध में उनसे इस मामले पर अपनी राय जाननी चाहि (पत्र की प्रति संलग्न) ,लेकिन मेरे पत्र द्वारा मामला संज्ञान में ले जाने के बावजूद और मुख्य सचिव महोदय का पत्रांक - 6017 दिनांक- 23.8.2023 द्वारा इस संबंध में अपर मुख्य सचिव महोदय को कार्रवाई हेतु अग्रसारित किए जाने के बावजूद, पुन निविदा संख्या -22 वर्ष 2022-23 में पुन निविदा समर्पित करने का कुल समय 9 दिनों का दिया जाना कहीं ना कहीं बिहार

लेकिन अभी तक बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड पर कोई कार्रवाई नहीं होना यह दर्शाता है कि खाने और दिखाने के दांत अलग-अलग होते हैं। इससे यह भी पता चलता है की मुख्य अभियंता ओम प्रकाश सिंह द्वारा इनाम की राशि बराबर बांटी जाती है।

केवल सच द्वारा इस संबंध में महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्य सचिव महोदय, अपर मुख्य सचिव महोदय, शिक्षा विभाग प्रबंध निदेशक महोदय बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड को पत्र लिखे जाने के बावजूद भी मुख्य अभियंता ने बिहार वित्त नियमावली 2005 का उल्लंघन करते हुए दैनिक अखबार में 03/09/2023 को निविदा संख्या-25, वर्ष 2023-24 प्रकाशित किया। जिसमें 165 स्थान पर विद्यालय भवनों का निर्माण होना तय हुआ है, जिसके निविदा की डाउनलोड और अपलोड की तिथि-18/09/2023 से 29/09/2023, समय 15:00 बजे तक और अंतिम तिथि 30/09/2023 समय 15:30 बजे तक है। अर्थात् मात्र 13 दिन का समय दिया गया है। 100 करोड़ लगभग की निविदा और समय सिर्फ 13 दिनों का, उसमें

शिक्षा विभाग: दूसरे विभागों के इंजीनियरों की सेवा होगी वापस

संवाददाता, पटना

शिक्षा विभाग में तैनात दूसरे विभागों के इंजीनियरों की सेवा उनके पैतृक विभागों में वापस होगी. शिक्षा विभाग ने शनिवार को यह फरमान जारी किया है. विभाग ने बिहार शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम को कहा है कि दूसरे विभागों से आये कनीय अभियंता से लेकर मुख्य अभियंता पद वाले सभी इंजीनियरों की सेवा तत्काल उनके पैतृक विभागों में वापस कर दी जाये.

शिक्षा विभाग ने राज्य परियोजना निदेशक और बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम के एमडी को यह आदेश दिया है. विभाग ने यह भी कहा कि इन दोनों जगहों पर जो भी कार्यरत अभियंता उपलब्ध हैं, उनका पदनाम भी बदल दिये जाये. इस आदेश के तहत अब कनीय अभियंता को कनीय प्रबंधन तकनीकी, असैनिक कहा जायेगा. इसी प्रकार सहायक अभियंता को सहायक प्रबंधक तकनीकी असैनिक, कार्यपालक अभियंता को उपप्रबंधक तकनीकी असैनिक पदनाम होगा.

बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड
BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
(A Govt. of Bihar Undertaking)
ISO 9001:14001; OHSAS 18001
Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasha Parishad Campus, Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna - 800 004
Tel. No. 0612 - 2660850 • Fax No. 0612 - 2660256
E-mail : bseidc@gmail.com Website : http: // www.bseidc.in CIN : U80301BR2010SGC015859

कार्यालय आदेश

संख्याः– 257 दिनांकः– 15.05.2023

अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा BSEIDC/BEPC में प्रतिनियुक्त सभी मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता की सेवा उनके पैतृक विभाग में वापस करने के आदेश दिये गये है। निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–04/वि16–80/2023–1592, दिनांक–09.09.2023 के आलोक में निदेशानुसार विभिन्न अधिसूचनाओं के द्वारा बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि०, पटना में प्रतिनियुक्त/पदस्थापित निम्नांकित मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता एवं सहायक अभियंता की सेवा तत्काल प्रभाव से उनके पैतृक विभाग को वापस की जाती है।–

क्र०सं०	नाम	पदनाम	पैतृक विभाग	अधिसूचना
1	श्री ओम प्रकाश सिंह	मुख्य अभियंता	पथ निर्माण विभाग	1/स्था०–13/2014–3748 (S). दिनांक–30.06.2023
2	श्री अरविन्द कुमार सिंह	अधीक्षण अभियंता	पथ निर्माण विभाग	1/स्था०–08/2021–3696 (S). दिनांक–30.06.2023
3	श्री राजेश कुमार	कार्यपालक अभियंता	पथ निर्माण विभाग	1/स्था०–08/2021–3040 (S). दिनांक–21.06.2022
4	श्री सचिन दयाल	कार्यपालक अभियंता	पटना विश्वविद्यालय	स्था०/102. दिनांक–10.01.2023
5	श्री बबलू कुमार	सहायक अभियंता	पथ निर्माण विभाग	प्र०2/स्था०–नियुक्ति–01–01/2021 (खंड सचिका)–1912 (S). दिनांक–12.04.2022
6	श्री राजीव कुमार	सहायक अभियंता	पथ निर्माण विभाग	
7	श्री सुनील कुमार शर्मा	सहायक अभियंता	पथ निर्माण विभाग	प्र०2/स्था०–07–03/2019–5619 (S). दिनांक–11.11.2022
8	श्री सुनील कुमार	सहायक अभियंता	योजना एवं विकास विभाग	
9	श्री धनजय कुमार	सहायक अभियंता	योजना एवं विकास विभाग	
10	श्री मुकेश कुमार	सहायक अभियंता	योजना एवं विकास विभाग	
11	श्री दीपक कुमार वर्मा	सहायक अभियंता	योजना एवं विकास विभाग	यो०स्था०4/2–09/2022–1932 /यो०वि०, दिनांक–13.05.202022
12	श्री परमानन्द कुमार	सहायक अभियंता	योजना एवं विकास विभाग	
13	श्री मो० मुजाहिद आलम	सहायक अभियंता	योजना एवं विकास विभाग	
14	श्री मनीष कुमार यादव	सहायक अभियंता	योजना एवं विकास विभाग	
15	श्री अमित कुमार	सहायक अभियंता	योजना एवं विकास विभाग	
16	सुश्री वंदना शर्मा	सहायक अभियंता	योजना एवं विकास विभाग	यो०स्था०4/2–09/2022–1932 /यो०वि०, दिनांक–13.05.202022
17	श्री धीरज कुमार	सहायक अभियंता	भवन निर्माण विभाग	भवन/स्था०–02–पद–01/2023 – 5313 (भ). दिनांक–30.06.2023

उपर्युक्त सभी अभियंता को अपने पैतृक विभाग में योगदान करने हेतु दिनांक–15.09.2023 के अपराह्न से विमुक्त किया जाता है। सभी अभियंता बिना पारगमण अवधि का उपयोग किये हुए अपने पैतृक विभाग में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

उक्त आदेश पर प्रबंध निदेशक, BSEIDC का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
महाप्रबंधक (प्रशासन)
BSEIDC, पटना

ज्ञापांकः–BSEIDC/ABM2N/524/2021-745) दिनांकः–

प्रतिलिपिः–सभी संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह०/–
महाप्रबंधक (प्रशासन)
BSEIDC, पटना

ज्ञापांकः–BSEIDC/ दिनांकः–

प्रतिलिपिः–उप सचिव (प्रबंधन कोषांग), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/कुलसचिव, पटना विश्वविद्यालय, पटना/सरकार के उप सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सरकार के उप सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
महाप्रबंधक (प्रशासन)
BSEIDC, पटना

ज्ञापांकः–BSEIDC/ दिनांकः–

प्रतिलिपिः– वरीय वास्तुविद्/कंपनी सचिव/वरीय लेखा पदाधिकारी, BSEIDC, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
महाप्रबंधक (प्रशासन)
BSEIDC, पटना

ज्ञापांकः–BSEIDC/ABM2N/524/2021-745) दिनांकः– 15.05.2023

प्रतिलिपिः–निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

15.9.23
महाप्रबंधक (प्रशासन)
BSEIDC, पटना

केवल सच के पत्रों के बाद मुख्य अभियंता और कार्यपालक अभियंता ने मूल विभाग को वापस कर दिया, लेकिन केवल सच का प्रश्न अभी तक खड़ा है की बिहार वित्त नियमावली का उल्लंघन किसके कहने पर और क्यों किया गया। साथ ही पुराने सवेंदक का 500 से ऊपर बिल क्यों लंबित है?

संवेदक को जगह भी देखना है और निविदा भी समर्पित करना है।

जिस तरह अपर मुख्य सचिव अपने आगे किसी का नहीं सुनते हैं, उसी प्रकार धनजी और उनके मुख्य अभियंता ओम प्रकाश सिंह और कार्यपालक अभियंता राजेश कुमार, बिहार वित्त नियमावली 2005 को भी नहीं मानते हैं। सभी संबंधित अधिकारी सहित राज्य के मुखिया को इस संबंध में जानकारी होने के बावजूद बिहार वित्त नियमावली को नहीं मानते हुए इस निविदा को प्रकाशित करना भ्रष्टाचार की सारी कहानी को खुद व खुद उजागर कर देता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन की सरकार में जिस तरह बिहार वित्त नियमावली का उल्लंघन हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री मुख्य दर्शक बनकर देख रहे हैं, यह बिहार में बहुत बड़े वित्तीय अनियमितता को दिखाता है। अगर अंकेक्षण दल द्वारा ईमानदारी से बिना पैसा लिए अंकेक्षण

conditions of the purchase should be in line with those specified in the rate contract. The Department shall make its own arrangement for inspection and testing of such goods where required.
(2) The State Purchase Organisation (e.g. DGS&D) should host the specifications, prices and other salient details of different rate contracted items, appropriately updated, on the web site for use by the procuring Department.

Rule 131F. A demand for goods should not be divided into small quantities to make piece meal purchases to avoid the necessity of obtaining the sanction of higher authority required with reference to the estimated value of the total demand.

Rule 131G. Purchase of goods by obtaining bids: Except in cases covered under **Rule 131C, 131D and 131E(1),** Departments shall procure goods under the powers referred to in **Rule 128** above by following the standard method of obtaining bids in :
(i) Advertised Tender Enquiry;
(ii) Limited Tender Enquiry;
(iii) Single Tender Enquiry.

Rule 131H. Advertised Tender Enquiry.
(i) Subject to exceptions incorporated under **Rules 131I and 131J,** invitation to tenders by advertisement should be used for procurement of goods of estimated value Rs. 25 lakh (Rupees Twenty Five Lakh) and above. Advertisement in such case should be given in the Indian Trade Journal (ITJ), published by the Director General of Commercial Intelligence and Statistics, Kolkata and at least in one national daily having wide circulation.
(ii) An organisation having its own web site should also publish all its advertised tender enquiries on the web site and provide a link with NIC web site. It should also give its web site address in the advertisements in ITJ and newspapers.
(iii) The organisation should also post the complete bidding document in its web site and permit prospective bidders to make use of the document downloaded from the web site. If such a downloaded bidding document is priced, there should be clear instructions for the bidder to pay the amount by demand draft etc. along with the bid.
(iv) Where the Department feels that the goods of the required quality, specifications etc., may not be available in the country and it is necessary to also look for suitable competitive offers from abroad, the Department may send copies of the tender notice to the Indian embassies abroad as well as to the foreign embassies in India. The selection of the embassies will depend on the possibility of availability of the required goods in such countries.
(v) Ordinarily, the minimum time to be allowed for submission of bids should be three weeks from the date of publication of the tender notice or availability of the bidding document for sale, whichever is later.Where the department also contemplates obtaining bids from abroad, the minimum period should be kept as four weeks for both domestic and foreign bidders.

Rule 131I. Limited Tender Enquiry.
(i) This method may be adopted when estimated value of the goods to be procured is up to **Rupees** Twenty-five Lakhs. Copies of the bidding document should be sent directly by speed post/registered post/courier/e-mail to firms which are borne on the list of registered **suppliers** for the goods in question as referred under **Rule 131 above.** The number of supplier **firms** in Limited Tender Enquiry should be more than three. Further, web based publicity **should** be given for limited tenders. Efforts should be made to identify a higher number of **approved** suppliers to obtain more responsive bids on competitive basis.
(ii) Purchase through Limited Tender Enquiry may be adopted even where the estimated value **of the** procurement is more than Rupees twenty five Lakhs, in the following circumstances.
(a) The competent authority in the Department certifies that the demand is urgent and any **additional** expenditure involved by not procuring through advertised tender enquiry is justified

किया जाए तो सारा मामला उजागर हो जाएगा।

बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के मुख्य अभियंता ओम प्रकाश सिंह ने ऐसा जाल बुना है कि वर्षों पुराने संवेदकों का 200 से ज्यादा अंतिम विपत्र भुगतान के लिए कार्यालय में 6 महीना से अधिक लंबित है। साथ ही कई कार्यो का तकनीकी स्वीकृति हेतु वेरिएशन का फाइल भी लंबित है, जिसके कारण विकास कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पर रहा है और जिसके कारण पुराने संवेदक नहीं आ रहे हैं तथा इसका फायदा उठाते हुए ओम प्रकाश सिंह अपने चहेते संवेदकों को शेड्यूल रेट पर कार्य आवंटित कर रहे हैं। प्रतियोगिता कम रहने के कारण सरकारी राजस्व को भी करोड़ों का नुकसान लग रहा है। स्कूल और विद्यालय का आधारभूत संरचना नहीं होने के कारण बिहार जैसे गरीब राज्य की शिक्षा भी प्रभावित हो रहा है।●

के.के. की करतूत से उबीया गये हैं शिक्षक, शिक्षा मंत्री और राज्यपाल!

● **अमित कुमार/शशि रंजन सिंह**

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के.के. पाठक पदभार ग्रहण करने के बाद से ही काफी सक्रिय है और आए दिन उनके द्वारा लिए जा रहे फैसले चर्चा का विषय बने हुए हैं। इंटरनेट की भाषा में सोशल मीडिया पर इन दिनों उन्हीं की चर्चा हो रही है। ट्विटर और फेसबुक के अलावा इंस्टाग्राम पर भी के.के. पाठक छाए हुए हैं। अखबारों के पन्नों पर उनकी चर्चा जरूर होती है। रोजाना उन्हें लेकर वीडियो जारी होते हैं। शिक्षकों का बयान जारी होता है। हाल में रक्षाबंधन की छुट्टी रद्द करने और दशहरा, दिवाली और छठ की छुट्टी कम करने को लेकर बिहार के शिक्षक उनसे नाराज हैं। शिक्षक कोर्ट जाने के अलावा आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। शिक्षक संघ उन्हें तानाशाह तक करार दे रहा है। गौरतलब है कि लगभग 3 महीने में 100 से अधिक फरमान के.के. पाठक ने जारी कर दिए हैं। शिक्षा और शिक्षा विभाग में सुधार लाने के लिए वो प्रतिदिन नए-नए निर्णय ले रहे हैं। दरअसल अब के-के- पाठक ने निर्णय लिया है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद और बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड में जो पदाधिकारी और कर्मी 3 वर्ष या इससे अधिक समय से कार्य कर रहे हैं, उनको जिला में ट्रांसफर किया जाएगा।

इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के.के. पाठक ने बीईपी के राज्य परियोजना निदेशक और निगम के प्रबंधन निदेशक को निर्देश जारी कर दिया है। वही के.के. पाठक ने निर्देश जारी कर ये भी कहा है कि क्षेत्रीय स्तर पर गैर तकनीकी सेवा के जो कर्मी हैं, उनकी भी बदली की जाए। खासकर ऐसे कर्मी जो एक ही जिले में 3 वर्ष या इससे अधिक समय से पदस्थापित हैं। के.के. पाठक ने अपने निर्देश पत्र में बीईपी निदेशक और निगम के प्रबंधन निदेशक को यह भी कहा है कि बीईपी द्वारा हाल ही में क्षेत्रीय स्तर पर पदस्थापित सभी सहायक और कनीय अभियंताओं का स्थानांतरण किया गया है। इसी क्रम में बीईपी क्षेत्रीय स्तर के कर्मी का तबादला किया जाए। के.के. पाठक ने अपने पत्र में साफ लिख है कि बीईपीसी क्षेत्रीय स्तर पर गैर तकनीकी सेवा के जो कर्मी है, उनकी भी बदली की जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो पदाधिकारी और कर्मी 3 वर्ष से अधिक समय से पदस्थापित हैं, उन्हें जिलों में भेजकर जिलों से एक पदाधिकारी और कर्मी मंगाया जाए।

बताते चले कि के.के. पाठक जब से शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव बनाए गए हैं तब से उनका और विवाद का चोली दामन का संबंध हो गया है। कभी शिक्षा मंत्री से तानातनी तो कभी शिक्षकों की छुट्टियों की कटौती को लेकर बवाल, कभी राजभवन से टकराव को

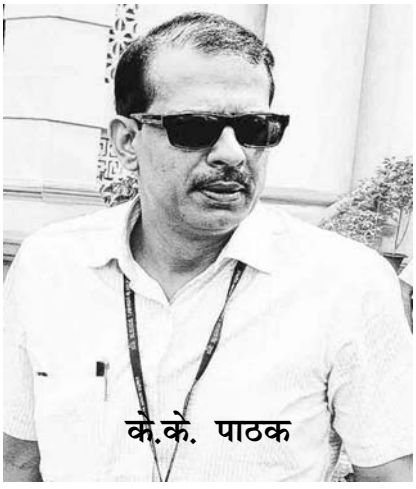

के.के. पाठक

लेकर के.के. पाठक लगातार सुर्ख़ियों में रहे हैं तो अब ताजा मामला बीपीएससी शिक्षक बहाली के डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया से शिक्षा विभाग के अधिकारियों और शिक्षकों की ड्यूटी को लेकर शुरु हो गया है। पूर्व में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के.के. पाठक के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद ने बीपीएससी सचिव को पत्र लिख कर नियमावली का हवाला देते हुए शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रमाण पत्र के सत्यापन की प्रक्रिया में शिक्षा विभाग के अधिकारियों और शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पर आपत्ति जताई थी और कर्मियों को तुरंत कार्य मुत्तफ करने का निर्देश दिया था। इसके बाद बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बिना नाम लिए के.के. पाठक को कठघरे में खड़ा करते हुए सोशल साइट एक्स पर करारा हमला किया है। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा है कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होनें तल्ख टिप्पणी करते हुए लिखा है कि कुछ तत्व शिक्षक बहाली परीक्षा की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को रद्द करवाना चाहते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने पाठक का नाम लिए बिना हमला करते हुए कहा कि सरकार ने खुद ही पहले अफसरों की ड्यूटी लगाई और बाद में बदल दिया। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो तत्व हमारी शिक्षक बहाली परीक्षा की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को रद्द कराना चाहते हैं, उन्हे और मेहनत करनी चाहिए। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने एक्स पर किए पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिखा है, लेकिन जानकारों का कहना है कि उन्होंने सीधा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के.के. पाठक पर निशाना साधा है। बता दें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के.के. पाठक से न सिर्फ राज्य के शिक्षक परेशान हैं बल्कि अनौपचारिक तौर पर उनके विभाग के मंत्री और अब बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की भी नाराज बताए जा रहे हैं। जहां मंत्री सार्वजनिक मंच पर इशारों ही इशारों में पाठक पर निशाना साध रहे हैं तो वहीं अब लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ट्वीट कर इशारों ही इशारों में पाठक को बड़ी चेतावनी दे डाली है। दरअसल 4 सितंबर से बीपीएससी शिक्षक बहाली के तहत अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। इसको लेकर के.के. पाठक और अतुल प्रसाद आमने-सामने हैं। के.के. पाठक ने फरमान जारी करते हुए पहले ही कहा है कि शिक्षकों से पढ़ाई के अलावा

अन्य दूसरे विभागों के काम ना करवाए जाए। शिक्षा विभाग ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मामले को लेकर बीपीएससी अध्यक्ष को बीते दिनों एक पत्र भेजा था। इसमें कहा गया कि नियुत्तिफ

कन्हैया प्रसाद

अतुल प्रसाद

नियमावली के तरह वेरिफिकेशन का काम न्युक्ति प्राधिकार का है। ऐसे में बीपीएससी ने नियमों के विपरीत शिक्षकों के साथ शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ड्डूटी भी वेरिफिकेशन के काम में लगा दी है। किसी भी हाल में ना तो यह स्वीकार्य है और ना ही शिक्षा के हित में है। शिक्षा विभाग के कर्मियों की ड्डूटी से अनावश्यक श्रम का भी दुरुपयोग हो रहा है। बता दें कि राज्य के माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालय में चल रही 1-70 लाख शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया का डॉक्यूमेंट सत्यापन का कार्य चल रहा है। इसको लेकर कई जगहों पर टीचरों की भी ड्डूटी लगाई गई थी। इसके बाद शिक्षा विभाग के सचिव ने पत्र लिखकर कहा था कि टीचरों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कार्य में लगाने से शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ रहा है। इसके बाद बिहार सरकार के तरफ से टीचरों की ड्डूटी रद्द कर दी गई थी। वहीं, टीचरों की ड्डूटी रद्द होने के बाद अब बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नाराजगी सामने आई है। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि, 'सरकार अपने अधिकारियों को प्रतिनियुत्तिफ करती है और बाद में उन्हें बदल देती है। इससे हमें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती। लेकिन अगर ऐसे तत्वों की बात करें जो टीआरई-डीवी रद्द कराने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें और ज्यादा कोशिश करनी चाहिए'। अतुल प्रसाद के इस ट्वीट से यह साफ है कि शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया किसी भी हाल में रुकने वाली नहीं है। लेकिन पाठक को सरकारी कार्य में अधिक दखलंदाजी नहीं करनी

वैद्यनाथ यादव

रॉबर्ट एल चोंगथू

चाहिए। मालूम हो कि, बिहार के माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालयों में चल रही 1-70 लाख शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अपने निर्णायक मोड़ पर है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्राथमिक शिक्षक पद से बाहर हुए बीएड अभ्यर्थी खुद को भर्ती में शामिल किए जाने की मांग उठाने लगे हैं। ऐसे ही अभ्यर्थियों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के दस्तावेज सत्यापन को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने अपना सख्त संदेश दिया है। वही बताते चलें कि, 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड पास अभ्यर्थियों की जरूरत नहीं है। इसके लिए डीएलएड पास ही पर्याप्त योग्यता रखते हैं। इसके बाद से प्राइमरी शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों बीएड अभ्यर्थियों पर आशंकाओं के बादल मंडराने लगे हैं। इसी क्रम में बिहार में चल रही शिक्षक भर्ती में भी प्राथमिक शिक्षक पद से बीएड धारकों को बाहर होने के संकेत मिल चुके हैं।

बहरहाल केके पाठक का कुलपतियों को लेकर राजभवन से हुआ विवाद अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि शिक्षा विभाग के शिक्षक बहाली परीक्षा की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शिक्षकों, अधिकारियों के अलग होने के निर्णय का विवाद शुरु हो गया है। अब बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के.के. पाठक आमने-सामने हैं, देखना होगा इस विवाद का पटाक्षेप कैसे होता है। गौरतलब हो कि राजभवन की ओर से जारी एक पत्र के.के. पाठक के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस पत्र में बिहार के सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को आदेश दिया गया है कि राजभवन के अलावा किसी के आदेश को नहीं मानना है। बिहार के विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति विज्ञापन को लेकर राजभवन और सरकार के बीच छिड़ी लड़ाई को सुलझे अभी एक पखवाड़ा भी नहीं बीता है कि विश्वविद्यालय के कुलपति को दिशा-निर्देश जारी करने के अधिकार पर शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव, राजभवन से आर-पार के मूड में हैं। राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगथू ने सभी कुलपतियों को पत्र भेजकर कहा था कि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों में सिर्फ कुलाधिपति यानी राज्यपाल के ही आदेश का पालन करें और कोई निर्देश मांगना हो तो राजभवन से ही संपर्क करें। अपर मुख्य सचिव के.के. पाठक और शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव ने भी सारे कुलपति को सरकार की तरफ से एक चिट्ठी भेजकर बताया

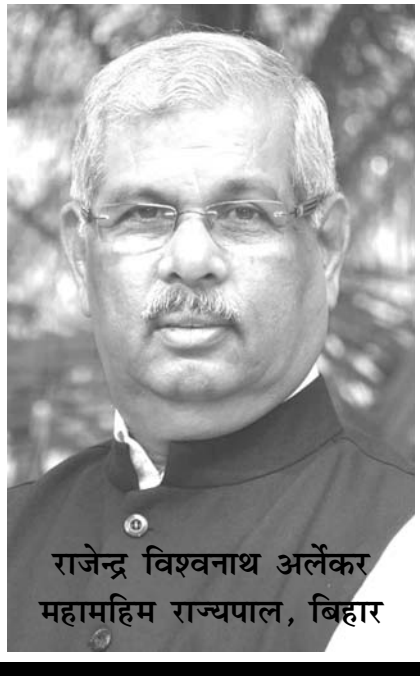
राजेन्द्र विश्वनाथ अर्लेकर
महामहिम राज्यपाल, बिहार

है कि कुलपति को क्या करना है, क्या नहीं। शिक्षा सचिव ने राजभवन को भी कड़ा पत्र लिखा है। राज्यपाल की ओर से यूनिवर्सिटी के कुलपतियों को पत्र लिखा गया है। पत्र में कहा गया है कि राजभवन और राज्यपाल के सेक्रेटेरियट के अलावा किसी अन्य की ओर से यूनिवर्सिटी को निर्देश देना उनकी स्वायत्तता के अनुकूल नहीं है। पत्र में ये भी कहा गया है कि ऐसा देखा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता की अनदेखी की जा रही है। किसी अन्य की ओर से आदेश जारी किया जा रहा है। बता दें इसमें बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 54 के खिलाफ है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि इस वजह से सिर्फ और सिर्फ राज्यपाल के सचिवालय की ओर से जारी निर्देशों का ही कुलपति के अलावा सभी विवि के तमाम अधिकारी पालन करेंगे। ध्यान रहे कि बिहार के यूनिवर्सिटी की काम-काज की आजादी को लेकर राजभवन और राज्य सरकार के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। उसके बाद यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता को लेकर राज्यपाल की ओर से ये आदेश जारी किया गया है। ध्यान रहे कि इससे पूर्व 2009 में भी राजभवन की ओर से कुलपतियों को आदेश जारी किया गया था। उस पत्र में भी ये चर्चा की गई थी कि राज्यपाल के सचिवालय के आदेशों का ही पालन किया जाए। सनद् रहे कि राजभवन से निर्गत पत्र शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के.के. पाठक पर राजभवन की ओर से लगाम लगाने की कवायद की गई है। राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर की ओर से जारी आदेश को राजभवन सचिवालय ने सभी कुलपतियों के पास भेज दिया है। इस आदेश में साफ कहा गया है कि वीसी सिर्फ राजभवन की ओर से जारी आदेश और निर्देश का पालन करेंगे। किसी भी अन्य स्तर पर जारी

बैद्यनाथ यादव, भा०प्र०से०
सचिव
Baidyanath Yadav, I.A.S.
Secretary

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
विकास भवन, पटना - 800 015
Government of Bihar
Education Department
VIKAS BHAWAN, PATNA 800 015
Tel : 0612 - 2215062
Email : secycell.education@gmail.com

Ref no. - 1847 Dated 31/Aug/2023

To,
Robert L. Chongthu
Principal Secretary to Governor

Sir,

I am directed to draw reference to your memo number 1393 dated 30.08.2023 where in you have mentioned about the unambiguous powers of the Chancellor. In that matter, the Education Department would like to be enlightened about the 'unambiguous powers' and 'authority' of the Chancellor in the matters of running the affairs of the universities of Bihar under the prevailing Act and seeks to know the relevant sections under which such powers are declared to be 'unambiguous'. It would be of great help to us if specific provisions regarding these could be made available to us.

You have also mentioned about certain individual officers undermining the 'established autonomy' of the University administration. We would like to know as to which officials have tried to do so and in what manner.

Further, it is being made absolutely clear that Education Department functions according to the prevailing Acts and Rules. You may well be aware of the fact that universities keep seeking guidelines from us and they frequently inform the Department about their problems and we try to extend support to them in whatever manner we are able to do. The Department encourages and enforces meaningful interaction with the Universities.

Lastly, the Education Department would like to inform you again that the State Government supports the universities to the tune of about Rs 4000 cr annually and is facing more than 3000 cases in the Hon'ble High Court and Hon'ble Supreme Court. If the Chancellor's Secretariate is so keen on enforcing its 'unambiguous powers' *in running the affairs of the Universities*, then the Chancellor's Secretariate is well advised to fight these court cases directly and consider filing intervention petitions in each of these.

Yours faithfully,
(Baidyanath Yadav)
Secretary

राज्यपाल सचिवालय, बिहार
Governor's Secretariat, Bihar

Letter No.- BSU-41/2023-1300 /GS(I) Dated- 17.08.2023

From
Robert L. Chongthu
Principal Secretary to Governor-cum-Chancellor, Universities of Bihar

To,
The Secretary
Education Department, Govt. of Bihar

Sir,

With reference to your memo no. 14/एम 7/23/2023-1740, dated 17-08-2023 and memo no. 1741, dated 17-08-2023 whereby you have directed for audit of Baba Saheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur as per powers vested in Government under section 54 of Bihar State Universities Act, 1976, and also you have withheld the salary of the Vice-Chancellor and Pro-Vice-Chancellor till further orders and also you have restrained the financial power of both the officers and frozen the bank accounts.

The state government under section 54 of Bihar State Universities Act, 1976 has power to audit the universities but your act to freeze the financial powers and the bank accounts is arbitrary and beyond jurisdiction. This act of yours seems to be an attack on autonomy of the University and you have encroached upon the powers of the Chancellor.

I am directed to convey that the above mentioned orders may be withdrawn and these types of unwarranted acts may be avoided in future.

Yours faithfully,
17.8.2023
(Robert L. Chongthu)
Principal Secretary to Governor-cum-Chancellor, Universities of Bihar

दिशा-निर्देश पर कोई ध्यान नहीं देंगे।

सनद् रहे कि राजभवन बनाम के-के-पाठक विवाद की मुख्य वजह यह रही कि के. के. पाठक के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने पांच विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिया था। जबकि राजभवन की ओर से पहले इसकी प्रक्रिया शुरू की जा चुकी थी। दो अलग-अलग विज्ञापन आने से आवेदक भी कंफ्यूज हो गए थे। नीतीश सरकार और राजभवन में टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर से मुलाकात की। फिर शिक्षा विभाग ने अपना विज्ञापन वापस ले लिया। इससे पहले के.के. पाठक के आदेश पर मुजफ्फरपुर की बिहार यूनिवर्सिटी के वीसी और प्रो वीसी का वेतन रोक दिया गया था और खाता फ्रीज कर दिया गया था। ज्ञात हो कि शिक्षा सचिव बैद्यनाथ यादव द्वारा जारी विभाग के आदेश में कहा गया है कि गजट अधिसूचना के अनुसार, परीक्षाओं के बैकलॉग को साफ करने और सत्र को सुव्यवस्थित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बैठक समग्र समीक्षा के लिए बुलाई गई थी, लेकिन वीसी और प्रो-वीसी की अनुपस्थिति में यह पूरी नहीं हो सकी। विश्वविद्यालय की ओर से भेजे गए पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन से पता चलता है कि विश्वविद्यालय और उसके अंतर्गत आने वाले कॉलेजों का कोई निरीक्षण नहीं किया गया है। यह विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत प्रावधानों का उल्लंघन दर्शाता है। उन्होंने आगे लिखा है कि विभाग ने अधिनियम में निर्धारित प्रावधानों के तहत विश्वविद्यालय का वित्तीय ऑडिट कराने का निर्णय लिया है। इन परिस्थितियों में, इसके बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है और अगले

शैलेन्द्र कुमार चतुर्वेदी

आदेश तक प्रभारी वीसी और प्रो-वीसी दोनों का वेतन रोक दिया गया है। उन्हें अपनी वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करने से भी रोका जाता है, जिला मजिस्ट्रेट-सह-कोषागार अधिकारी और रजिस्ट्रार, संबंधित विश्वविद्यालयों के वित्तीय सलाहकारों को एक प्रति के साथ आदेश में कहा गया है। इस पर भी राजभवन ने आदेश जारी करके रोक लगाया था। राजभवन से जारी पत्र में कहा गया था कि विश्वविद्यालय स्वायत्त हैं और स्पष्ट रूप से इनको चलाने का अधिकार चांसलर यानी गवर्नर के पास है। राजभवन ने कहा है कि यूनिवर्सिटी का प्रमुख चांसलर होते हैं और वीसी या प्रो वीसी का वेतन रोकना राज्य सरकार के अधिकार में नहीं है। ये चांसलर के अधिकार क्षेत्र में घुसना हुआ, इसलिए आदेश वापस लें सचिव और इस तरह से यूनिवर्सिटी के काम में दखलअंदाजी ना करें। हालांकि राज्य सरकार के पास विश्वविद्यालयों का ऑडिट करने की शक्ति है, लेकिन वह वित्तीय शक्तियों और बैंक खातों को जब्त नहीं कर सकती है। यह अधिनियम मनमाना और अधिकार क्षेत्र से परे है। यह विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर हमला प्रतीत होता है और आपने कुलाधिपति की शक्तियों का अतिक्रमण किया है। चोंगथू ने बैंकों को भी लिखा है कि वे राजभवन से इस संबंध में अगली

पत्रांक–14/एम07–47/2023–1655
बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

वैद्यनाथ यादव,
सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
राज्य के सभी विश्वविद्यालय,
बिहार।

पटना दिनांक- 01/Sep./2023

विषयः– विश्वविद्यालयों में शिक्षा एवं शैक्षिक प्रशासन बेहतर करने हेतु निदेश।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि आप अवगत है कि विश्वविद्यालयों का पहला उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। इस हेतु शैक्षणिक प्रशासन भी बेहतर किया जाना है। उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्न निदेश दिये जा रहें है। –

1. सभी कुलपति यथा सम्भव प्रतिदिन अपने कार्यालय आयेंगे।
2. यदि कुलपति मुख्यालय छोड़ते है या अवकाश मे जाते है तो इस आशय की सूचना शिक्षा विभाग को देंगे।
3. सभी कुलपति से आशा कि जा सकती है कि वे यथा सम्भव वर्ग संचालन भी करेंगे।
4. सभी प्राचार्य/प्राध्यापक/डीन आदि जब महाविद्यालयो के भ्रमण/निरीक्षण में जायेगें तो वे अपनी विषय–विशेषज्ञता के अनुसार वर्ग संचालन भी करेगे।
5. सभी कुलपति अवश्य ही महाविद्यालयों एव छात्रावासों का भ्रमण करेगें।
6. विभिन्न स्तर के पदाधिकारियो, प्राचार्यो, प्राध्यापको, डीन आदि (पूर्व के निदेशानुसार) को महाविद्यालयो के निरीक्षण/भ्रमण के लिए विश्वविद्यालय के मुख्यालय में अवस्थित जिला पदाधिकारी कार्यालय द्वारा निर्धारित दर पर वाहन की सुविधा आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायी जा सकती है।
7. शिक्षा विभाग के स्तर पर एक केंद्रीयकृत कमांड एण्ड कंट्रोल सेन्टर बनाया गया है (टॉल फ्री न0–14417 एवं 18003454417) जहाँ छात्रों की विभिन्न समस्याओं पर शिकायत प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय को निष्पादन हेतु अग्रसारित किया जायेगा। इस हेतु विश्वविद्यालय एक नोडल पदाधिकारी नामित कर मोबाईल संख्या सहित विभाग को उपलब्ध करायेगा।

उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(वैद्यनाथ यादव) 1/9/2023
सचिव
शिक्षा विभाग

Government of Bihar
Department of Human Resources Development

Letter No. 32 / S.C

Patna, Date ~~23-10-09~~ 27/1/2010

From
K.K. Pathak
Secretary

To
All Vice Chancellors of the Universities
All Registrars of the Universities

Subject – Regarding Affairs of the Universities.

Sir,

Over the past few months, this Department has been trying, with your active cooperation, to improve the functioning of the Universities and the general discipline in the academic environment. Significant success has been achieved in improving the work discipline of teachers, financial discipline of University administration and the academic discipline of the Students. Positive results are there for all to see as the teachers and students have returned to the campus and academic calendar is being enforced vigorously. By June this year, our academic sessions will be up to date for the first time in many years and our universities will no longer lag behind the rest of the country in terms of the academic session – a rare feat by any standards. You and Your administration deserve all the credit.

You are aware that the Universities have been monitoring regular attendance of teachers and inspecting their Colleges and sending reports to us on daily basis. However, you will agree that this arrangement at our level cannot continue forever as the Department has its arms full with the work of allotting granst to the universities and dealing with more than 2300 court cases. There are around 500 Constituent / Affiliated Colleges and it is not possible at the level of "individual officers" of this Department to keep monitoring the same for a long time.

Therefore, it has been decided that the Universities need no longer send us the daily monitoring reports and inspection reports by College Inspectors etc. Hence forth, the Universities may send only such reports as are specifically asked by this Department.

Universities are further advised –

(i) To either continue with the existing monitoring system at their own level or to migrate to their "old ways". You are thus free to choose such "model" of discipline as you may please.
(ii) To pursue the audit work directly with Auditors as standing instructions are already there for the Auditors to take up audit relating to matters of CWJC/MJC cases on priority basis.
(iii) To seek such instructions from Chancellor's Secretariat and of course the High court as you may require.
(iv) To see whether you can conduct exams as per Government notifications. If not, then place the matter before the Senate/Syndicate and seek their instructions.
(v) To seek instructions of this department only on those limited matters that is specifically required under the universities Act.

Needless to mention, we will also no longer be holding the routine monthly meeting of Registrars, Examination Controllers and other University Officials.

Thanking you

Yours Sincerely
Sd/-
(K.K.Pathak)

B.R.Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur

Memo No...44/R.....Dated, Muzaffarpur, the 19th Feb 2010.
Copy forwarded to :-
i. All Heads of the University Departments, B.R.A.Bihar University, Muz.
ii. All Principals of the Constituent Colleges under B.R.A.Bihar University, Muz
iii. All Officers of B.R.A.Bihar University, Muz.
for information and necessary action.

19.02.10
Registrar

बातचीत तक बैंक खातों को फ्रीज करने के शिक्षा विभाग के सचिव के आदेश को लागू न करें। दरअसल अतिरिक्त मुख्य सचिव (शिक्षा) के.के. पाठक ने समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसमें वीसी और प्रो वीसी शामिल नहीं हुए थे। जिसके बाद पाठक के निर्देश पर शिक्षा सचिव बैजनाथ यादव ने वेतन रोकने और वित्तीय अधिकार निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया। वीकेएस यूनिवर्सिटी (आरा) के वीसी शैलेन्द्र कुमार चतुर्वेदी इस साल मार्च से बीआरएबीयू वीसी का अतिरित्तफ प्रभार संभाल रहे हैं। दूसरी ओर राजभवन से वीसी को लिखे पत्र की कॉपी शिक्षा विभाग को भी भेजी गई थी। उस पत्र के बाद शिक्षा सचिव ने कुलपति को सीधे लिखे पत्र में कहा है कि कुलपति रोज दफ्तर में बैठें और अगर छुट्टी पर जाना हो या मुख्यालय से बाहर जाना हो तो विभाग को पूर्व में सूचना दें। कुलपति, डीन को कॉलेज का निरीक्षण करने को भी कहा गया है, जिसके लिए संबंधित जिला के डीएम वाहन भी मुहैया करा सकते हैं। शिक्षा सचिव ने वीसी से शिकायत निवारण के लिए नोडल अफसर का नाम और नंबर मांगा है जिनके पास आ रही शिकायतों को भेजा जाएगा। विभाग ने एक कमांड और कंट्रोल सेंटर का टॉल फ्री नंबर जारी किया है जिस पर छात्र-छात्र शिकायत दर्ज करा सकते हैं। राजभवन की ओर से जारी पत्र के बाद ये कहा जा रहा है कि के.के. पाठक के आदेश यूनिवर्सिटी में मान्य नहीं होंगे। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के अधिकारी और कुलपति के.के. पाठक के आदेश को फॉलो नहीं करेंगे।

गौरतलब हो कि बीआरएबीयू के वीसी हनुमान प्रसाद पांडे का कार्यकाल समाप्त होने के बाद मार्च में राजभवन ने वीकेएसयू के वीसी

हनुमान पाण्डेय

चतुर्वेदी को बीआरएबीयू का अतिरिक्त प्रभार सौंपा था। हालांकि, यह पूरी तरह से अस्थायी व्यवस्था थी और चतुर्वेदी को निर्देश दिया गया था कि वे कुलाधिपति की मंजूरी के बिना कोई भी नीतिगत निर्णय न लें। इसके तुरंत बाद, फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ऑफ बिहार ने भी कुलाधिपति को पत्र लिखा, जिसमें कुलपतियों को बुलाने की पाठक की कार्रवाई को विश्वविद्यालयों और राजभवन के अधिकार में 'अतिक्रमण' बताया गया। जो विभाग शिक्षकों और कर्मचारियों को मासिक भुगतान भी सुनिश्चित नहीं कर सकता, उसे हुक्म चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यहां तक कि वेतन और पेंशन भी तीन महीने से बकाया है, भले ही संस्थान स्वीकृत संख्या के 40% पीएफ पर काम कर रहे हों। फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ऑफ बिहार के कार्यकारी अध्यक्ष के.बी. सिन्हा और महासचिव संजय कुमार ने कहा कि वीसी का वेतन रोकना एसीएस के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। यह सर्वोच्च शैक्षणिक पद पर बैठे व्यत्तिफ को शर्मिंदा करने की एक रणनीति मात्र है। अगर एसीएस कुलपतियों की बैठक बुलाते हैं तो यह भी प्रोटोकॉल के खिलाफ है। यदि एसीएस को कोई दिक्कत है तो वह शिक्षा मंत्री के माध्यम

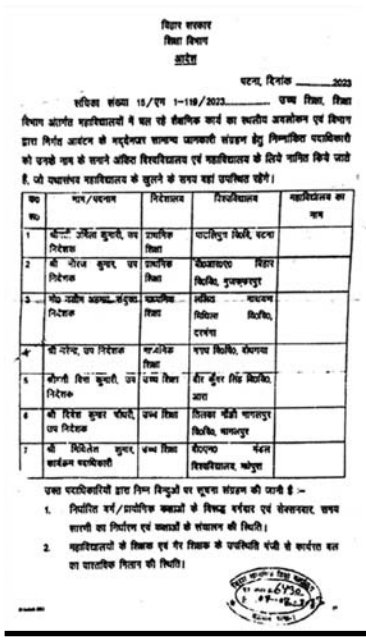

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
आदेश

पटना, दिनांक ______ 2023

स्मिता संख्या 15/एम 1-119/2023 ______ उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग अंतर्गत महाविद्यालयों में चल रहे शैक्षणिक कार्य का स्थलीय अवलोकन एवं विभाग द्वारा निर्गत आवंटन के मद्देनजर सामान्य जानकारी संग्रहण हेतु निम्नांकित पदाधिकारी को उनके नाम के सामने अंकित विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के लिये नामित किये जाते हैं, जो यथासंभव महाविद्यालय के खुलने के समय वहां उपस्थित रहेंगे।

क्र० सं०	नाम/पदनाम	निदेशालय	विश्वविद्यालय	महाविद्यालय का नाम
1	श्रीमती [illegible] कुमारी, उप निदेशक	प्राथमिक शिक्षा	पाटलिपुत्र विवि, पटना	
2	श्री नीरज कुमार, उप निदेशक	प्राथमिक शिक्षा	बी०आर०ए० बिहार विवि, मुजफ्फरपुर	
3	मो० [illegible], संयुक्त निदेशक	माध्यमिक शिक्षा	ललित नारायण मिथिला विवि, दरभंगा	
4	श्री [illegible], उप निदेशक	माध्यमिक शिक्षा	मगध विवि, बोधगया	
5	श्रीमती [illegible] कुमारी, उप निदेशक	उच्च शिक्षा	वीर कुंवर सिंह विवि, आरा	
6	श्री [illegible] कुमार [illegible], उप निदेशक	उच्च शिक्षा	तिलका मांझी भागलपुर विवि, भागलपुर	
7	श्री [illegible] कुमार, कार्यक्रम पदाधिकारी	उच्च शिक्षा	बी०एन० मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा	

उक्त पदाधिकारियों द्वारा निम्न बिन्दुओं पर सूचना संग्रहण की जानी है :-

1. निर्धारित वर्ग/प्रायोगिक कक्षाओं के विरुद्ध वर्गवार एवं सेक्शनवार, समय सारणी का निर्धारण एवं कक्षाओं के संचालन की स्थिति।
2. महाविद्यालयों के शिक्षक एवं गैर शिक्षक के उपस्थिति पंजी से कार्यरत बल का वास्तविक मिलान की स्थिति।

3. शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों की संख्या जिनका भुगतान पे-आईडी द्वारा किया जा रहा है।
4. कार्यरत कर्मियों की संख्या जिनका पे-आईडी के अतिरिक्त भुगतान हो रहा है।
5. शिक्षक एवं गैर शिक्षक कर्मियों की अनुपस्थिति में कक्षा/प्रयोगशाला संचालन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था।
6. कक्षाओं में छात्र-छात्राओं की कक्षावार उपस्थिति।
7. महाविद्यालय का अंतिम ऑडिट किस वर्ष तक हुआ है एवं अंकेक्षण आपत्ति का अनुपालन की स्थिति।
8. कैशबुक का संधारण किस तिथि तक किया गया है।
9. महाविद्यालय के Bank Passbook का Reconciliation (मिलान) की स्थिति (1 माह/3 माह/6 माह से अधिक)।
10. महाविद्यालय में विश्वविद्यालय के किसी पदाधिकारी का अंतिम भ्रमण कब हुआ था, पदनाम सहित।
11. ~~बायोमैट्रिक मशीन की संख्या/कार्यशील~~ मशीन की संख्या।
11.1. बायोमैट्रिक मशीन के डाटा के आधार पर कर्मियों Incoming attence एवं Outgoing attence का प्रतिशत क्या है ?
11.2. बायोमैट्रिक से जेनरेटेड डाटा का उपयोग छुट्टी स्वीकृति एवं वेतन भुगतान हेतु किया जाता है ? हाँ/नहीं।
12. भ्रमण किये गये महाविद्यालय की साफ-सफाई एवं कॉमन रूम/कक्षा/प्रयोगशाला/बाथरूम/खेल मैदान इत्यादि की स्थिति के संबंध में सामान्य जानकारी।
13. स्ववित्त पोषित व्यवसायिक शिक्षा से संबंधित सूचना।

ह०/-
(बैद्यनाथ यादव)
सचिव

ज्ञापांक-15/एम 1-119/2023 - 2374. पटना, दिनांक 7-07- 2023

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग के निजी सहायक/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक उच्च शिक्षा एवं सभी संबंधित नामित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव

GOVERNOR'S SECRETARIAT, BIHAR

No.BSU-19/2009(Pt)______/GS(I) Dated ______2009

ORDER

It is observed that a public confusion is being sought to be created by certain individual officials, illegally and recalcitrantly, with attempts of undermining the established autonomy of the University administration as well as the clearly laid down and unambiguous power and authority of the office of Chancellor in the matter of running the affairs of the Universities. In order to clarify the matter authoritatively and once for all, the Hon'ble Chancellor in exercise of the powers conferred on him under Section 9 Sub-Sections (7)(ii) and (8) of the Bihar State Universities Act, 1976, considers it necessary to issue direction to the Universities and, accordingly, to order that henceforth all Vice-Chancellors and other statutory officials / authorities of the Universities are required to comply with and carry out faithfully the orders / directions of, and to seek guidelines and clarifications from, the Secretariat office of the Chancellor alone in the domains of administrative and academic affairs and interests of the Universities. It is further clarified that they are in no position to feel obliged to heed in this regard any orders or directives issued without authority and jurisdiction over the Statutorily ordained University affairs by any person in derogation to clearly defined autonomy of the Universities.

By the order of the Hon'ble chancellor,

Sd/-
(K.B.K.Sahani)
Deputy Secretary to Governor, Bihar

No.BSU-19/2009(Pt) 3554 /GS(I) Dated 19.11.2009

Copy forwarded to - All the Vice-Chancellors of the Universities of Bihar / Principal Secretary, HRD (Higher Education), Govt. of Bihar, Patna for information and necessary action.

Deputy Secretary to Governor of Bihar

से ही कुलाधिपति को इसकी अनुशंसा कर सकते हैं। कुलपति कुलाधिपति के प्रति जवाबदेह होते हैं। एक वीसी को केवल तीन प्राधिकारी ही बुला सकते हैं-कुलाधिपति, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री।

बिडम्बना है कि बिहार का शिक्षा विभाग इन दिनों लगातार सुर्ख़ियों में बना रह रहा है। वही शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं के रहा था, तब इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने मुलाकात की, तो शिक्षा विभाग के अपर सचिव के.के. पाठक ने भी मुख्यमंत्री से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। दरअसल, राज्यपाल के कड़े तेवर के बाद सरकार हरकत में आई है। बता दें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के.के. पाठक पर राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने हमला किया था। उन्होंने शिक्षक दिवस पर पटना विश्विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राजभवन और मुख्यमंत्री के बीच तनाव की खबरों को सिरे से नकारते हुए कहा कि सीएम नीतीश से उनका कोई टकराव नहीं है। इसी दौरान उन्होंने के.के. पाठक को निशाने पर लिया और उन्हें जमकर सुनाया। के.के. पाठक की ओर संकेत करते हुए कहा कि एक

Date:- 19/08/2023

आमने-सामने | बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति का वेतन रोकने पर जताई नाराजगी, लिखा कड़ा पत्र

मनमानी न करे शिक्षा विभाग : राजभवन

बैंक खाता बंद करने का आदेश भी राजभवन ने पलटा

हिन्दुस्तान

बीआरए विवि के कुलपति और प्रति कुलपति के वेतन पर रोक

सीतामढ़ी और शिवहर के डीईओ-डीपीओ का वेतन बंद

दरभंगा-गोपालगंज के डीपीओ पर भी कार्रवाई

बीआरए बिहार वि के वीसी और प्रोवीसी का वेतन बंद

राज्यपाल सचिवालय, बिहार
राजभवन, पटना-800022

पत्रांक- बी.एस.यू.-41/2023-1301/रा.स.(I) दिनांक-17.08.2023

प्रेषक,
रॉबर्ट एल. चोंग्थू, भा.प्र.से.
राज्यपाल के प्रधान सचिव

सेवा में,
शाखा प्रबंधक
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, मुजफ्फरपुर
पंजाब नेशनल बैंक, मुजफ्फरपुर
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, मुजफ्फरपुर

महाशय,

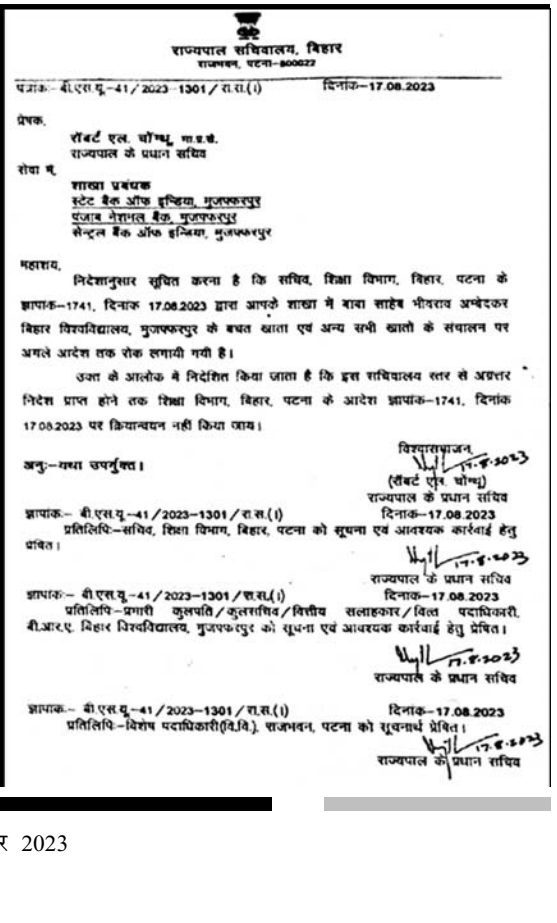

निदेशानुसार सूचित करना है कि सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-1741, दिनांक 17.08.2023 द्वारा आपके शाखा में बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के बचत खाता एवं अन्य सभी खातो के संचालन पर अगले आदेश तक रोक लगायी गयी है।

उक्त के आलोक में निदेशित किया जाता है कि इस सचिवालय स्तर से अग्रेतर निदेश प्राप्त होने तक शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक-1741, दिनांक 17.08.2023 पर क्रियान्वयन नहीं किया जाय।

अनु:-यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन,
17.8.2023
(रॉबर्ट एल. चोंग्थू)
राज्यपाल के प्रधान सचिव

ज्ञापांक- बी.एस.यू.-41/2023-1301/रा.स.(I) दिनांक-17.08.2023

प्रतिलिपि:-सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.8.2023
राज्यपाल के प्रधान सचिव

ज्ञापांक- बी.एस.यू.-41/2023-1301/रा.स.(I) दिनांक-17.08.2023

प्रतिलिपि-प्रभारी कुलपति/कुलसचिव/वित्तीय सलाहकार/वित्त पदाधिकारी, बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.8.2023
राज्यपाल के प्रधान सचिव

ज्ञापांक- बी.एस.यू.-41/2023-1301/रा.स.(I) दिनांक-17.08.2023

प्रतिलिपि-विशेष पदाधिकारी(वि.वि.), राजभवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

17.8.2023
राज्यपाल के प्रधान सचिव

सेकरेट्री को इतना साहस कहां से आया कि वह विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और कुलपति को लिखे। उन्होंने कहा कि एक अधिकारी द्वारा कुलाधिपति की ओटॉनमी पर सवाल उठाया जाता हैं। एक सेकरेट्री को इतना साहस कहां से आया। इसको लेकर सोचने की जरुरत है। दरअसल, पिछले दिनों कुलपतियों के कामकाज में दखल दिए जाने के बाद के.के. पाठक के आदेश को राजभवन ने निरस्त करने की बात कही थी। बाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात की थी। उनकी मुलाकात के पीछे मूल रूप से यही माना गया कि यह के.के. पाठक प्रकरण के कारण हुई। उसी को याद करते हुए राज्यपाल ने सवाल किया कि एक अधिकारी कैसे कुलाधिपति पर सवाल उठा सकता है। साथ ही बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी राज्यपाल ने बिहार सरकार को जमकर सुनाया। उन्होंने कहा कि 30-40 विद्यार्थियों के पीछे एक शिक्षक की जरुरत होती है। लेकिन हम कितने शिक्षक दे रहे हैं। पटना विश्विद्यालय ही नहीं हमारे सभी विश्वविद्यालय का स्तर बढ़ना चाहिए। जब शिक्षक पढ़ाएंगे तो स्तर बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि यह सोचने की जरूरत है कि क्यों शिक्षक हमारे सड़को पर आते हैं। शिक्षक दिवस तब बेहतर मनेगा, जब हमारे शिक्षक संतुष्ट होंगे। क्यों शिक्षकों के सड़क पर आंदोलन की नौबत आती हैं? वही शिक्षक दिवस के दिन यानी 5 सितंबर को बिहार के शिक्षा मंत्री प्रो- चंद्रशेखर ने राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की थी। ये मुलाकात तकरीबन 20 मिनट तक हुई थी। बता दें कि शिक्षक दिवस के मौके पर पटना यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक पर जमकर भड़के थे। पीयू के

प्रेस वार्ता करते भाजपा नेता जनक राम

कार्यक्रम में बोलते हुए राज्यपाल ने कहा था कि एक तरफ प्रशासन होगा, एक तरफ शासन होगा और एक तरफ राजभवन होगा, ऐसा नहीं। तीनों को साथ में बैठकर विचार करना होगा। हम तीनों को तीन दिशा में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही राज्यपाल ने कहा कि जब यहां ऐसे प्रश्न आते हैं कि जब शिक्षा विभाग से एक सचिव पत्र लिखता है और चांसलर के अधिकारों को चुनौती देता है, क्या आवश्यकता होती है। कुलाधिपति से पूछते हैं कि आपकी ऑटोनोमी क्या है? क्यों भई, ऑटोनोमी से आपको क्या दिक्कत हो रही है। शिक्षा विभाग के एक सचिव ऐसे पत्र लिखते हैं, उनको ऐसा साहस कैसे हुआ। किसके कारण ऐसा साहस हुआ। गवर्नर ने तंज कसते हुए कहा कि जो विश्वविद्यालय के कुलाधिपति को इतना सम्मान करते हैं, वे यूनिवर्सिटी के कुलपति हो, अध्यक्ष हो या प्रोफेसर, शिक्षक हो, उनका कितना सम्मान करते होंगे, ये समझा जा सकता है। क्या इसके लिए हमें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता नहीं है।

बहरहाल, शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के.के. पाठक और राजभवन के बीच जिस तरीके से तकरार बढ़ा हुआ है, अब उसमें बीजेपी ने एंट्री मार ली है। बीजेपी के पूर्व मंत्री जनक राम, पूर्व मंत्री भीम सिंह और विधायक लखेन्द्र पासवान ने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नीतीश सरकार पर जमकर बोला। बीजेपी नेताओं ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार अपने अधिकारियों से दलितों का अपमान करवा रहे हैं। पहले इन्होंने बिहार के कुर्सी पर बैठाकर जीतन राम का अपमान किया और आज बिहार के महामहिम राज्यपाल को अपमानित कर रहे हैं। वही, जनक राम ने कहा कि नीतीश कुमार कसम खा लिए हैं दलितों का अपमान करने का। बिहार में इनसे शिक्षा व्यवस्था संभल नहीं रहा है और यह राज्यपाल पर ठीकरा फोड़ते हैं। राज्यपाल का विशेषाधिकार होता है विश्वविद्यालय में, लेकिन उसमें यह हस्तक्षेप करते हैं। वही बीजेपी के वरिष्ठ नेता व पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं वर्तमान राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के.के. पाठक को हटाने में जितनी देर करेगी, उतनी फजीहत होगी। शिक्षा में सुधार के राजभवन के प्रयास में उतनी बाधाएं आती रहेंगी। के.के. पाठक जब से शिक्षा विभाग में हैं, तब से विभाग किसी न किसी विवाद में है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि के.के. पाठक पहले शिक्षा मंत्री से टकराए, जिसके कारण चंद्रशेखर 22 दिन तक कार्यालय नहीं आए। इसके बाद 4 साल के डिग्री कोर्स का विरोध कर शिक्षा विभाग राजभवन से भिड़ गया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के कुलपति-प्रति कुलपति का वेतन रोक देना, 6 कुलपतियों की नियुक्ति के लिए राजभवन के विज्ञापन के दो सप्ताह बाद शिक्षा विभाग से भी विज्ञापन जारी करना, रक्षाबंधन सहित कई हिंदू त्योहारों की छुट्टी रद्द करना और कुलाधिपति-सह-राज्यपाल के अधिकार को चुनौती देना एक एसीएस के ऐसे आचरण हैं, जिन पर मुख्यमंत्री को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि अब यदि सरकार की मंशा शिक्षा मंत्री और राजभवन को काम न करने देने की ही हो, तब तो शिक्षा विभाग में किसी बदलाव की आशा करना व्यर्थ है। वीसी का वेतन रोकने से लेकर स्कूलों में छुट्टियां रद्द करने तक के.के. पाठक के कई विवादास्पद आदेश सरकार को अंततः वापस लेने पड़े। सुशील मोदी ने कहा कि 2010 में इन्हें शिक्षा विभाग से हटना पड़ा था। ये किसी विभाग में 8-10 माह से ज्यादा टिक नहीं पाते। जब के-के- पाठक के आदेश बार-बार वापस

सुशील कुमार मोदी

लेने पड़े, तब उन्हें आत्म सम्मान की रक्षा के लिए स्वयं ही मुख्यमंत्री से किसी अन्य विभाग में तबादले का आग्रह करना चाहिए।

बहरहाल, लगातार विवादों में उलझ रहे अपर मुख्य सचिव (शिक्षा विभाग) के.के. पाठक की मंशा क्या है, यह सभी के समझ से बाहर है। शिक्षा विभाग में पदभार ग्रहण से ही इनके फरमान तुगलकी दिख रहे हैं और ये बाते राज्य के शिक्षक सहित विभागीय मंत्री के साथ ही अब राजभवन को भी लग रहा है। ऐसे में शिक्षा की अलख जगाने की मुहिम के.के. की भले ही बिहार के लिए लाभप्रद हो किन्तु इनके इनके फरमान से राज्य के शिक्षक, मंत्री सहित राज्यपाल भी विरोध में आ गये हैं। अब देखना यह है कि के.के. पाठक शिक्षा विभाग में और कितने दिन सेवा देने के रिकॉर्ड बना पाते हैं।

के.के. पाठक और राजभवन में विश्वविद्यालय में अधिकारों को लेकर हो रहे खींचतान पर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के प्रोफेसर श्री कृष्णा प्रसाद ने पटना उच्च न्यायालय में उच्च जनहित याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने कहा है कि हाल के पत्र में अपर मुख्य सचिव के.के. पाठक ने कहा है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी विश्वविद्यालय के मामलों में हस्तक्षेप के हकदार हैं, क्योंकि वे विश्वविद्यालय

को अनुदान प्रदान करते हैं। बीआरबी विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के बैंक संचालन पर रोक के कारण शिक्षको और कर्मचारियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि पिछले 4 महिनों से वेतन और पेंशन रुकी हुई है। शिंक्षा विभाग इसी तरह विश्वविद्यालय के मामले में हस्तक्षेप कर रह था। लेकिन बाद में गलती का एहसास हुआ और विश्वविद्याल के मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। हाल ही में शिक्षा विभाग ने एक और अवैध आदेश जारी किया है।

CHILD WELFARE COMMITTEE, WEST CHAMPARAN, BETTIAH
(A BENCH OF MAGISTRATES U/S 27(9) Of JJ Act 2015)
(Near Registry Office, In front of D.C.L.R. Office Bettiah)
Contact No. 9102936358 (C) 9128452327 (M), 8210250618 (M)
Email id - cwcbettiah2015@gmail.com

पत्रांक- 906 /बा०क०स०

प्रेषक,
अध्यक्ष/सदस्य,
बाल कल्याण समिति,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

सेवा में,
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

दिनांक -15/09/2023

विषय :- [illegible] के प्रधानाध्यापक एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी को समिति के समक्ष उपस्थित कराने के संबंध में।

महाशय,

[illegible] ... शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 एवं संविधान की धारा-21ए के अंतर्गत 14वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लेना एवं दिलाना मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य है। [illegible]

[illegible]

दिनांक - 15/09/2023

मास्टर साहब किसकी बात माने, किसकी नहीं माने; यह बड़ी दुविधा है।

वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आर के प्रोफेसर श्री कृष्णा प्रसाद ने पटना उच्च न्यायालय में उच्च जनहित याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने न्यायालय से आदेश पारित करने की मांग की है कि शिक्षा विभाग विश्वविद्यालय के मामले में हस्तक्षेप नहीं करें ताकि विश्वविद्यालय की स्वच्छता स्वायतता बनी रहे । उन्होंने कहा है विश्वविद्यालय स्वायत निकाय है जो अपने स्वंय के अधिनियमों द्वारा शासित होता है और अपने अधिकारी और कुलपति के नियंत्रण में होते है। कुलपति की नियुक्ति का अधिकार कुलाधिपति के पास होता है। कुलपति को जो आदेश दिया गया है, वह असवैंधानिक है। बिना किसी क्षेत्राधिकार और विश्वविद्यालय के स्वायतता को ठेस पहुंचाता है। केवल वही अधिकारी विश्वविद्यालय के मामले की जाँच कर सकता है जो अधिकारी विशेष रूप से 1976 के प्रावधान के तहत सशक्त है। माननीय पटना उच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालय की विभिन्न घोषनाओं से तय हो गया है कि विश्वविद्यालय की स्वयतता की रक्षा होनी चाहिए। Sub Section (2) of Section (9) बिहार स्टेट युनिवर्सिटी एक्ट 1976 चांसलर को निरीक्षण करने की अधिकार देती है। विश्वविद्यालय ऑटोनोमस बॉडीज (स्वायत) है, जिनके अपने rule होते हैं जो अपने पदाधिकारियों द्वारा चलाया जाता है। Sub Section (8) of section 10 of Act 1996 vice कुलाधिपति को निरीक्षण करने का अधिकार देती है। जो राज्य सरकार के अधिकारी महाविद्यालय visit करते है और टीचर और कर्मचारी का खंगालते हैं जो गलत है। Prevision of Act 1976 से पता चलता है। कि कोई भी राज्य सरकार के अधिकारी सहित अपर मुख्य सचिव के.के. पाठक निरीक्षण नहीं कर सकते हैं। अपर मुख्य सचिव के.के. पाठक नियमित रूप से महाविद्यालय का दौरा करते है और मनमाने तरीके से निरीक्षण करते है। कई Video जो interment पर Viral है। उसमें देखा जा रहा कि टीचर को वह गाली भी दे रहे हैं। विश्वविदयालय का काम इन दौरो से बुड़ी तरह प्रभावित हो रहा है। अपर मुख्य सचिव के. के. पाठक अपने क्षेत्राधिकार से बाहर कार्य करने के लिए जाने जाते हैं

Shesh Math singh V/s the Ver kumar singh university में फैसला सुनाया है कि विश्वविद्यालय अगली पीढी के लिए आधार है, उसे राजनितिक और सरकारी हस्तक्षेप से दूर रहो।

चूँकि विश्वविद्यालय के कनून विशेष रूप से केवल विश्वविद्यालय के महाविद्यालय का दौड़ा और निरीक्षण करने का अधिकार देते हैं। अपर मुख्य सचिव के.के. पाठक निरीक्षण और कोई निरीक्षण करने की काई क्षति नहीं, इसलिए ये आदेश गैरकानूनी है।●

बिहार में राजनीतिक हत्याकाण्ड का नहीं होता है उद्भेदन

निलेश मुखिया हत्याकाण्ड में संदिग्ध हैं पूर्व दीघा थानाअध्यक्ष राजकुमार पाण्डेय

● शशि रंजन सिंह/राजीव शुक्ला

बिहार में राजनीतिक हत्याएं होती रहती हैं। ललित नारायण मिश्रा, जगदेव बाबू, छोटन शुक्ला, बृज बिहारी, अजीत सरकार जैसे कई नाम हैं, लेकिन आज तक इन तमाम हत्याओं में किसी को सजा भी नहीं मिली है और फाइल भी बंद कर दी गई है। कहते हैं ना की राजनीति करने वालों की अपनी एक जात होती है। सनातन धर्म को जाति व्यवस्था में बात कर गाली देने वाले लोगों को चाहिए कि एक बार "राजनीतिक जाति" को भी गाली दें। हाल के वर्षों में समीर हत्याकांड, आशुतोष हत्याकांड के बाद निलेश मुखिया हत्याकांड ही सुर्खियों में रहा है, लेकिन इस राजनीतिक हत्याओं का भी वही हर्ष हो रहा है जो पूर्व के राजनीतिक हत्याओं का हुआ है।

बताते चलें कि बीते 31 जुलाई को राजधानी पटना के दीघा घाट थाना क्षेत्र में बीजेपी नेता निलेश मुखिया पर बदमाशों के द्वारा कई राउंड फायरिंग की गई थी और उन्हें 7 गोलियां लगी थी। उन्हें एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन हालत बिगड़ती देख उन्हें एयरलिफ्ट कर दिल्ली के AIIMS अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी थी। पटना जो बिहार की राजधानी है वहां कुर्जी में दिनदहाड़े निलेश मुखिया की हत्या हो जाती है। ऐसे तो इस हत्या को बालू और जमीन से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन यह विशुद्ध रूप से राजनीतिक हत्या है। निलेश मुखिया जिस इलाके से आते हैं वह इलाका यादवों का प्रभुत्व वाला इलाका में से एक आता है और मुखिया निलेश प्रसाद भी यादव जाति से आते हैं, लेकिन वह राजनीतिक रूप से भाजपा के नेता थे, यह बात राजद के स्थानीय नेतृत्व को खटकती थी। कुर्जी इलाके में राजद के बड़े नेता और बड़े बालू कारोबारी लालू दरबार के महत्वपूर्ण नवरत्न सुभाष यादव का भी घर है। पप्पू राय, धप्पू राय और गोरख राय को सुभाष यादव का राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है। 2023 के निकाय चुनाव में भी पटना के 22 बी से रीता देवी भाभी, 22 बी से रजनी देवी भाभी और पटना महापौर प्रत्याशी रजनी देवी जो पप्पू और धप्पू राय की भाभी थी उसे हार का मुंह देखना पड़ा और निलेश मुखिया की पत्नी सुचित्रा सिंह वार्ड नंबर 22 बी से चुनाव जीत गईं। सुचित्रा सिंह ने भी पटना महापौर पद के लिए नामांकन किया था लेकिन भाजपा समर्थित महापौर उम्मीदवार सीता साहू को समर्थन करते हुए अपना नामांकन वापस कर ली, सहयोग बस सीता साहू भी भारी मतों से विजय घोषित हुईं। यह बात पप्पू, धप्पू और गोरख राय को हिला कर रख दिया। उसके बाद इन लोगों को लगा कि अगर निलेश मुखिया जिंदा रहा तो हमारा राजनीतिक अस्तित्व नहीं बचेगा। इसके बाद

पप्पू, धप्पू राय ने उसे समय के दीघा थाना अध्यक्ष राजकुमार पाण्डेय के साथ मिलकर निलेश मुखिया को हत्या के झूठे केश में फंसाने की साजिश रची। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या होता है, इसका उदाहरण है निलेश मुखिया हत्याकांड? देवन राय नाम का एक आदमी निलेश मुखिया से कुछ पैसा लेता है और नहीं देने पर पंचायती होती है और तय होता है कि हर महीने किश्त के रूप में देवन राय, निलेश मुखिया को पैसे देता रहेगा, लेकिन कुछ महीने पैसा देने के बाद वह पैसा देने से इनकार कर जाता है और कहीं भाग जाता है। यह बात पप्पू राय को पता चलता है तो उसकी बांछे खिल जाती हैं और उस समय के दीघा थाना अध्यक्ष के साथ मिलकर साजिश करने लगता है और देवन की पत्नी चानो देवी से दीघा थाना में हत्या की आशंका का मामला दर्ज करवा देता है और आरोप निलेश मुखिया पर लगाया जाता है। इस कांड में उस समय नया मोड़ आ जाता है जब दीघा के सुरक्षा गेट नंबर 88 पर एक आदमी की लाश बरामद होती है। अब साजिशकर्ता दीघा के पूर्व थाना अध्यक्ष राजकुमार पाण्डेय का खेल शुरू होता है। देवन राय लगभग 5 फुट का आदमी था और लाश लगभग सारे 6.5 फुट के लगभग, लेकिन चानो देवी के मना करने के बावजूद बरामद हुआ लाश का पोस्टमार्टम करा कर लाश चानो देवी को जबरन थमा दिया जाता है और लाश का अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। तीन दिन बाद दूधमही के दिन देवन राय जिंदा प्रकट हो जाता है और राजकुमार पाण्डेय और पप्पू राय की साजिश विफल हो जाती है। दीघा थाना अध्यक्ष का राज फांस होने के डर से इस कांड का अनुसंधानकर्ता खुद बनते हैं। दीघा कांड संख्या-261/23 इसकी गवाही देता

अस्पताल में अंतिम सांस लेते निलेश मुखिया

है कि किस तरह निलेश मुखिया को पुलिस और अपराधी की जोड़ी ने फंसाने का काम किया था। देवन राय के जिंदा होने के बावजूद भी यह केश आज तक झूठा साबित नहीं हुआ। ऊपर से मृतक निलेश मुखिया सहित उसके परिवार पर धारा 107 के तहत कार्रवाई की गई। इस कांड में अभी तक यह भी खुलासा नहीं हो सका कि वह लाश किसकी थी। निलेश मुखिया के भाई सुरेश राय का कहना है कि वह लाश भी पप्पू राय और राजकुमार पाण्डेय के साजिश का शिकार हो गया है। उसके बाद राजकुमार पाण्डेय अपने को स्वच्छ और ईमानदार दिखाने के लिए एक और साजिश रची। उसने निलेश मुखिया को कहा कि आप सतर्क रहिए, पप्पू राय ने आपको मारने की सुपारी भोला राय को 20 लाख रुपया में दे दिया है। उसके बाद निलेश मुखिया ने संबंध में दीघा थाना अध्यक्ष को एक सनहा भी दिया, साथ ही पुलिस के आला अधिकारियों को भी जान-माल की रक्षा की गुहार लगाई, लेकिन भाजपा नेता होने के कारण उनके आवेदन पर ध्यान नहीं दिया गया। अब यह प्रश्न उठता है कि जब दीघा थाना अध्यक्ष राजकुमार पाण्डेय को पता था कि पप्पू और धप्पू राय, निलेश मुखिया को मरवाना चाहता है तो उस समय के थाना अध्यक्ष राजकुमार पाण्डेय ने अपराधियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की? निलेश मुखिया के भाई सुरेश राय ने केवल सच से बात करते हुए साफ तौर पर कहा कि अगर राजकुमार पाण्डेय पप्पू राय के साथ साजिश में शामिल नहीं होता और पप्पू और धप्पू को उस समय गिरफ्तार कर लिया होता तो मेरा भाई आज जिंदा होता। राजकुमार पाण्डेय खुलेआम कहते हैं कि थाना चलाने के लिए अपराधियों से सांठ-गांठ रखना जरूरी है। राजकुमार पाण्डेय का अपराधियों के साथ जन्मदिन मनाने का फोटो वायरल होने के बाद मीडिया की सुर्खियां बना था, लेकिन वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा की कृपा पात्र होने के कारण उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। पटना पुलिस प्रशासन पर भारी दबाव के बाद राजीव मिश्रा ने भारी मन से सिर्फ राजकुमार पाण्डेय को लाइन हाजिर कर इति श्री कर दिया। पप्पू और धप्पू कई हत्याकांड में सजायाफ्ता अपराधी हैं और कई गंभीर आरोप भी इन लोगों पर है, उसके बावजूद राजकुमार पाण्डेय उनके साथ गलबहियां करते नजर आते थे और कहते थे कि हमने वरीय अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी है कि अपराधी के साथ रहने से ही अपराधी पकड़ा जाता है।

निलेश मुखिया की पत्नी वार्ड पार्षद सुचित्रा सिंह ने केवल सच से बात करते हुए कहा कि मेरे पति के सहयोगी अभियंता वीरमणि की हत्या के बाद भी हमने अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार तमाम अधिकारियों से लगाई थी। सोनपुर थाना कांड संख्या 563/17 का भी

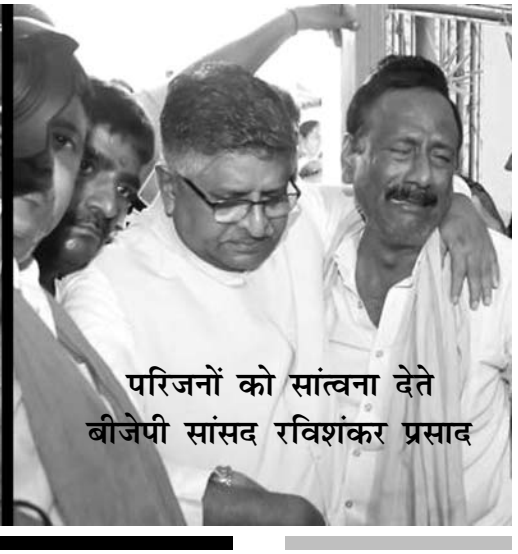

परिजनों को सांत्वना देते बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद

मुख्य आरोपी राजकुमार राय है। उनका कहना है कि आज भी मेरा परिवार डर के साये में जी रहा है और मेरे भैशुर श्री सुरेश राय को अभी तक कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया है, जबकि वह निलेश मुखिया हत्याकांड के मुख्य सूचक भी हैं। सुचित्रा सिंह का कहना है कि अगर सरकार ईमानदार है तो पप्पू, धप्पू और गोरख राय की अवैध संपत्तियों को जप्त करें। निलेश मुखिया हत्याकांड में राजनीतिक साजिश और पुलिस अपराधी गढ़जोड़ मुख्य कारण है। निलेश मुखिया का परिवार को लगता है कि वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा जिस तरह राजकुमार पाण्डेय को बचा रहे हैं, इस हत्याकांड का हश्र भी बाकि राजनीतिक हत्याकांड की तरह ही नहीं हो जाए। बिहार में हुए कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक हत्याओं को बारी-बारी से जानते हैं, जिनपर पुलिसिया कार्रवाई नहीं दिखी :-

☞ मुजफ्फरपुर जो कि बिहार का क्राइम केपिटल बन गया है। छोटन शुक्ला हत्याकांड, समीर हत्याकांड, आशुतोष शाही हत्याकांड में आज तक पुलिस किसी भी राजनीतिक हत्या का खुलासा नहीं कर पाई है। पुलिस सिर्फ सूटरो को गिरफ्तार कर अपना पीठ थपथपा लेती है, लेकिन सुपारी देने वाले का बाल भी बांका नहीं कर पाती है। मुजफ्फरपुर के कल्याणी के मछली मंडी की जमीन को लेकर समीर और आशुतोष शाही की हत्या हुई। उस जमीन पर जनसुराज पार्टी के नेता कुख्यात भूषण झा का भी नजर है। भूषण झा को जदयू विधान परिषद दिनेश सिंह का राजनीतिक आशीर्वाद प्राप्त है। भूषण झा की भी नजर इस जमीन पर थी। समीर हत्याकांड से लेकर आशुतोष हत्याकांड में भूषण झा की भूमिका संदिग्ध है। आशुतोष हत्याकांड से पहले भूषण झा दिल्ली एनसीआर में जाकर रहने लगना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। भूषण झा का चरित्र मुजफ्फरपुर में जमीन कब्जा के मामले में बड़े ही लेवल का है। चीन की तरह लोगों को कर्ज के जाल में फंसाकर जमीन हड़प लेना भूषण झा की मुख्य प्रवृत्ति में शामिल है। अभी मुजफ्फरपुर के दवा मंडी में एक अस्पताल व्यवसायी का पूरा अस्पताल ही भूषण झा ने कब्जा कर लिया। भूषण झा ने नोएडा में सहारा इंडिया के अरबो रुपए की जमीन औउने-पौने दाम में खरीदी है। भूषण झा गैरेज में काम करने से लेकर आज हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक कैसे बना यह तो जांच का विषय है ही, साथ ही मुजफ्फरपुर के कई हत्याओं में उसका संदिग्ध होना यह दर्शाता है कि पुलिस पर

पप्पू राय, धप्पू-राय एवं गोरख राय पर कई अपराधिक काण्डों को सरेआम पोस्टर लगाया गया

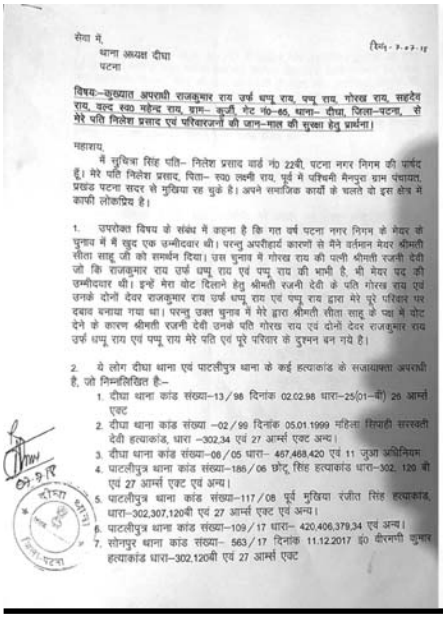

सेवा में,
थाना अध्यक्ष दीघा
पटना

दिनांक - 7.07.18

विषय:–कुख्यात अपराधी राजकुमार राय उर्फ धप्पू राय, पप्पू राय, गोरख राय, सहदेव राय, वल्द स्व0 महेन्द राय, ग्राम– कुर्जी, गेट नं0–65, थाना– दीघा, जिला–पटना, से मेरे पति निलेश प्रसाद एवं परिवारजनों की जान–माल की सुरक्षा हेतु प्रार्थना।

महाशय,

मैं सुचित्रा सिंह पति– निलेश प्रसाद वार्ड नं0 22बी, पटना नगर निगम की पार्षद हूँ। मेरे पति निलेश प्रसाद, पिता– स्व0 लक्ष्मी राय, पूर्व में पश्चिमी मैनपुरा ग्राम पंचायत, प्रखंड पटना सदर से मुखिया रह चुके है। अपने समाजिक कार्यों के चलते वो इस क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है।

1. उपरोक्त विषय के संबंध मैं कहना है कि गत वर्ष पटना नगर निगम के मेयर के चुनाव में मैं खुद एक उम्मीदवार थी। परन्तु अपरीहार्य कारणों से मैने वर्तमान मेयर श्रीमती सीता साहू जी को समर्थन दिया। उस चुनाव में गोरख राय की पत्नी श्रीमती रजनी देवी जो कि राजकुमार राय उर्फ धप्पू राय एवं पप्पू राय की भाभी है, भी मेयर पद की उम्मीदवार थी। इन्हें मेरा वोट दिलाने हेतु श्रीमती रजनी देवी के पति गोरख राय एवं उनके दोनों देवर राजकुमार राय उर्फ धप्पू राय एवं पप्पू राय द्वारा मेरे पूरे परिवार पर दबाव बनाया गया था। परन्तु उक्त चुनाव में मेरे द्वारा श्रीमती सीता साहू के पक्ष में वोट देने के कारण श्रीमती रजनी देवी उनके पति गोरख राय एवं दोनों देवर राजकुमार राय उर्फ धप्पू राय एवं पप्पू राय मेरे पति एवं पूरे परिवार के दुश्मन बन गये है।

2. ये लोग दीघा थाना एवं पाटलीपुत्र थाना के कई हत्याकांड के सजायाफ्ता अपराधी है, जो निम्नलिखित है:–
1. दीघा थाना कांड संख्या–13/98 दिनांक 02.02.98 धारा–25(01–बी) 26 आर्म्स एक्ट
2. दीघा थाना कांड संख्या –02/99 दिनांक 05.01.1999 महिला सिपाही सरस्वती देवी हत्याकांड, धारा –302,34 एवं 27 आर्म्स एक्ट अन्य।
3. दीघा थाना कांड संख्या–08/05 धारा– 467,468,420 एवं 11 जुआ अधिनियम
4. पाटलीपुत्र थाना कांड संख्या–186/06 छोटू सिंह हत्याकांड धारा–302, 120 बी एवं 27 आर्म्स एक्ट एवं अन्य।
5. पाटलीपुत्र थाना कांड संख्या–117/08 पूर्व मुखिया रंजीत सिंह हत्याकांड, धारा–302,307,120बी एवं 27 आर्म्स एक्ट एवं अन्य।
6. पाटलीपुत्र थाना कांड संख्या–109/17 धारा– 420,406,379,34 एवं अन्य।
7. सोनपुर थाना कांड संख्या– 563/17 दिनांक 11.12.2017 इं0 वीरमणी कुमार हत्याकांड धारा–302,120बी एवं 27 आर्म्स एक्ट

दीघा थाना
जिला-पटना

3. सोनपुर थाना कांड संख्या–563/17 से संबंधित जिस इन्जीनियर वीरमणी की हत्या हुई है वे मेरे पति के बहुत करीबी मित्र थे। उपरोक्त अपराधियों द्वारा मेरे पति एवं उनके मित्र इन्जीनियर वीरमणी दोनों की हत्या की धमकी दी जाती थी। इन्जीनियर वीरमणी की तो वे लोग हत्या कर चुके है। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी राजकुमार राय उर्फ धप्पू राय अभी भी फरार है। अब मेरे पति को धमकी दे रहे है एवं हत्या की साजिश कर रहें है। ये लोग कुख्यात अपराधी प्रवृती के आदमी है। ये कभी भी किसी समय मेरे पति निलेश प्रसाद की हत्या कर सकते है या करवा सकते है।

उपरोक्त स्थिति में मुझे अपने वार्ड 22बी एवं मेरे पति निलेश प्रसाद को समाजिक एवं जन सरोकार का कार्य करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पर रहा है। मेरा पूरा परिवार डरा व सहमा रहता है।

अतः अनुरोध है कि ऊपर मे वर्णित मेरे आरोप पर संज्ञान लेते हुये कुख्यात अपराधियों राजकुमार राय उर्फ धप्पू राय, पप्पू राय, गोरख राय एवं सहदेव राय से मेरे पति एवं परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था करने की कृपा की जाये एव इन अपराधियों के विरूद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जाये।

नोटः– चारों भाईयों का अपराधिक इतिहास की छायाप्रति संलग्न है।

विश्वासभाजन
सुचित्रा सिंह

सुचित्रा सिंह
वार्ड पार्षद, वार्ड नं0 22बी
पटना नगर निगम

निलेश एवं परिजनों की सुरक्षा के लिए गुहार लगाते पत्नी व भाई

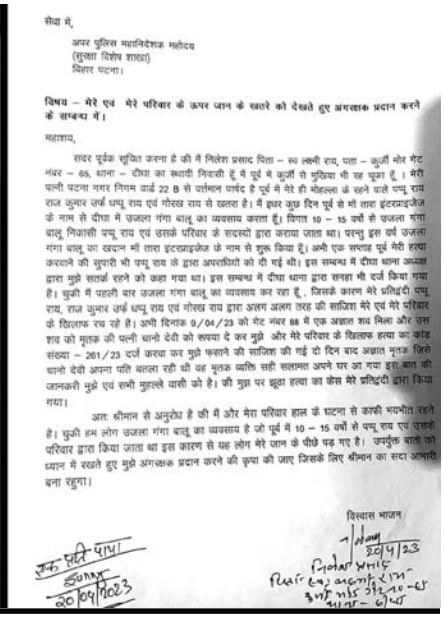

सेवा में,
अपर पुलिस महानिदेशक महोदय
(सुरक्षा विशेष शाखा)
बिहार पटना।

विषय – मेरे एवं मेरे परिवार के ऊपर जान के खतरे को देखते हुए अंगरक्षक प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

सादर पूर्वक सूचित करना है की मै निलेश प्रसाद पिता – स्व लक्ष्मी राय, पता – कुर्जी मोर गेट नंबर – 65, थाना – दीघा का स्थायी निवासी हूँ मै पूर्व मे कुर्जी से मुखिया भी रह चूका हूँ। मेरी पत्नी पटना नगर निगम वार्ड 22 B से वर्तमान पार्षद है पूर्व मे मेरे ही मोहल्ला के रहने वाले पप्पू राय राज कुमार उर्फ धप्पू राय एवं गोरख राय से खतरा है। मै इधर कुछ दिन पूर्व से माँ तारा इंटरप्राइजेज के नाम से दीघा मे उजला गंगा बालू का व्यवसाय करता हूँ। विगत 10 – 15 वर्षों से उजला गंगा बालू निकासी पप्पू राय एवं उसके परिवार के सदस्यो द्वारा कराया जाता था। परन्तु इस वर्ष उजला गंगा बालू का खदान माँ तारा इंटरप्राइजेज के नाम से शुरू किया हूँ। अभी एक सप्ताह पूर्व मेरी हत्या करवाने की सुपारी भी पप्पू राय के द्वारा अपराधियों को दी गई थी। इस सम्बन्ध मे दीघा थाना अध्यक्ष द्वारा मुझे सतर्क रहने को कहा गया था। इस सम्बन्ध मे दीघा थाना द्वारा सनहा भी दर्ज किया गया है। चुकी मै पहली बार उजला गंगा बालू का व्यवसाय कर रहा हूँ, जिसके कारण मेरे प्रतिद्वंदी पप्पू राय, राज कुमार उर्फ धप्पू राय एवं गोरख राय द्वारा अलग अलग तरह की साजिश मेरे एवं मेरे परिवार के खिलाफ रच रहे है। अभी दिनांक 9/04/23 को गेट नंबर 88 मे एक अज्ञात शव मिला और उस शव को मृतक की पत्नी चानो देवी को रुपया दे कर मुझे और मेरे परिवार के खिलाफ हत्या का कांड संख्या – 261/23 दर्ज करवा कर मुझे फसाने की साजिश की गई दो दिन बाद अज्ञात मृतक जिसे चानो देवी अपना पति बतला रही थी वह मृतक व्यक्ति सही सलामत अपने घर आ गया इस बात की जानकारी मुझे एवं सभी मुहल्ले वासी को है। की मुझ पर झूठा हत्या का केस मेरे प्रतिद्वंदी द्वारा किया गया।

अतः श्रीमान से अनुरोध है की मै और मेरा परिवार हाल के घटना से काफी भयभीत रहते है। चुकी हम लोग उजला गंगा बालू का व्यवसाय है जो पूर्व मे 10 – 15 वर्षों से पप्पू राय एवं उसके परिवार द्वारा किया जाता था इस कारण से यह लोग मेरे जान के पीछे पड़ गए है। उपर्युक्त बातों को ध्यान मे रखते हुए मुझे अंगरक्षक प्रदान करने की कृपा की जाए जिसके लिए श्रीमान का सदा आभारी बना रहुगा।

विश्वास भाजन
20/4/23
निलेश प्रसाद

एक प्रति पापा
20/04/2023

उसकी पहुंच बहुत ही मजबूत है।

बताते चले की आशुतोष की पत्नी के मुताबिक उनके पति की हत्या की बड़ी साजिश पहले ही रची गई थी। वकील कासिम उर्फ डॉलर ने मर्डर के मोटिव से ही अपना घर बनाया था। साथ ही उनकी पत्नी ने यह बताया है कि हाल ही में कल्याणी इलाके में खरीदी गई एक जमीन को लेकर मंटू शर्मा से उनकी अदावत बढ़ गई थी। पुलिस में दर्ज कराई गई प्राथमिकी के मुताबिक वकील सैयद कासिम हुसैन उर्फ डॉलर हत्या के दिन बार-बार फोन करके शाही को अपने आवास पर बुला रहा था।

बताते चले कि मंटू शर्मा ने की थी रंगदारी की मांग। प्राथमिकी में आशुतोष की पत्नी ने कहा कि मेरे पति की मदद कुछ माह पहले हमारे मोहल्ला के विजेंद्र कुमार, नन्द विहार कॉलोनी, बेला थाना इलाके में जमीन खरीदी थी। इसके बाद गोविंद कुमार, मंटू शर्मा, समेत अन्य लोगों ने विजेन्द्र के घर पर जाकर 50 लाख की रंगदारी मांगी थी। इसको लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इस मामले में विजेन्द्र की तरफ से आशुतोष शाही गवाह बने थे। कल्याणी की जमीन ने बढ़ाई अदावत पर पत्नी ने बताया कि कल्याणी इलाके में मछली मंडी के पास की जमीन बिक्री की थी। मेरे पति भी उसे खरीदना चाहते थे। लेकिन मंटू शर्मा और उसके गुर्गे विक्रांत कुमार शुक्ला उर्फ विक्कु शुक्ला, शेरू अहमद जबरन उस जमीन को कम पैसे में खरीदना चाह रहे थे, लेकिन मेरे पति ने सही रेट देकर जमीन खरीद ली। पत्नी का कहना है कि मेरे पति ने मुझे कई बार बताया कि उस दोनों जमीन विवाद को लेकर मंटू शर्मा एवं उनके गैंग के अन्य सदस्य जान के दुश्मन हो

सुचित्रा सिंह
मृतक निलेश की पत्नी

राजकुमार पाण्डेय
पूर्व थानाध्यक्ष, दीघा थाना

सुरेश राय
मृतक निलेश के भाई

मृतक निलेश मुखिया

राजीव मिश्रा
एसएसपी, पटना

अपराधी पप्पू राय

शूटरों से साठ-गांठ रखने वाले तीन और की तलाश

नीलेश हत्याकांड

- वारदात के पहले ही बिहार के बाहर भाग गये थे पप्पू, धप्पू और गोरख
- विकास और उसके साथी कर रहे थे शूटरों से बात व पैसे का लेन-देन

पटना,मुख्य संवाददाता। नीलेश मुखिया हत्याकांड में पुलिस टीम को पप्पू राय, धप्पू राय और गोरख राय के अलावा अब भी पांच आरोपितों की तलाश है। इनमें तीन ऐसे हैं जिनकी साठ-गांठ शूटरों के साथ थी। रुपये का लेन देन भी इन्हीं के जरिये हुआ। ये तीनों गिरफ्तार किए गए विकास के जानने वाले हैं। वहीं नीलेश मुखिया को गोली मारते वक्त घटनास्थल से कुछ दूरी पर खड़े दो अन्य अपराधी अरबाज और जिलानी भी पुलिस टीम के रडार पर हैं।

शूटरों को दस लाख की सुपारी दी गई थी जिसमें पांच लाख उन्हें एडवांस के रूप में मिल चुके थे। जबकि बाकी के पांच लाख रुपये वारदात को अंजाम देने के बाद मास्टरमाइंड देता। पुलिस अपराधियों की कड़ी को जोड़कर बेहद बारीकी से इस घटना की तफ्तीश कर रही है।

भाई की हत्या के बाद बना सुपारी किलर: पटना पुलिस के हत्थे चढ़े इमरान उर्फ लल्लू के भाई की हत्या पूर्व में हुई थी। उस घटना के बाद ही इमरान और क्योष ने विरोधियों से बदला लेने के लिये जरायम की दुनिया में कदम रखा। धीरे-धीरे दोनों भाई पेशेवर सुपारी किलर बन गये। इमरान काफी दिनों तक पुलिस से बचने के लिये नेपाल में रहा।

हत्या के झूठे केस में कार्रवाई नहीं, पीड़ित को नोटिस भेजा

देवन राय प्रकरण

- नीलेश मुखिया व उनके भाई समेत अन्य पर दर्ज कराया था हत्या का केस

पटना,मुख्य संवाददाता। हत्या के झूठे मामले में अब तक पुलिस ने फर्जी केस दर्ज करवाने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टे पीड़ित को ही 107 का नोटिस भेज दिया गया।

दरअसल, बीते 10 अप्रैल को देवन राय की हत्या मामले में नीलेश मुखिया, उनके बड़े भाई सुरेश प्रसाद और उमेश प्रसाद पर केस दर्ज किया गया था। इसी बीच एक लाश मिली, जिसकी पहचान परिजनों ने देवन के रूप में की। हालांकि केस दर्ज होने के दो दिनों बाद ही देवन वापस अपने घर चला आया, जिसके बाद हत्या का आरोप फर्जी साबित हुआ।

नीलेश मुखिया के बड़े भाई सुरेश प्रसाद ने बताया कि इस मामले में हत्या का झूठा केस करने वाले के खिलाफ अब तक 182/211 के तहत कार्रवाई नहीं की गई है।

उल्टे दो दिन पूर्व पुलिस ने उन्हें एक नोटिस थमा दिया, जो 107 के तहत कार्रवाई का था। सुरेश ने कहा कि इस मामले में उनका परिवार पीड़ित है, बावजूद उन्हीं पर 107 के तहत कार्रवाई की गई। यह भी नहीं पता लगाया गया कि देवन के परिवार ने किसके इशारे पर झूठा केस दर्ज करवाया था। इतना ही नहीं, झूठे केस में फंसाने के लिये एक लाश भी रखवा दी, जिसकी पहचान परिजनों ने देवन के रूप में की।

गए, जो कभी भी उनकी हत्या करवा सकते हैं। इस बात की जानकारी मेरे पति के द्वारा मुझे व कुछ अन्य करीबी लोगो को भी दी गयी थी। इस बावत मेरे पति आशुतोष शाही कई बार पुलिस को लिखित में इसकी जानकारी पुलिस को दे चुके थे। हत्या की डर से निजी गार्ड के साथ व बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलते थे।

☞ 4 दिसंबर 1994 की रात केसरिया से लौट रहे कौशलेंद्र कुमार शुक्ला उर्फ छोटन शुक्ला की कार को रोक कर अंधाधुंध फायरिंग कर छोटन शुक्ला व उनके चार समर्थकों की हत्या कर दी गई थी। वे केसरिया से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। इसी क्रम में वहां से जनसंपर्क कर साथियों के साथ कार से लौट रहे थे। उनके साथ मरने वालों में लालगंज के जलालपुर निवासी रेवती रमण शुक्ला उर्फ चिकरू शुक्ला, समस्तीपुर के कल्याणपुर निवासी नारायण झा, पूर्वी चंपारण के केसरिया निवासी ओमप्रकाश सिंह थे। जबकि एक मृतक की पहचान नहीं हो सकी थी। ब्रह्मपुरा थाना के तत्कालीन सहायक अवर निरीक्षक रवींद्र कुमार के बयान पर अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाद में कुछ नामजद आरोपितों के विरुद्ध परिवाद दाखिल किया गया था। घटना के 26 साल बाद भी अपराधियों की पहचान व कार्रवाई नहीं होने पर पूर्व विधायक के अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाया है। मामले के वर्तमान आइओ कैलाश यादव ने सीजेएम कोर्ट में दाखिल फइनल रिपोर्ट में कहा है कि वरीय अधिकारियों के पर्यवेक्षण व निर्देश के आलोक में इस केस की जांच बंद करने का निर्णय लिया गया है। अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि अपराधियों ने छोटन शुक्ला को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले की जांच में हत्या करने वाले के विरुद्ध साक्ष्य नहीं मिला है। भविष्य में अगर साक्ष्य मिलता है तो फिर से जांच शुरू की जाएगी। फाइनल रिपोर्ट में केश डायरी बंद करने की बात कही गई है।

भूषण कुमार झा

इस बारे में उपमेयर व कौशलेंद्र शुक्ला उर्फ छोटन शुक्ला के भाई मानमर्दन शुक्ला ने कहा कि हमलोग न्याय का इंतजार कर रहे थे। न्याय नहीं मिला। पुलिस प्रशासन ने ठीक से जांच नहीं किया। तथ्यों व साक्ष्यों को एकत्र करने में गंभीरता नहीं दिखाई। वैसे वे अभी तक रिपोर्ट नहीं देखे हैं । अन्य सूत्रों से ही जानकारी मिल रही है। ●

राज्य कार्यक्रम प्रबंधक **अविनाश पाण्डेय** का हर जिले में है वसूली एजेंट

● **त्रिलोकी नाथ प्रसाद**

2005 में शुरू हुआ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ने पूरे भारत सहित बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में अमूल चक परिवर्तन लाया, जिसमें ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था में काफी सुधार भी हुआ, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाने के बाद इसमें तैनात अधिकारी अपने संपत्ति में सुधार करने लगे। ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने वाले स्वास्थ्य प्रशिक्षक राज्य स्वास्थ्य समिति में बैठकर राज्य स्तरीय पदाधिकारी बनाकर धन कुबेर हो गए। राज्य स्वास्थ्य समिति में 102 एंबुलेंस संचालन, आउटसोर्सिंग, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने वाले किताब के प्रिंटिंग का ठिका देने वाले अधिकारी देखते-देखते कब करोड़पति से अरबपति हो गए, पता भी नहीं चला। स्वास्थ्य के प्रति जनता को जागरूक करने वाली किताबें हर वर्ष कई करोड़ की छपती है लेकिन हर वर्ष की भांति सिर्फ रद्दी के भाव बिक जाती है। चूकी ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य प्रशिक्षण देने वाले अधिकारी तो राज्य स्वास्थ्य समिति में कई-कई वर्षों से मुख्यालय में जमें हैं और अरबों के संपत्ति के मालिक बन बैठे है। स्वास्थ्य प्रशिक्षक और राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी आज राजधानी में कई बेनामी संपत्ति के मालिक भी हैं।

आउटसोर्सिंग कंपनी उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और 102 संचालन कंपनी पीडीपीएल के आगे तो पूरा का पूरा राज्य स्वास्थ्य समिति नतमस्तक है। राज्य स्वास्थ्य समिति के पूर्व अधिकारी कमल नयन तो उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी के रूप में राज्य स्वास्थ्य समिति में पदस्थापित थे, लेकिन वर्तमान में राज्य कार्यक्रम प्रबंधक अविनाश पाण्डेय और राज्य स्वास्थ्य समिति के पदस्थापित बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रिय रंजन राजू तो उर्मिला के अविनाश बाबू के लिए कहते हैं "त्वमेव माता च पिता तमेव, त्वमेव बंधु चशखात्वमेव"। हम यह बात यूं ही नहीं कह रहे हैं बल्कि पूरे बिहार में बिना प्रशिक्षण दिए मोटी रकम की वसूली कर डाटा एंट्री ऑपरेटर देने वाली एजेंसी उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को राज्य स्वास्थ्य समिति ने मेमो नंबर-673, दिनांक-03/05/23 से 1 साल के लिए सेवा विस्तार दे दिया और साथ ही भागलपुर-अगुवानी पुल के डिजाइनकर्ता, जिसके कारण पुल ध्वस्त हो गया था, रोडियक कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड उसके भव्या ऐप के साथ भी

अविनाश कुमार

उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा टैग कर दिया जाता है, तो दूसरी तरफ बिहार की एकमात्र बहुराष्ट्रीय कंपनी, जिसके पास राज्य स्वास्थ्य समिति के मुख्यालय में गार्ड/कर्मचारी/स्किल्ड/सेमी स्किल्ड/हाईली स्किल्ड मैन पावर देने का इकरारनामा था। उसे सेवा विस्तार नहीं देते हुए राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार ने निविदा संख्या-03/SHSBकेद्वारा निविदा निकाल दिया जाता है।

केवल सच के पिछले अंक के आलेख में प्रकाशित होने के बाद राज्य स्वास्थ्य समिति ने अपने मेमो नंबर-3145, दिनांक-19/08/23के द्वारा जिला कार्यक्रम प्रबंधक को HWC हेतु गठित प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट में वरीय सलाहकार के रूप में संबंध करने का आदेश दिया, लेकिन केवल सच का प्रश्न अभी भी वहीं खड़ा है कि जब एक्सक्यूटिव कमेटी, जिसके अध्यक्ष विकास आयुक्त, उपाध्यक्ष वित्त आयुक्त और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य जैसे पदाधिकारी होते हैं और संविधान में दिए गए नियम के अनुसार एक्सक्यूटिव कमेटी के निर्णय को सिर्फ राज्य कैबिनेट ही बदल सकता है तो फिर कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति सिर्फ अविनाश पाण्डेय के कहने पर उसे किस नियम के तहत बदल सकते हैं। जब एक्सक्यूटिव कमेटी के निर्णय के अनुसार फाइल इनीशिएटिव ऑफिसर जिला में जिला कार्यक्रम प्रबंधक को बनाया गया है तो किस नियम के तहत कार्यपालक निदेशक वहीं अधिकार जिला कार्यक्रम समन्वयक को दे दिया है। अब प्रश्न उठता है कि कार्यपालक निदेशक या राज्य कार्यक्रम प्रबंधक राज्य कैबिनेट से बड़े होते हैं? इस सवाल का जवाब तो सामान्य

प्रशासन विभाग को देना चाहिए या इस बात के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को प्रशिक्षण शिविर आयोजित करना चाहिए।

अभी मामला न्यायालय में लंबित होने के कारण हम 102 एंबुलेंस संचालन के लिए हुए निविदा में अनिमितता को इस आलेख में स्थान नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन राज्य कार्यक्रम प्रबंधक ने किस तरह भ्रष्टाचार का ताना-बाना बुना इसका ठोस सबूत केवल सच के पास मौजूद है और न्यायालय में मामला स्पष्ट होने के बाद हम इसे विस्तार से रखेंगे कि किस प्रकार राज्य कार्यक्रम प्रबंधक अविनाश पाण्डेय को पैसों का भूख कम होने का नाम नहीं ले रहा है।

☞ **तेजस्वी यादव के स्वास्थ्य विभाग में अधिकारियों की लापरवाही से मिशन मन्द :-** राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) विकसित भारत के ग्रामीण क्षेत्रों, खासकर उन असहाय, कमजोड़ एवं गरीब लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, जिस सम्पूर्ण भारत के ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम है। यह योजना 12 अप्रैल 2005 को शुरू की गयी। शुरुआत में यह मिशन केवल सात साल के लिए रखा गया था। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुरक्षा में केंद्र सरकार की यह एक प्रमुख योजना है। इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे स्वास्थ्य को सुरक्षा प्रदान करना है। सामुदायिक स्वामित्व की विकेंद्रित स्वास्थ्य प्रदान करने वाली प्रणाली विकसित करना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सुगमता से संचालित कर जवाबदेही वाली गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवायें मुहैया कराने से संबंधित है। यह योजना विभिन्न स्तरों पर चल रही लोक स्वास्थ्य सुपुर्दगी प्रणाली को मजबूत बनाने के साथ-साथ विद्यमान सभी कार्यक्रमों, जैसे- प्रजनन बाल स्वास्थ्य परियोजना, एकीकृत रोग निगरानी, मलेरिया, कालाजार, तपेदिक तथा

तेजस्वी यादव

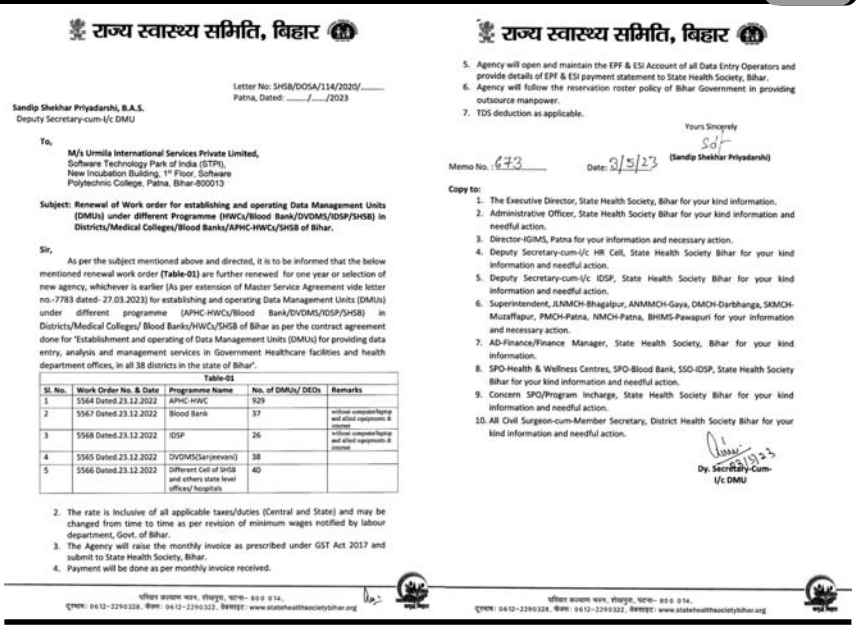

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

Letter No: SHSB/DOSA/114/2020/.....
Patna, Dated: ...../...../2023

Sandip Shekhar Priyadarshi, B.A.S.
Deputy Secretary-cum-I/c DMU

To,

M/s Urmila International Services Private Limited,
Software Technology Park of India (STPI),
New Incubation Building, 1st Floor, Software
Polytechnic College, Patna, Bihar-800013

Subject: Renewal of Work order for establishing and operating Data Management Units (DMUs) under different Programme (HWCs/Blood Bank/DVDMS/IDSP/SHSB) in Districts/Medical Colleges/Blood Banks/APHC-HWCs/SHSB of Bihar.

Sir,

As per the subject mentioned above and directed, it is to be informed that the below mentioned renewal work order **(Table-01)** are further renewed for one year or selection of new agency, whichever is earlier (As per extension of Master Service Agreement vide letter no.-7783 dated- 27.03.2023) for establishing and operating Data Management Units (DMUs) under different programme (APHC-HWCs/Blood Bank/DVDMS/IDSP/SHSB) in Districts/Medical Colleges/ Blood Banks/HWCs/SHSB of Bihar as per the contract agreement done for 'Establishment and operating of Data Management Units (DMUs) for providing data entry, analysis and management services in Government Healthcare facilities and health department offices, in all 38 districts in the state of Bihar'.

Table-01

Sl. No.	Work Order No. & Date	Programme Name	No. of DMUs/ DEOs	Remarks
1	5564 Dated.23.12.2022	APHC-HWC	929	without computer/laptop and allied equipments & internet
2	5567 Dated.23.12.2022	Blood Bank	37	without computer/laptop and allied equipments & internet
3	5568 Dated.23.12.2022	IDSP	26	without computer/laptop and allied equipments & internet
4	5565 Dated.23.12.2022	DVDMS(Sanjeevani)	38	
5	5566 Dated.23.12.2022	Different Cell of SHSB and others state level offices/ hospitals	40	

2. The rate is inclusive of all applicable taxes/duties (Central and State) and may be changed from time to time as per revision of minimum wages notified by labour department, Govt. of Bihar.
3. The Agency will raise the monthly invoice as prescribed under GST Act 2017 and submit to State Health Society, Bihar.
4. Payment will be done as per monthly invoice received.

परिषद कार्यालय भवन, शेखपुरा, पटना- 800 014.
दूरभाष: 0612-2290328, फैक्स: 0612-2290322, वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

5. Agency will open and maintain the EPF & ESI Account of all Data Entry Operators and provide details of EPF & ESI payment statement to State Health Society, Bihar.
6. Agency will follow the reservation roster policy of Bihar Government in providing outsource manpower.
7. TDS deduction as applicable.

Yours Sincerely
Sd/-
(Sandip Shekhar Priyadarshi)

Memo No. 673 Date: 31/5/23

Copy to:

1. The Executive Director, State Health Society, Bihar for your kind information.
2. Administrative Officer, State Health Society Bihar for your kind information and needful action.
3. Director-IGIMS, Patna for your information and necessary action.
4. Deputy Secretary-cum-I/c HR Cell, State Health Society Bihar for your kind information and needful action.
5. Deputy Secretary-cum-I/c IDSP, State Health Society Bihar for your kind information and needful action.
6. Superintendent, ILNMCH-Bhagalpur, ANMMCH-Gaya, DMCH-Darbhanga, SKMCH-Muzaffapur, PMCH-Patna, NMCH-Patna, BHIMS-Pawapuri for your information and necessary action.
7. AD-Finance/Finance Manager, State Health Society, Bihar for your kind information.
8. SPO-Health & Wellness Centres, SPO-Blood Bank, SSO-IDSP, State Health Society Bihar for your kind information and needful action.
9. Concern SPO/Program Incharge, State Health Society Bihar for your kind information and needful action.
10. All Civil Surgeon-cum-Member Secretary, District Health Society Bihar for your kind information and needful action.

Dy. Secretary-cum-I/c DMU

परिषद कार्यालय भवन, शेखपुरा, पटना- 800 014.
दूरभाष: 0612-2290328, फैक्स: 0612-2290322, वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

कुष्ठ आदि के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं प्रदान करने से संबंधित है। इस योजना को पूरे देश में, विशेषकर 18 राज्यों में जिनमें स्वास्थ्य अवसंरचना अत्यंत दयनीय तथा स्वास्थ्य संकेतक निम्न था, लागू किया गया है। इस योजना के क्रियान्वयन में लगीं प्रशिक्षित आशा की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग प्रति 1000 ग्रामीण जनसंख्या पर 1 आशा कार्यरत है। 2012-13 के संघीय बजट में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संबंध में 18115 करोड़ रूपये की धनराशि आवंटित की गयी थी। विशेष केन्द्रित राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, मध्य प्रदेश, नागालैण्ड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश।

★ **मिशन के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य :-** स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च में बढोत्तरी, स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचा का सुधार, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत बनाना, देशी परंपरागत आरोग्य प्रणालियों को बढावा देना, उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं का मुख्य अंग बनाना। निजी स्वास्थ्य क्षेत्र का नियमीकरण, इसके लिए मापदंड और अधिनियम बनाना, निजी स्वास्थ्य क्षेत्र के साथ साझेदारी बनाना, लोगों को इलाज प्राप्त करने के लिए जो खर्च करना पड़ता है, उसके लिए उचित बीमा-योजनाओं का प्रबंध करना, जिला कार्यक्रमों का विकेंद्रीकरण करना ताकि ये जिला स्तर पर चलाये जा सकें। स्वास्थ्य के प्रबंधन में पंचायती राज संस्थाओं/समुदाय की भागीदारी को बढाना, स्मयबद्ध लक्ष्य और कार्य की प्रगति पर जनता के सामने रिपोर्ट पेश करना है।

☞ **स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार इसके लिए निम्न कार्य प्रस्तावित हैं :-**

☞ **गांव में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करना :-** आशा/सहायिका द्वारा उप केंद्रों की क्षमताओं के विकास के लिए जरूरत के अनुसार नये उपकेंद्र, उपकेंद्र की बिल्डिंग का निर्माण जरूरत के अनुसार एक और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम की नियुक्ति, जो उसी क्षेत्र की होगी। हर उप-केंद्र को 10,000 रूपये की गैर मद निर्धारित अनुदान राशि दी जायेगी, जो सरपंच और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के नाम से बैंक में जमा किया जाना सुनिश्चित किया गया था। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता इसका इस्तेमाल ग्राम स्वास्थ्य समिति से चर्चा करके कर सकती

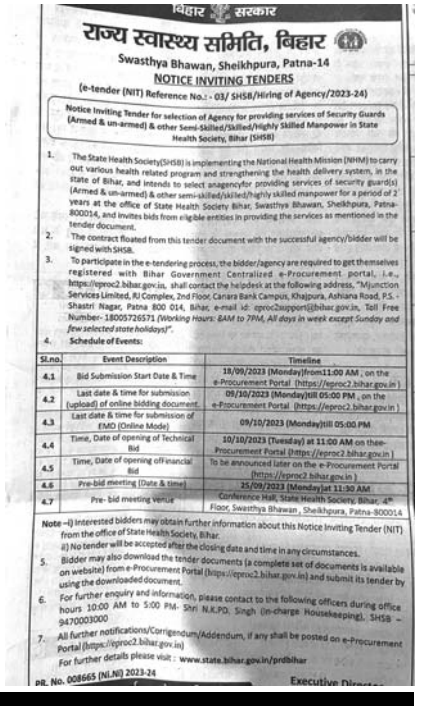

बिहार सरकार

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

Swasthya Bhawan, Sheikhpura, Patna-14

NOTICE INVITING TENDERS

(e-tender (NIT) Reference No.: - 03/ SHSB/Hiring of Agency/2023-24)

Notice Inviting Tender for selection of Agency for providing services of Security Guards (Armed & un-armed) & other Semi-Skilled/Skilled/Highly Skilled Manpower in State Health Society, Bihar (SHSB)

1. The State Health Society(SHSB) is implementing the National Health Mission (NHM) to carry out various health related program and strengthening the health delivery system, in the state of Bihar, and intends to select anagencyfor providing services of security guard(s) (Armed & un-armed) & other semi-skilled/skilled/highly skilled manpower for a period of 2 years at the office of State Health Society Bihar, Swasthya Bhawan, Sheikhpura, Patna-800014, and Invites bids from eligible entities in providing the services as mentioned in the tender document.
2. The contract floated from this tender document with the successful agency/bidder will be signed with SHSB.
3. To participate in the e-tendering process, the bidder/agency are required to get themselves registered with Bihar Government Centralized e-Procurement portal, i.e., https://eproc2.bihar.gov.in, shall contact the helpdesk at the following address, "Mjunction Services Limited, RJ Complex, 2nd Floor, Canara Bank Campus, Khajpura, Ashiana Road, P.S. - Shastri Nagar, Patna 800 014, Bihar, e-mail id: eproc2support@bihar.gov.in, Toll Free Number- 18005726571 *(Working Hours: 8AM to 7PM, All days in week except Sunday and few selected state holidays)*".
4. **Schedule of Events:**

Sl.no.	Event Description	Timeline
4.1	Bid Submission Start Date & Time	18/09/2023 (Monday)from11:00 AM , on the e-Procurement Portal (https://eproc2.bihar.gov.in)
4.2	Last date & time for submission (upload) of online bidding document.	09/10/2023 (Monday)till 05:00 PM , on the e-Procurement Portal (https://eproc2.bihar.gov.in)
4.3	Last date & time for submission of EMD (Online Mode)	09/10/2023 (Monday)till 05:00 PM
4.4	Time, Date of opening of Technical Bid	10/10/2023 (Tuesday) at 11:00 AM on thee-Procurement Portal (https://eproc2.bihar.gov.in)
4.5	Time, Date of opening ofFinancial Bid	To be announced later on the e-Procurement Portal (https://eproc2.bihar.gov.in)
4.6	Pre-bid meeting (Date & time)	25/09/2023 (Monday)at 11:30 AM
4.7	Pre- bid meeting venue	Conference Hall, State Health Society, Bihar, 4th Floor, Swasthya Bhawan , Sheikhpura, Patna-800014

Note –i) Interested bidders may obtain further information about this Notice Inviting Tender (NIT) from the office of State Health Society, Bihar.
ii) No tender will be accepted after the closing date and time in any circumstances.

5. Bidder may also download the tender documents (a complete set of documents is available on website) from e-Procurement Portal (https://eproc2.bihar.gov.in) and submit its tender by using the downloaded document.
6. For further enquiry and information, please contact to the following officers during office hours 10:00 AM to 5:00 PM- Shri N.K.PD. Singh (in-charge Housekeeping), SHSB – 9470003000
7. All further notifications/Corrigendum/Addendum, if any shall be posted on e-Procurement Portal (https://eproc2.bihar.gov.in)
For further details please visit : www.state.bihar.gov.in/prdbihar

PR. No. 008665 (NL/NI) 2023-24

Executive Director

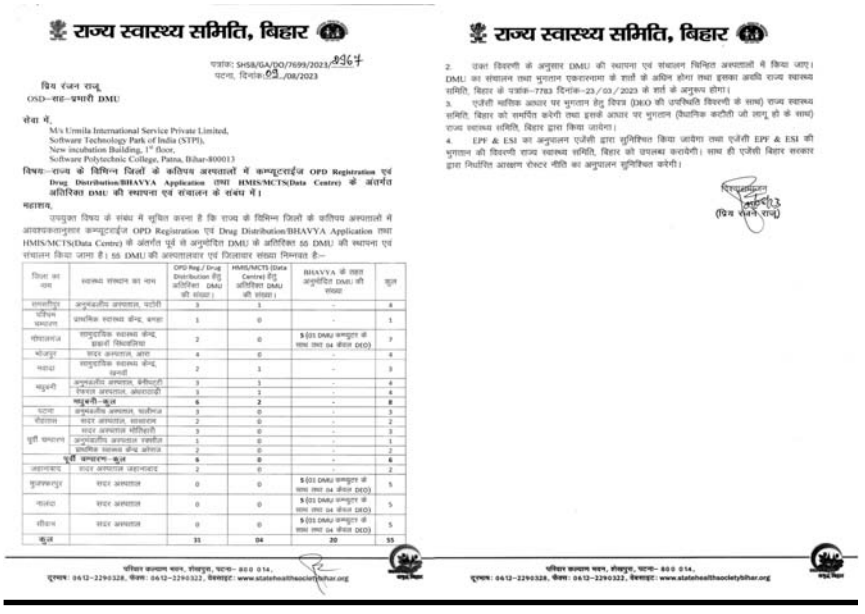

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

पत्रांक: SHSB/GA/DO/7699/2023/2967
पटना, दिनांक 09/08/2023

प्रिय रंजन राजू
OSD–सह–प्रभारी DMU

सेवा में,
M/s Urmila International Service Private Limited,
Software Technology Park of India (STPI),
New incubation Building, 1st floor,
Software Polytechnic College, Patna, Bihar-800013

विषय–राज्य के विभिन्न जिलों के कतिपय अस्पतालों में कम्प्यूटराईज OPD Registration एवं Drug Distribution/BHAVYA Application तथा HMIS/MCTS(Data Centre) के अंतर्गत अतिरिक्त DMU की स्थापना एवं संचालन के संबंध में।

महाशय,

उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि राज्य के विभिन्न जिलों के कतिपय अस्पतालों में आवश्यकतानुसार कम्प्यूटराईज OPD Registration एवं Drug Distribution/BHAVYA Application तथा HMIS/MCTS(Data Centre) के अंतर्गत पूर्व से अनुमोदित DMU के अतिरिक्त 55 DMU की स्थापना एवं संचालन किया जाना है। 55 DMU की अस्पतालवार एवं जिलावार संख्या निम्नवत है:–

जिला का नाम	स्वास्थ्य संस्थान का नाम	OPD Reg./ Drug Distribution हेतु अतिरिक्त DMU की संख्या।	HMIS/MCTS (Data Centre) हेतु अतिरिक्त DMU की संख्या।	BHAVYA के तहत अनुमोदित DMU की संख्या	कुल
समस्तीपुर	अनुमंडलीय अस्पताल, पटोरी	3	1	-	4
पश्चिम चम्पारण	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बगहा	1	0	-	1
गोपालगंज	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, [illegible] सिधवलिया	2	0	5 (01 DMU कम्प्यूटर के साथ तथा 04 केवल DEO)	7
भोजपुर	सदर अस्पताल, आरा	4	0	-	4
नवादा	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, [illegible]	2	1	-	3
मधुबनी	अनुमंडलीय अस्पताल, बेनीपट्टी	3	1	-	4
	रेफरल अस्पताल, [illegible]	3	1	-	4
	मधुबनी–कुल	6	2	-	8
पटना	अनुमंडलीय अस्पताल, [illegible]	3	0	-	3
रोहतास	सदर अस्पताल, सासाराम	2	0	-	2
पूर्वी चम्पारण	सदर अस्पताल मोतिहारी	3	0	-	3
	अनुमंडलीय अस्पताल रक्सौल	1	0	-	1
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र [illegible]	2	0	-	2
	पूर्वी चम्पारण–कुल	6	0	-	6
जहानाबाद	सदर अस्पताल जहानाबाद	2	0	-	2
मुजफ्फरपुर	सदर अस्पताल	0	0	5 (01 DMU कम्प्यूटर के साथ तथा 04 केवल DEO)	5
नालंदा	सदर अस्पताल	0	0	5 (01 DMU कम्प्यूटर के साथ तथा 04 केवल DEO)	5
सीवान	सदर अस्पताल	0	0	5 (01 DMU कम्प्यूटर के साथ तथा 04 केवल DEO)	5
कुल		31	04	20	55

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना– 800 014,
दूरभाष: 0612-2290328, फैक्स: 0612-2290322, वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

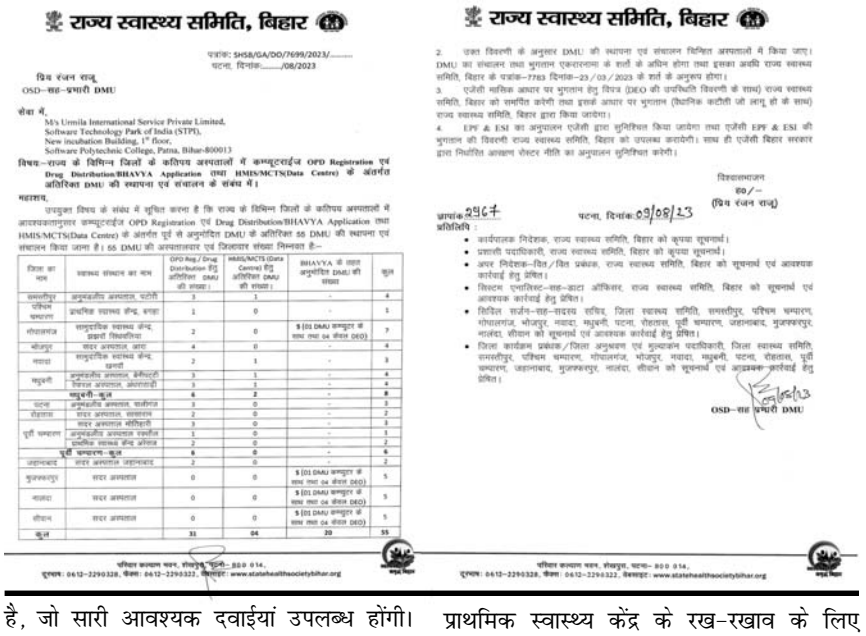

2. उक्त विवरणी के अनुसार DMU की स्थापना एवं संचालन चिन्हित अस्पतालों में किया जाए। DMU का संचालन तथा भुगतान एकरारनामा के शर्तों के अधिन होगा तथा इसका अवधि राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पत्रांक–7783 दिनांक–23/03/2023 के शर्तों के अनुरूप होगा।

3. एजेंसी मासिक आधार पर भुगतान हेतु विपत्र (DEO की उपस्थिति विवरणी के साथ) राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को समर्पित करेगी तथा इसके आधार पर भुगतान (वैधानिक कटौती जो लागू हो के साथ) राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा किया जायेगा।

4. EPF & ESI का अनुपालन एजेंसी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा तथा एजेंसी EPF & ESI की भुगतान की विवरणी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को उपलब्ध करायेगी। साथ ही एजेंसी बिहार सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नीति का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

विश्वासभाजन
(प्रिय रंजन राजू)

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना– 800 014,
दूरभाष: 0612-2290328, फैक्स: 0612-2290322, वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

पत्रांक: SHSB/GA/DO/7699/2023/.........
पटना, दिनांक......./08/2023

प्रिय रंजन राजू
OSD–सह–प्रभारी DMU

सेवा में,
M/s Urmila International Service Private Limited,
Software Technology Park of India (STPI),
New incubation Building, 1st floor,
Software Polytechnic College, Patna, Bihar-800013

विषय–राज्य के विभिन्न जिलों के कतिपय अस्पतालों में कम्प्यूटराईज OPD Registration एवं Drug Distribution/BHAVYA Application तथा HMIS/MCTS(Data Centre) के अंतर्गत अतिरिक्त DMU की स्थापना एवं संचालन के संबंध में।

महाशय,

उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि राज्य के विभिन्न जिलों के कतिपय अस्पतालों में आवश्यकतानुसार कम्प्यूटराईज OPD Registration एवं Drug Distribution/BHAVYA Application तथा HMIS/MCTS(Data Centre) के अंतर्गत पूर्व से अनुमोदित DMU के अतिरिक्त 55 DMU की स्थापना एवं संचालन किया जाना है। 55 DMU की अस्पतालवार एवं जिलावार संख्या निम्नवत है:–

जिला का नाम	स्वास्थ्य संस्थान का नाम	OPD Reg./ Drug Distribution हेतु अतिरिक्त DMU की संख्या।	HMIS/MCTS (Data Centre) हेतु अतिरिक्त DMU की संख्या।	BHAVYA के तहत अनुमोदित DMU की संख्या	कुल
समस्तीपुर	अनुमंडलीय अस्पताल, पटोरी	3	1	-	4
पश्चिम चम्पारण	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बगहा	1	0	-	1
गोपालगंज	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, [illegible] सिधवलिया	2	0	5 (01 DMU कम्प्यूटर के साथ तथा 04 केवल DEO)	7
भोजपुर	सदर अस्पताल, आरा	4	0	-	4
नवादा	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, [illegible]	2	1	-	3
मधुबनी	अनुमंडलीय अस्पताल, बेनीपट्टी	3	1	-	4
	रेफरल अस्पताल, [illegible]	3	1	-	4
	मधुबनी–कुल	6	2	-	8
पटना	अनुमंडलीय अस्पताल, [illegible]	3	0	-	3
रोहतास	सदर अस्पताल, सासाराम	2	0	-	2
पूर्वी चम्पारण	सदर अस्पताल मोतिहारी	3	0	-	3
	अनुमंडलीय अस्पताल रक्सौल	1	0	-	1
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र [illegible]	2	0	-	2
	पूर्वी चम्पारण–कुल	6	0	-	6
जहानाबाद	सदर अस्पताल जहानाबाद	2	0	-	2
मुजफ्फरपुर	सदर अस्पताल	0	0	5 (01 DMU कम्प्यूटर के साथ तथा 04 केवल DEO)	5
नालंदा	सदर अस्पताल	0	0	5 (01 DMU कम्प्यूटर के साथ तथा 04 केवल DEO)	5
सीवान	सदर अस्पताल	0	0	5 (01 DMU कम्प्यूटर के साथ तथा 04 केवल DEO)	5
कुल		31	04	20	55

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना– 800 014,
दूरभाष: 0612-2290328, फैक्स: 0612-2290322, वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

2. उक्त विवरणी के अनुसार DMU की स्थापना एवं संचालन चिन्हित अस्पतालों में किया जाए। DMU का संचालन तथा भुगतान एकरारनामा के शर्तों के अधिन होगा तथा इसका अवधि राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पत्रांक–7783 दिनांक–23/03/2023 के शर्तों के अनुरूप होगा।

3. एजेंसी मासिक आधार पर भुगतान हेतु विपत्र (DEO की उपस्थिति विवरणी के साथ) राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को समर्पित करेगी तथा इसके आधार पर भुगतान (वैधानिक कटौती जो लागू हो के साथ) राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा किया जायेगा।

4. EPF & ESI का अनुपालन एजेंसी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा तथा एजेंसी EPF & ESI की भुगतान की विवरणी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को उपलब्ध करायेगी। साथ ही एजेंसी बिहार सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नीति का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

विश्वासभाजन
ह0/–
(प्रिय रंजन राजू)

ज्ञापांक 2967 पटना, दिनांक 09/08/23

प्रतिलिपि :

- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को कृपया सूचनार्थ।
- प्रशासी पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को कृपया सूचनार्थ।
- अपर निदेशक–वित/वित प्रबंधक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सिस्टम एनालिस्ट–सह–डाटा ऑफिसर, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, समस्तीपुर, पश्चिम चम्पारण, गोपालगंज, भोजपुर, नवादा, मधुबनी, पटना, रोहतास, पूर्वी चम्पारण, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, नालंदा, सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला अनुश्रवण एवं मुल्यांकन पदाधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति, समस्तीपुर, पश्चिम चम्पारण, गोपालगंज, भोजपुर, नवादा, मधुबनी, पटना, रोहतास, पूर्वी चम्पारण, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, नालंदा, सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/08/23
OSD–सह प्रभारी DMU

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना– 800 014,
दूरभाष: 0612-2290328, फैक्स: 0612-2290322, वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

स्वास्थ्य केंद्र के बिल्डिंग का निर्माण, पुनर्निर्माण रोगी कल्याण समिति का गठन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए मापदंड, आइपीएचएस का पालन, जरूरत के अनुसार नये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शुरू करना, सारे राष्ट्रीय कार्यक्रमों जैसे–मलेरिया, पोलिओ, टीबी आदि और परिवार कल्याण कार्यक्रमों का राज्य और जिला स्तर पर समन्वयन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए जो जिला स्तर पर टीम बनेगी, उसमें निजी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया जायेगा। आशा कार्यक्रम के निरीक्षण के लिए एक निगरानी समूह का गठन,

☞ **जननी सुरक्षा योजना सामाजिक निगरानी और जवाबदेही के लिए प्रबंध :**– गांव, जिला और राज्य के स्तर पर कमेटियां होंगी। जिला स्तर पर जन संवाद, राज्य स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेशों का पालन हो रहा है या नहीं, सुनिश्चत करना सरकार, राज्य और जिला अपने स्तर पर जन–स्वास्थ्य की रिपोर्ट पेश करेगी। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्य नीतियां ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पर बेहतर सुविधा के साथ मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की संरचना कराना। स्वास्थ्य मिशन तहत आवश्यक नियम, शर्ते एवं मापदंड को तय कर अमल करवाना। इस तरह के मिशन के अंतर्गत अच्छी सेवा के लिए सरकारी खर्च में बढ़ोतरी किया जायेगा। मिशन में लक्ष्य और कार्य प्रगति से संबंधित महत्वपूर्ण विवरण नागरिको के साथ साझा किया जायेगा। पब्लिक, प्राइवेट हेल्थ मॉडल को फॉलो कर बेहतर स्वास्थ्य सेवा नागरिको को देना।

इस योजना के पैर तब जमीन से उठने लगा जब वर्ष 2021 में बिहार के मुख्यमंत्री ने घोषणा कर एलान किया की बिहार विधानसभा के प्रत्येक विधानसभा में पांच उपस्वास्थ्य केंद्र के अलावे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाएगा, जो कुल 243 है, जो सारी आवश्यक दवाईयां उपलब्ध होंगी।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के क्रियान्वयन हेतु तथा इसके क्षमता एवं विकास के लिए निम्न कार्य किये जायेंगे। जरूरत के अनुसार बिल्डिंग का निर्माण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 24 घंटे खुले रहेंगे और नर्सिंग की सुविधा उपलब्ध होगी कुछ चुनिंदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 24 घंटे का अस्पताल बनाया जायेगा, जिसमें आपातकालीन सेवाएं प्राप्त हो सकें। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दो और नर्स की नियुक्ति, कुल तीन नर्स जरूरत के अनुसार एक और डॉक्टर आयुश डॉक्टर, आयुर्वेदिक, यूनानी होमियोपैथी की नियुक्ति हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 10,000 रूपये का अनुदान मिलेगा, जिसे स्थानीय स्वास्थ्य संबंधी कार्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रख–रखाव के लिए 50,000 रूपये दिये जायेंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को चलाने के लिए इनमें रोगी कल्याण समिति का गठन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को प्रोत्साहित करने के लिए 1,00,000 रूपये की अनुदान राशि दी जायेगी। शर्त यह है कि यह राशि राज्य को तभी दी जाये, जब राज्य यह वचन दे कि रोगी कल्याण समित, जो पैसा इकट्ठा करती है उसे वह उसी के पास रहेगा, राज्य के खाते में नहीं जायेगा।

☞ **सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए :**– सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की क्षमता का विकास उच्च स्तरीय ताकि उनमें 24 घंटे चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी। निश्चेतना विशेषज्ञ की नियुक्ति, आयुर्वेदिक युनानी होमियोपैथी क्लिनिक सामुदायिक

प्रियरंजन राजू

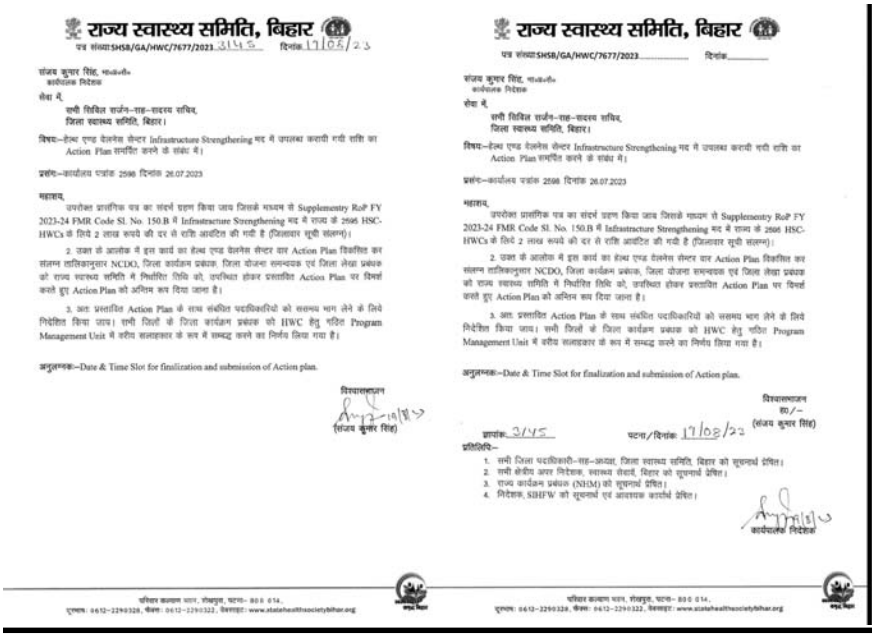

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

पत्र संख्या:SHSB/GA/HWC/7677/2023 3145 दिनांक 17/08/23

संजय कुमार सिंह, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

सेवा में,
सभी सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार।

विषय:-हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर Infrastructure Strengthening मद में उपलब्ध करायी गयी राशि का Action Plan समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग:-कार्यालय पत्रांक 2598 दिनांक 26.07.2023

महाशय,
उपरोक्त प्रासंगिक पत्र का संदर्भ ग्रहण किया जाय जिसके माध्यम से Supplementry RoP FY 2023-24 FMR Code Sl. No. 150.B में Infrastructure Strengthening मद में राज्य के 2596 HSC-HWCs के लिये 2 लाख रूपये की दर से राशि आवंटित की गयी है (जिलावार सूची संलग्न)।

2. उक्त के आलोक में इस कार्य का हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर वार Action Plan विकसित कर संलग्न तालिकानुसार NCDO, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला योजना समन्वयक एवं जिला लेखा प्रबंधक को राज्य स्वास्थ्य समिति में निर्धारित तिथि को, उपस्थित होकर प्रस्तावित Action Plan पर विमर्श करते हुए Action Plan को अंतिम रूप दिया जाना है।

3. अतः प्रस्तावित Action Plan के साथ संबंधित पदाधिकारियों को ससमय भाग लेने के लिये निर्देशित किया जाय। सभी जिलों के जिला कार्यक्रम प्रबंधक को HWC हेतु गठित Program Management Unit में वरीय सलाहकार के रूप में सम्बद्ध करने का निर्णय लिया गया है।

अनुलग्नक:-Date & Time Slot for finalization and submission of Action plan.

विश्वासभाजन
(संजय कुमार सिंह)

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना- 800 014.
दूरभाष: 0612-2290328, फैक्स: 0612-2290322, वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

पत्र संख्या:SHSB/GA/HWC/7677/2023 दिनांक

संजय कुमार सिंह, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

सेवा में,
सभी सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार।

विषय:-हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर Infrastructure Strengthening मद में उपलब्ध करायी गयी राशि का Action Plan समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग:-कार्यालय पत्रांक 2598 दिनांक 26.07.2023

महाशय,
उपरोक्त प्रासंगिक पत्र का संदर्भ ग्रहण किया जाय जिसके माध्यम से Supplementry RoP FY 2023-24 FMR Code Sl. No. 150.B में Infrastructure Strengthening मद में राज्य के 2596 HSC-HWCs के लिये 2 लाख रूपये की दर से राशि आवंटित की गयी है (जिलावार सूची संलग्न)।

2. उक्त के आलोक में इस कार्य का हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर वार Action Plan विकसित कर संलग्न तालिकानुसार NCDO, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला योजना समन्वयक एवं जिला लेखा प्रबंधक को राज्य स्वास्थ्य समिति में निर्धारित तिथि को, उपस्थित होकर प्रस्तावित Action Plan पर विमर्श करते हुए Action Plan को अंतिम रूप दिया जाना है।

3. अतः प्रस्तावित Action Plan के साथ संबंधित पदाधिकारियों को ससमय भाग लेने के लिये निर्देशित किया जाय। सभी जिलों के जिला कार्यक्रम प्रबंधक को HWC हेतु गठित Program Management Unit में वरीय सलाहकार के रूप में सम्बद्ध करने का निर्णय लिया गया है।

अनुलग्नक:-Date & Time Slot for finalization and submission of Action plan.

विश्वासभाजन
ह०/-
(संजय कुमार सिंह)

ज्ञापांक 3145 पटना/दिनांक 17/08/23

प्रतिलिपि:-
1. सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
3. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक (NHM) को सूचनार्थ प्रेषित।
4. निदेशक, SIHFW को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

कार्यपालक निदेशक

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना- 800 014.
दूरभाष: 0612-2290328, फैक्स: 0612-2290322, वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

Venue- State Institute of Health and Family Welfare , LT-1

Sl.No.	Division	Districts	Time	Date
1	Patna	Bhojpur	10:00 am - 1:30 Pm	4.9.2023
2		Buxar		
3		Kaimur	2:30 Pm - 5:00 Pm	
4		Nalanda		
5		Patna	10:00am - 1:30 PM	5.9.2023
6		Rohtas		
7	Saran	Gopalganj	2:30 Pm - 6:0 Pm	
8		Siwan		
9		Saran		
10	Tirhut	East Champaran	10:00am - 1:30 Pm	7.9.2023
11		West Champaran		
12		Muzaffarpur	2:30 Pm - 5:00 Pm	
13		Sheohar		
14		Sitamarhi	10:00am - 1:30 PM	8.9.2023
15		Vaishali		
16	Purnia	Araria	2:30 Pm - 5:00 Pm	
17		Katihar		
18		Kishanganj	10:00am - 1:30 PM	11.9.2023
19		Purnea		
20	Bhagalpur	Banka	2:30 Pm - 5:00 Pm	
21		Bhagalpur		
22	Darbhanga	Darbhanga	10:00am - 1:30 PM	12.9.2023
23		Madhubani		
24		Samastipur	2:30Pm - 5:00 Pm	
25	Kosi	Madhepura		
26		Saharsa	10:00 am - 1:30 Pm	13.9.2023
27		Supaul		
28	Magadh	Arwal	2:30Pm - 5:00 Pm	
29		Aurangabad		
30		Gaya	10:00am - 1:30 PM	14.9.2023
31		Jehanabad		
32		Nawada	2:30Pm -6:00Pm	
33	Munger	Begusarai		
34		Jamui		
35		Khagaria	10:00am - 1:30 PM	15.9.2023
36		Lakhisarai		
37		Munger	2:30Pm - 5:00 Pm	
38		Sheikhpura		

विधानसभा क्षेत्र में 1215 उपस्वास्थ्य केंद्र तथा 436 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जायेगा। लेकिन आज ग्राउंड लेबल पर योजना को मंद करने में तेजस्वी के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी की लापरवाही की वजह से योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल साबित हो रही है। वर्तमान में राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के द्वारा बीएमएसआइसीएल, पटना को राशि दी गई। उसका अघतन वित्तीय स्थिति निम्न है, जो विभिन्न योजना के तहत राशि उपलब्ध कराई गई है :-

☞ FUND of APHC, CHC-HWC (vidhansabha under NRHM) वर्ष 2021-22 में 87,12,50,000.00 वर्ष 2022-23 में 5,09, 58,12,500.00 यानि कुल 5,96,70,62,500.00

☞ FUND of APHC, CHC & HWC (vidhansabha under 15th fin) 2021-22, 2022-23 1,30,77,75,000.00 ☞ FUND of HWC, vidhansabha under PM ABHIM वर्ष 2021-22,2022-23 जो कुल राशि दी गई 97,90,20,000.00 यानी अब तक कुल A+B+C= 8,25,38,57,500.00 रूपये, जो अप्रैल 2023 तक देय था। जिसमें से सैकड़ों पंचायतो में काम लटका हुआ है ,कही जमीन विवादित हो गया तो कही जमीन की उपलब्धता बाधित है। बिडंबना यह है की वर्ष 2012 में भोजपुर जिले के प्रखंड बरहरा अंतर्गत ग्राम पंचायत पूर्वी बबुरा के मुखिया श्रीमती नीतू देवी के द्वारा कोल्हरामपुर में 39 डिसमिल जमीन की उपलब्धता जो ग्रामपंचायत के आम सभा द्वारा पारित कर राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना, जिला पदाधिकारी-जिला स्वास्थ्य समिति, भोजपुर, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी भोजपुर, सहित अन्य सक्षम पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई कर उक्त जमीन, जिसके प्लॉट नम्बर 8223, खाता नम्बर-4013 आम गैरमजरुआ को अधिग्रहण कर अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए सुपुर्द किया गया, जिस पर आज तक किसी भी प्रकार का निर्माण अथवा कार्रवाई नही की गई, जो एक तरह से भ्रस्टाचार की भेट चढ़ गई। जमीन ट्रेसलेस कर दी गई। स्थलीय जाँच के क्रम में कोल्हारामपुर के स्थानीय समाज सेवी विजय कुमार यादव ने बताया की जो कार्य दस वर्ष पूर्व हो जाना चाहिए था, उसे यहाँ के कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा अप्रोच कर स्टॉप करवा दिया तथा फाइल को भोजपुर सिविल सर्जन के यहाँ पेंडिंग करवा दिया। जिस कारण पूर्वी बबुरा के चारों तरफ के पंचायत के कुल आबादी 60,000 (साठ हजार) इस सेवा से

त्रिभुवन यादव

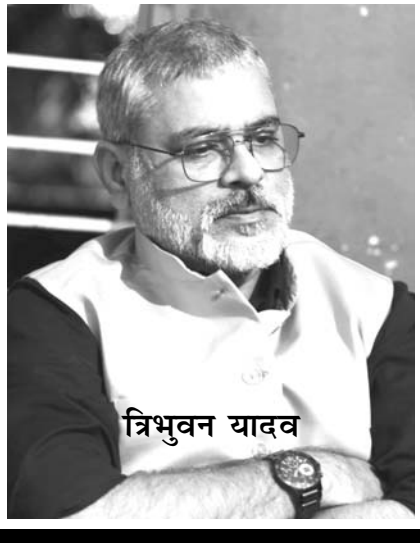

वंचित है, जो आजतक उपेक्षित है। पूर्वी बबुरा, पश्चिमी बबुरा, बभंगाव पंचायत के कुल अठारह गांव और दो गांव जो विशनपुर के है। वे सभी लोग तब के समय से आज के समय में ज्यादा उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। क्योंकि पटना के बिहटा से लेकर छपरा तक हजारों बालू ट्रक से रोड चौबीस घंटे जाम रहती है, जो सड़क टूट चुका है। जिस जाम के कारण महीने में कई लोगों की जान चली जाती है, गर्ववती महिला और बुजुर्ग पुरुष के सामने एक बड़ी समस्या यह भी है कि जो इलाज के अभाव में जिला मुख्यालय नही जा सकते। पूर्व मुखिया श्रीमती नीतू देवी ने कहा की ग्रामपंचायत पूर्वी बबुरा के विकास और तरक्की के लिए हमने कई कार्य किये है जो आज भी लोगों के जेहन में है। गांव में बिजली, वृक्षा रोपण, सड़क, नली-गली, कुआँ की मरम्ती, चापकल, बड़े स्तर पर शौचालय निर्माण, लाईट की व्यस्था कर पंचायत में अमन चयन कायम करने में मेरे समाजसेवी पति विजय कुमार यादव का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा की गांव के पक्की सड़क के बगल में आम गैरमजरुआ जमीन चिन्हित कर सरकार को उपलब्ध करवाया गया था, जिस पर आजतक निर्माण कार्य नही किया गया। अंत में दस वर्ष बाद एक आस जगी है, जो कार्य दस वर्षो से रुका था। वह उसका अब फलाफल होने वाला है, जो इस कार्य को गति प्रदान करने में सोशल एक्टिविस्ट त्रिभुवन प्रसाद यादव की अग्रणी भूमिका रही है। त्रिभुवन प्रसाद यादव, आरटीआई एक्टिविस्ट सह व्हिसिल ब्लोयर ने कहा की बिहार के सैकड़ो पंचायत में जमीन की उपलब्धता रहने के बावजूद अधिकारी के मंद चाल और लापरवाही के कारण योजना अपने लक्ष्य को हासिल करने में दूर है।●

अशोक चौधरी

मंत्री अशोक चौधरी और किशोर कुणाल की जोड़ी ने करोड़ों रूपये के वेद विद्यालय की हड़पी जमीन

किशोर कुणाल

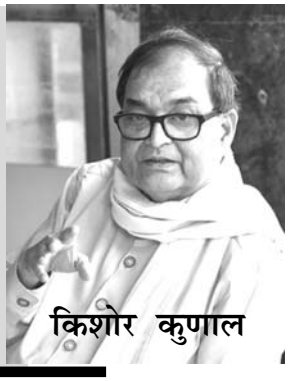

कार्यालय अंचल अधिकारी, पटना सदर,पटना।
पत्रांक 7709 /दिनांक 25/08/23

सेवा में,
अंचल अधिकारी,
पटना सदर।

अनुमण्डल पदाधिकारी
पटना सदर।

विषय:- श्री ठाकुरजी राम मंदिर, अड़रा, विद्यापति मार्ग, पटना के मनोनित सदस्य के सुचि के संबंध में।

प्रसंग:- जिलाधिकारी कार्यालय पटना, के पत्रांक 11689/गो0 दिनांक 24.08.2023 एवं बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् के पत्रांक-1748 दिनांक-16.08.02023

महाशय,

उपरोक्त विषयक श्री ठाकुरजी राम मंदिर, अड़रा विद्यापति मार्ग, पटना के समिति के गठन हेतु स्वच्छ छवि के स्थानीय हिन्दु लोगों का नाम राजस्व कर्मचारी द्वारा अनुशंसा सहित प्राप्त हुआ है। उक्त स्थानीय लोगो को मंदिर समिति के संचालन हेतु समिति में चयनित करने की अनुशंसा की जाती है। चयनित लोगों का नाम एवं पता निम्नवत है:-

क्र0	नाम, पता व मोबाईल नम्बर
1	श्री अशोक चौधरी, पिता-स्व0 महावीर चौधरी ,पता-02 पोलो रोड पटना-800001 मोबाईल-9709360000
2	श्री विनय कुमार सिंह, पिता- स्व0 रामकृपाल सिंह, पता-59 पाटलिपुत्रा, पटना मोबाईल-9431022207
3	श्री अरविन्द कुमार छोटू सिंह पिता- श्री राजकुमार सिंह पता-शशी भवन, रामनगर जक्कनपुर थाना-पीरबहोर, पटना-800001, मोबाईल-9835085555
4	श्री राकेश कुमार अग्रवाल, पिता-श्री सत्यनारायण अग्रवाल पता-फ्लैट नं0-501, एग्जिबिशन रोड, नारायण प्लाजा के पीछे, पटना-800001 मोबाईल-9334117776
5	श्री रजीत कुमार झा, पिता-श्री अ[illegible] कुमार झा पता-बी/201, ..., नेहरू नगर, रोड नं0-4, पटना-800013, मोबाईल-9[illegible]0001
6	श्री रमेश गुप्ता, पिता-स्व0 श्रीकृष्ण गुप्ता पता-502, ..., कोतवाली, पटना-1 मोबाईल-9431022180
7	श्री विशाल अग्रवाल, पिता-श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल पता- पुनेश्वर मेंशन, बोरिंग कैनाल रोड, नागेश्वर कॉलोनी पटना मोबाईल-933972614
8	श्री संजय कुमार टेकरीवाल, पिता-स्व0 ... टेकरीवाल पता- शारदा सदन, निकट स्टेट बैंक ..., पटना-20, मोबाईल-9431020225
9	श्री विपुल यादव, पिता-श्री निकेत कुमार यादव पता- कलिकेत नगर, बेली रोड, पटना मोबाईल-9835060779
10	डॉ0 पुरूषोत्तम मिश्रा, पिता-स्व0 ... प्रसाद मिश्र पता- श्रीकृष्ण नगर, रोड नं0-21, ... पटना-1 मोबाईल-9835060779
11	श्री जगजीवन सिंह, पिता-स्व0 अमृतपाल सिंह पता-पुजारी कॉलोनी, चितकोहरा, पटना-800002 मोबाईल-9835050779
12	श्री रविन्द्र कुमार गुप्ता पूर्व अध्यक्ष-श्री ठाकुरजी राम मंदिर, अड़रा मंदिर, विद्यापति मार्ग, पटना।

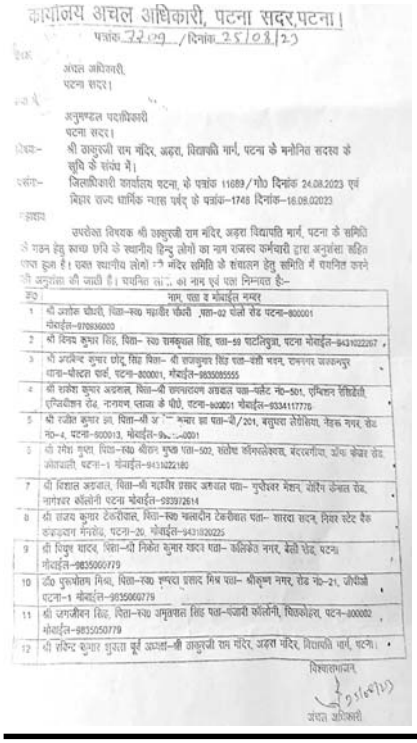

विश्वासभाजन,
25/08/23
अंचल अधिकारी

● **शशि रंजन सिंह/राजीव शुक्ला**

बिहार में तथाकथित धर्मनिरपेक्ष गठबंधन की सरकार है। पहले राष्ट्रीय जनतांतत्रिक गठबंधन में नितीश कुमार सरकार के मुखिया थे और आज भी महागठबंधन में नितीश कुमार सरकार के मुखिया हैं। लेकिन एक निति दोनों सरकारों में रही है कि कैसे हिन्दु के मठ-मंदिरों पर कब्जा किया जाए। साथ ही गौशाला को नेस्तोनाबूत करते हुए उसके जमीन पर सरकार संरक्षित भू-माफियाओं का कब्जा हो जाए या सरकार खुद ही कब्जा कर ले। उसी तरह नितीश कुमार किशोर कुणाल के माध्यम से हिन्दु धर्म के लिए निमित बिहार राज्य न्यास पर्षद पर कब्जा जमाये हुए है। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म का अलग-अलग न्यास पर्षद होने के बावजूद हिन्दुओं को नीचा दिखाने के लिए बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद का अध्यक्ष अखिलेश जैन को बनाये हुए है, जो हिन्दु साधु-संतों को जलील करता है और उसे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता है।

आचार्य किशोर कुणाल के नये-नये संधी बने, मंत्री अशोक चौधरी भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, तो उनकी नजर विद्यापति मार्ग स्थित राजधानी के नाक कहे जाने वाले संत पशुपतिनाथ वेद विद्यालय की कई करोड़ की किमती जमीन पर पड़ गई। मंत्री अशोक चौधरी नितीश कुमार के करीबी हैं, जिसका फयदा उठा कर इन्होंने अंचलाधिकारी, सदर पटना के माध्यम से मंदिर संचालन समिति का गठन करवा लिया। साथ ही मंदिर के जमीन पर टेड़ी नजर रखने वाले जदयू नेता अरविंद सिंह उर्फ छोटू सिंह को भी समिति में स्थान दे दिया। बिहार राज्य धार्मिक पर्षद ने भी तत्पर्ता दिखाते हुए फर्जी हिन्दु धर्मावलंबियों की 11 सदस्यीय समिति बना कर इसे अपने कब्जे में ले लिया और मंदिर पर कब्जा जमाने के उद्देश्य से चहारदिवारी का निर्माण शुरू करवा दिया। सरकार जिस तरह हिन्दु धर्म के जमीन पर कब्जा करना शुरू किया है, तो वह दिन दूर नहीं जब हिन्दु धर्म की सारी सम्पति सरकार के कब्जे में चली जायेगी। बिहार में चाहे भाजपा, राजद, जदयू, कांग्रेस किसी की भी सरकार रही हो, हिन्दु धर्म को बदनाम और लुटने का काम किया है। हिन्दु धर्म और हिन्दु धर्म के सम्पति को सरकारें सॉफ टारगेट समझती है। वहाँ रहने वाले पंडितों का कहना है कि सरकार ने हमारी मंदिर के जमीनों का अधिग्रहण किया है, दूसरे धर्म के जमीन पर कर के दिखावे।

कहते है न कि भगवान के घर देर होता है अंधेर नहीं। वहीं हुआ, मंत्री अशोक चौधरी का संसद बनने का सपना चूर-चूर हो गया। साथ ही उनको जमूई के प्रभारी मंत्री के पद से भी हटा दिया गया है और जिलाधिकारी महोदय, पटना भी डेंगू से पिड़ित हो कर अस्पताल पहुँच गए। ●

प्रा०५

☎0612-2508940
2508944

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद
विद्यापति मार्ग, पटना-800001
BIHAR STATE BOARD OF RELIGIOUS TRUSTS
VIDYAPATI MARG, PATNA-800001
E-mail :- dharmiknyas@gmail.com

पत्रांक:- -: अ धि सू च ना :- दिनांक:-

श्री ठाकुरजी राम मंदिर (अड़रा मंदिर), विद्यापति मार्ग, जिला- पटना जो बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद, पटना के अन्तर्गत निबंधित सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या- 873 है।

उक्त न्यास की व्यवस्था हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक- 4331, दिनांक- 29/12/2021 द्वारा 09 सदस्यीय न्यास समिति का गठन किया गया था। न्यास समिति का कार्यकाल एक वर्ष का निर्धारित था। न्यास समिति का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। ऐसी स्थिति में नवीन न्यास समिति का गठन अपेक्षित है। न्यास स्थल पर एक वेद विद्यालय संचालित किया जा रहा है, जिसमें वेद के अध्ययन-अध्यापन का कार्य किया जाता है।

नवीन न्यास समिति गठन हेतु पर्षदीय पत्रांक- 1748, दिनांक- 16/08/2023 के द्वारा जिलाधिकारी, पटना से स्वच्छ छवि के अधिकतम ग्यारह हिन्दू सज्जनों का नाम की मांग की गयी। जिलाधिकारी, पटना का पत्रांक- 11735/गो०, दिनांक- 25/08/2023, अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर का पत्रांक- 1492/गो०, दिनांक- 25/08/2023 के अनुलग्नक तथा अंचलाधिकारी, सदर, पटना का पत्रांक- 7709, दिनांक- 25/08/2023 के साथ संलग्न सूची प्राप्त हुयी।

उपरोक्त सूची में वर्णित नामों को चरित्र-सत्यापन हेतु पर्षद द्वारा संबंधित थानाध्यक्ष को पत्र प्रेषित किया गया।

उपरोक्त सभी परिस्थितियों पर विचार करते हुए जिलाधिकारी, पटना से प्राप्त नामों प्रस्तावित न्यास समिति के संबंध में योजना का निरूपण करते हुए, इसके कार्यान्वयन हेतु एक न्यास समिति का गठन करने का निर्णय लिया जाता है।

अतः पर्षदीय आदेश दिनांक- 05/09/2023 द्वारा अनुमोदन के पश्चात बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा- 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए "श्री ठाकुरजी राम मंदिर (अड़रा मंदिर), विद्यापति मार्ग, जिला- पटना" के सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन किया गया है।

-: 4 :-

उक्त आदेश के आलोक में "श्री ठाकुरजी राम मंदिर (अड़रा मंदिर), विद्यापति मार्ग, जिला- पटना" के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोट- न्यास समिति / पदाधिकारी / सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पति / भूमि का हस्तान्तरण / बदलैन / विक्रय / पट्टा / लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

नोट- न्यास समिति अपनी प्रथम बैठक में कोषाध्यक्ष का चयन कर, पर्षद के अनुमोदनार्थ प्रेषित करेगी।

ह0/-
(अखिलेश कुमार जैन)
अध्यक्ष।

ज्ञापांक:- दिनांक:-

प्रतिलिपि:- नवगठित न्यास समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अखिलेश कुमार जैन)
अध्यक्ष।

संसद के विशेष सत्र में मोदी सरकार कौन-कौन से बिल लाने वाली है?

● **सिद्धांत मोहन**

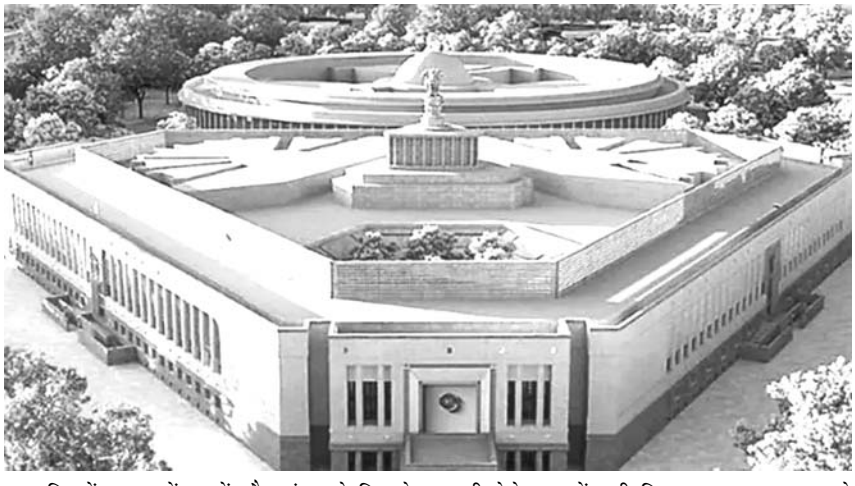

आज खबर देश की संसद से जुड़ी हुई है. जहां नेता और सांसद आगामी सोमवार से शुक्रवार तक - 18 से 22 सितंबर तक - विशेष सत्र के तहत बैठने वाले हैं. उन पर हमारी नजर होगी. इसलिए भी जरूरी है नजर कि देश के नेता आजकल देश की भाषा को लेकर परेशान हैं. कोई भाषा देश को जोड़ती है या नहीं जोड़ती है, इस पर बहस कर रहे हैं. सब अपनी जुबान पर अपना दावा ठोंकते हैं, लेकिन नेताओं को एक बात ध्यान रखनी तो चाहिए. जब इन भाषाओं में वर्जिश करने वाले लोगों ने भाषा को लेकर कोई इसरार नहीं किया. दिन रात लिखकर पन्ने रंग देने वाले लेखकों ने कोई ऐसा दावा नहीं किया, तो नेताओं को भाषा को अपनी राजनीति से दूर रख देना चाहिए. किसी भी भाषा की महत्ता के लिए भाषा के शाहकार होंगे. चाहे वो तमिल हो या हिन्दी. नेताओं को ध्यान होना चाहिए देश की संसद पर. संसद पहुंचने से ज्यादा संसद की कार्रवाई पर. वो अपने वोटरों और देश के करदाताओं के लिए कितना सही और सटीक कानून बना पाते हैं? देश की संसद का कितना अमूल्य समय चलने देने में रुचि रखते हैं? बहस कैसी होती है? नेताओं का ध्यान इधर होना चाहिए. इसलिए आज हम इस पर ही बात करेंगे. अगले हफ्ते देश की संसद में क्या होने वाला है? कौन से बिल बहस और वोटिंग के लिए आएंगे? और वो कौन से मुद्दे हैं, जो अगले हफ्ते बहस की लिस्ट के साथ-साथ कीवर्ड की लिस्ट में होंगे?

13 सितंबर को लोकसभा से बुलेटिन जारी किया गया. इस बुलेटिन में ब्यौरा था कि 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद के विशेष सत्र के दरम्यान क्या होगा? बुलेटिन में कहा गया कि विशेष सत्र के पहले दिन यानी 18 सितंबर को संसद के 75 सालों की यात्रा, सदन की उपलब्धियों, अनुभवों, यादों और संसद से निकले सबक की चर्चा होगी. फिर इसी बुलेटिन में 4 बिलों का नाम लिखा था-

☞ अधिवक्ता (संशोधन) बिल

☞ प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरीयॉडिकल बिल

☞ दी पोस्ट ऑफिस बिल

☞ मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्त और कार्यकाल) बिल

★ इन विधेयकों में क्या है और क्या बातें होंगी, अब ये संक्षेप में जानते हैं :-

सबसे पहले अधिवक्ता संशोधन बिल. 1 अगस्त को सबसे पहले ये बिल राज्यसभा में पेश किया गया था. क्या है इस बिल का उद्देश्य? विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने इस मौके पर पत्रकारों से कहा था कि अदालतों में ऐसे लोग होते हैं, जो जजों को, वकीलों और मुवक्किलों को प्रभावित करने का काम करते हैं. इनसे सावधान रहने की जरूरत है. कानूनी भाषा में ऐसे लोगों को टाउट्स कहा जाता है. फौरी अनुवाद होगा दलाल. ये लोग वकीलों, जजों और मुवक्किलों के बीच काम करके अपने पैसे बनाते हैं. इस बिल के पास होने के बाद हाईकोर्ट जज से लेकर जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर तक के अधिकारी ऐसे दलालों की लिस्ट बनाकर छाप सकते हैं. अगर किसी व्यक्ति पर दलाली का संदेह है, तो उसकी जांच का भी आदेश दे सकते हैं. आरोपी को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा, साथ ही दोष साबित हो गया तो 3 साल की कैद, 500 रुपये का जुर्माना या दोनों भरना पड़ सकता है.

अब बात करते हैं प्रेस एंड रजिस्ट्रैशन ऑफ पीरीयॉडिकल बिल की. छोटे में इसको PRP बिल भी कहते हैं. आसान तरीके से समझिए. अगर आप या हम कोई पीरीआडिकल या कोई पत्रिका या कोई अखबार निकालना चाहते हैं तो ऐसी पत्रिकाओं का रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य होता है. काफी कागजी कार्रवाई करनी होती है, तब जाकर प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के यहां आपकी पत्रिका का रजिस्ट्रेशन हो पाएगा. अब सरकार द्वारा लाए जा रहे इस PRP बिल की मानें तो इस बिल के पास होने के बाद ये प्रक्रिया आसान हो जाएगी. ये बिल साल 1867 में बने प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन कानून को रिप्लेस करने के लिए लाया गया है. लेकिन इसके साथ कुछ चीजें और हैं. जैसे :-

☞ पहले किसी पत्रिका के रजिस्ट्रेशन के कैंसल करने या सस्पेन्ड करने का अधिकार जिलाधिकारी के पास होता था. वो जिलाधिकारी, जहां से मूल प्रकाशन किया जा रहा है. इस बिल के पास होने के बाद ये अधिकार प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के पास भी ये अधिकार हो जाएगा.

☞ प्रकाशकों को डीएम के सामने शपथ पत्र

देना पड़ता था, इस बिल के पास होने के बाद ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं होगी.

☞ अपील अधिकारी का भी प्रावधान लाया गया है, प्रकाशक इन अधिकारियों के पास प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के फैसलों की अपील कर सकेंगे.

☞ पहले गलत जानकारी छापने पर 6 महीने की जेल हो सकती थी, नए बिल के पास होने के बाद बस बिना रजिस्ट्रेशन के पत्रिका-अखबार छापने पर जेल होगी.

☞ इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को कोर्ट से किसी आतंकी गतिविधि या किसी गैरकानूनी काम के लिए सजा हुई है, उसे पत्रिका-अखबार छापने का अधिकार नहीं होगा.

☞ ऐसा भी कोई व्यक्ति जिसने देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का कोई भी काम किया है, उसे भी छापने का अधिकार नहीं होगा.

अब यहां बता दें तो काडर लॉक होने के बाद, और प्रभार मिलने के साथ जिलाधिकारी राज्यों की सरकार के प्रति जवाबदेह होता है. लेकिन प्रेस रजिस्ट्रार केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत आता है. ऐसे में ये भी समझा जा सकता है कि इस बिल के प्रभाव में आने के बाद डीएम की शक्ति कम हो जाएगी, और केंद्रीय एजेंसी की शक्ति बढ़ जाएगी. इस बिल को 3 अगस्त को राज्यसभा में ध्वनिमत से पास कर दिया. बता दें कि इस दिन विपक्ष के सांसद सदन में मौजूद नहीं थे. पास होने के बाद एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की ओर से आपत्ति दर्ज की गई. बयान आए. इस बयान में कहा गया है कि सरकार इस कानून के जरिए सरकार अखबारों और पत्रिकाओं के कामकाज में दखल करेगी. गिल्ड ने ये भी कहा है कि जिस तरह सरकार ने सजा पाए लोगों से पत्रिका छापने का अधिकार छीना है, वो दिक्कत की बात है. क्यों?

क्योंकि बकौल गिल्ड, हाल के दिनों में मनमाने ढंग से नच और राजद्रोह जैसी धाराओं का इस्तेमाल लोगों के खिलाफ किया गया. निशाने पर पत्रकार और मीडिया संस्थान रहे. ऐसे में देखें तो जो लोग सरकार के आलोचक हैं, इस कानून के जरिए उन्हें सरकार कुछ भी छापने से रोक सकती है.

अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस बिल के बारे में. ये साल 1898 के इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट को रिप्लेस करने की नीयत से लाया गया है. इसकी मुख्य बातें बताते हैं :-

☞ अगर डाक अधिकारियों को शक होता है कि किसी पार्सल या किसी डाक में ड्यूटी नहीं अदा की गई है, या वो कानून द्वारा प्रतिबंधित है, तो अधिकारी उस पार्सल को कस्टम अधिकारी को भेज देगा. कस्टम अधिकारी उस पार्सल से कानून के मुताबिक निबटेगा.

☞ केंद्र सरकार अधिकारी की नियुक्ति करेगी. उस अधिकारी को अगर लगता है कि कोई पार्सल राष्ट्र की सुरक्षा के खिलाफ है, किसी दूसरे देश से संबंधों में चोट पहुंचा सकता है, या

शांति में बाधा पहुंचा सकता है, तो वो अधिकारी उस पार्सल को रोक सकता है, खोलकर चेक कर सकता है और चाहे जब्त कर सकता है. बाद में ऐसे सामान को नष्ट भी किया जा सकेगा.

☞ अक्सर होता है कि हम लोगों के पार्सल खो जाते हैं या देर से आते हैं या डैमेज हो जाते हैं. मन करता है कि डाक अधिकारी के खिलाफ केस कर दें. लेकिन ऐसा कर नहीं पाएंगे क्योंकि नए कानून में ऐसा प्रावधान बनाया गया कि ऐसी स्थितियों में डाक अधिकारियों पर केस नहीं किया जा सकेगा.

☞ पोस्ट ऑफिस के पास डाक टिकट जारी करने का अधिकार होगा

अब इसके बाद बात करते हैं सबसे बहसतलब बिल की. मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और टर्म ऑफ ऑफिस) बिल, 2023. हम इसे छोटे में इलेक्शन कमिशनर बिल कहेंगे. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयोग और प्रशासनिक तबके में इसे लेकर बेचैनी बनी हुई है. अटकलें हैं कि इसके जरिए सरकार चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों को कम करना चाहती है, जिससे उनके अधिकारों के खत्म होने का खतरा है. क्या क्या है इस विधेयक में?

☞ चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान. बिल पास हो गया तो नए तरीके से चुनाव आयुक्त नियुक्त होंगे. एक पैनल होगा. इसमें प्रधानमंत्री होंगे. एक केंद्रीय मंत्री होगा और विपक्ष के नेता होंगे . ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने मार्च के महीने में सुझाव दिया था कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के पैनल में भारत के चीफ जस्टिस को भी रखा जाए, ये सुझाव साल 2015 में दायर एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए दिया था. लेकिन नए वाले

बिल में सुप्रीम कोर्ट के जज की जगह एक केंद्रीय मंत्री को जगह दी गई है. यानी दो व्यक्ति सरकार के, एक व्यक्ति विपक्ष का. बता दें कि मौजूदा समय में मुख्य चुनाव आयुक्त और सभी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और नामों का अनुमोदन प्रधानमंत्री की ओर से किया जाता है.

☞ इसके अलावा एक सर्च कमिटी बनेगी. इसको हेड करेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी. साथ में दो और सेक्रेटरी होंगे. ये लोग पांच प्रत्याशियों को खोजकर नियुक्ति वाली कमिटी को भेजेंगे.

☞ इस बिल में मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों को बदलने का प्रस्ताव है. इसके जरिए उनका पद कैबिनेट सचिव के बराबर हो जाएगा. मौजूदा समय में उनका पद सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है.

इससे अंतर क्या पड़ेगा? अंतर खास नहीं है. जज और कैबिनेट सचिव की सैलरी बराबर ही है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों को रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी लाभ मिलते हैं. इनमें ताउम्र ड्राइवर और घरेलू मदद के लिए कर्मचारी शामिल हैं. लेकिन यदि मौजूदा बदलाव लागू होते हैं तो वो ब्यूरोक्रेसी के नजदीक हो जाएंगे. इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इस बिल के बाद चुनाव आयुक्तों की पोस्ट राज्यमंत्री से भी नीचे हो जाएगी. ऐसे में चुनाव के दौरान कोई केंद्रीय मंत्री कोई नियम तोड़ता है तो चुनाव आयुक्त उन पर कार्रवाई कैसे कर पाएंगे? ये भी बताया गया है कि फिलहाल चुनाव आयुक्त किसी सरकारी अधिकारी को किसी काम से बुलाते हैं तो उनके आदेश को सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर माना जाता है. लेकिन कैबिनेट सचिव के बराबर होने पर उनके आदेश को कैसे देखा जाएगा?

ये तो एजेंडा हो गया सरकार का. अब बात करते हैं कि अगले हफ्ते संसद के पटल पर और क्या क्या आ सकता है? इसमें वन नेशन वन इलेक्शन की संभावना की चर्चा भी हो रही है, महिला आरक्षण बिल की. इस बिल की बात बरसों से हो रही है. बात ये कि इसे पास होने के बाद देश की संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीट आरक्षित हो जाएगी. बेहद जरूरी कदम है. उठाया जाना चाहिए. बहस पर बात नहीं रुकनी चाहिए. इतिहास में एकाध बार इसे सदन में रखा भी गया. 1996 में देवगौड़ा सरकार और 1998, 1999, 2002 और 2003 में NDA द्वारा इसे लोकसभा में लाया गया. हर बार पास होने में फेल हो गया. साल 2008 में जब UPA की सरकार थी, तो ये बिल राज्यसभा में पास भी हो गया था. लेकिन लोकसभा में इस पर बहस भी नहीं हो सकी और बिल लैप्स कर गया. भाजपा ने भी साल 2014 और 2019 के चुनावी घोषणापत्र में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही भी थी. सरकारों की मंशाएं महिलाओं को लेकर दिखती हैं. लेकिन अभी ये बात कैसे शुरु हुई. मोदी सरकार ने सिलिंडर पर सब्सिडी बढ़ाने की घोषणा की, उज्ज्वला कनेक्शन बढ़ाने की घोषणा की और हर बार ऐसी घोषणाओं में महिलाओं को बहनों-मांओं की तरह देखा गया. तो लगा कि सरकार चुनावी साल में महिला वोटरों को साधने के लिए थोड़ा और हाथ-पैर मार रही है. तो बिल भी आ सकता है. ताजा सुगबुगाहट बढ़ी है भाजपा की महिला मोर्चा की अध्यक्ष वनथी श्रीनिवासन के इंटरव्यू के सामने आने के बाद. ये इंटरव्यू छपा है इंडियन एक्सप्रेस में. श्रीनिवासन से इस इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या आप ये आशा रख रही है कि पीएम मोदी अब कानून लाने की ओर कदम उठाएंगे? श्रीनिवासन ने कहा-'हम बहुत आशावादी हैं. भाजपा ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि हम कर दिखाएंगे.' आगे श्रीनिवासन ने कहा कि पीएम मोदी ये भी कन्फर्म कर रहे हैं कि भाजपा के प्रत्याशियों की लिस्ट में ज्यादा से ज्यादा महिला उम्मीदवार हों. हम विधेयक को लेकर पाजिटिव महसूस कर रहे हैं. सनातन धर्म. तमिलनाडु के मंत्री और क्डज्ञ नेता उदयनिधि स्टालिन ने एक बयान दिया था. सनातन धर्म का नाश कर दो. उनकी पार्टी INDIA नाम के गठबंधन में शामिल है. आपको पता ही होगा कि INDIA का गठबंधन किया गया कई विपक्षी पार्टियों को मिलाकर. इन पार्टियों का लक्ष्य साफ था कि भाजपा को आगामी लोकसभा चुनावों में हराना. तो इन्होंने एकसाथ आकर एक गठबंधन बनाया और नाम INDIA रख दिया. अब जब उदयनिधि ने बयान दे दिया तो कांग्रेस समेत इंडिया ब्लॉक के सभी पार्टियों पर सवाल उठाए जाने लगे कि उनका उदयनिधि के बयान पर क्या सोचना है? क्या वो उदयनिधि के बयान से खुद को जोड़ते हैं? और भाजपा ने इसको अपना मुद्दा बनाया. पार्टी के नेताओं ने अपने-अपने तरीकों से बयान दिए.

जी20 के समापन के बाद पीएम मोदी ने अपनी पार्टी के नेताओ को बताया कि वो सनातन पर की जा रही टिप्पणियों का जवाब दें. लेकिन ये बंद कमरे की बातचीत थी. 14 सितंबर को पीएम मोदी सामने आए. उन्होंने इस मुद्दे पर पहली बार कोई सार्वजनिक बयान दिया. वो मध्य प्रदेश के बीना में पहुंचे हुए थे. 51 हजार करोड़ की औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन करने. उन्होंने कहा कि इन लोगों ने आज बोलना शुरु किया है, कल को ये लोग हम पर देश भर में हमले करना शुरु कर देंगे. ये सनातन को कुचलकर देश को गुलामी में धकेलना चाहते हैं.प्रधानमंत्री

के बयान के बाद कांग्रेस खेमे से भी सफाई आनी शुरु हुई. कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने जवाब दिया. कहा कि हमें ये किसी को समझाने की जरूरत नहीं है कि हमारा देश सनातन धर्म का देश है और यहां दूसरे धर्म भी हैं. सनातन धर्म किसी को ये नहीं सिखाता कि दूसरे धर्मों को खुद से दूर रखो. तो जब सनातन धर्म पर इतनी बहस हो रही है, तो इसकी संभावना बनती है कि संसद के स्पेशल सेशन में भाजपा विपक्ष पर इस मुद्दे को लेकर हमला करे. विपक्ष जो अब तक उदयनिधि के बयान पर सीधे कुछ भी बोलने से बचता आया है, संभव है कि इस जुगत को अपने तरीके से टैकल करे. लेकिन विपक्ष के बाद भी मुद्दों की कमी नहीं होगी. कुछ ही हफ्तों पहले बीते मानसून सत्र में विपक्ष ने सरकार पर मणिपुर हिंसा को लेकर घेरने की कोशिश की थी. इस बार विपक्ष के तरकश में क्या है? मुमकिन है कि इस बार फिर से कांग्रेस नेता और लोकसभा में डिप्टी लीडर गौरव गोगोई सदन में एक्टिव होंगे. अपने राज्य के मुख्यमंत्री हिमन्त विश्वा शर्मा सरमा पर हमलावर होंगे. दोनों नेता एक दूसरे से ट्विटर पर लड़ तो रहे ही हैं, क्या अचरज होगा कि बात सदन में आ जाए? लेकिन जनाब बात क्या है?

बात है कि गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा की फर्म को केंद्र सरकार से 10 करोड़ रुपये की सब्सिडी मिली है. इसके लिए सीएम सरमा ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया है. जवाब में हिमंत ने कहा है कि उनकी पत्नी या उनकी फर्म को केंद्र सरकार से कभी कोई फंड नहीं मिला. इसमें एक कंपनी का नाम रख देते हैं – प्राइड ईस्ट इन्टरटेन्मेंट प्राइवेट लिमिटेड. सरमा की पत्नी रिनिकी इस फर्म में चेयरमैन और मैनिजिंग डायरेक्टर हैं. ये कंपनी पूर्वोत्तर भारत की कुछ बड़ी मीडिया कंपनियों में से एक है. खबरों के मुताबिक, इस कंपनी के पास कई मनोरंजन चैनल, दो न्यूज चैनल, एक अखबार और एक न्यूज पोर्टल है. गौरव गोगोई के आरोप हैं कि इसी कंपनी को मिले हैं 10 करोड़ रुपये. इसके साथ गौरव गोगोई ने एक कागज भी पोस्ट किया. इस पोस्ट में थी एक कागज की फोटो. ये लोकसभा में पीयूष गोयल के जवाब की कॉपी थी. मार्च में असम के तेजपुर से भाजपा सांसद पल्लव दास ने सवाल पूछा था कि असम में सरकार ने कितने उद्योगों को सपोर्ट किया. पीयूष गोयल ने जवाब दिया मार्च की 22 तारीख को. इसे ही गोगोई ने शेयर किया था. और इस कागज की मानें तो मुख्यमंत्री शर्मा की पत्नी रिनिकी की कंपनी को इतना अनुदान केंद्र की ओर से दिया गया था. ट्विटर, अब एक्स, पर गौरव गोगोई और हिमन्ता के बीच बहस हुई. गौरव ने प्रधानमंत्री कार्यालय से जवाब और कार्रवाई की अपील की. हिमन्ता ने आरोपों को खारिज किया और कहा कि वो गौरव के खिलाफ मानहानि का केस करेंगे. तो अब अंदरखाने में ये बात होने लगी है कि शायद विपक्षी इस कांड से भी सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे. और असम में गोगोई परिवार और हिमन्ता के बीच अदावतों के किस्से भी मशहूर हैं. लेकिन संसद का सत्र जैसा हो, productive हो. बिलों पर बहस हो. उन पर पूरी संसदीय प्रक्रिया और लोकतान्त्रिक प्रक्रिया का पालन करवाते हुए वोटिंग हो. संसद में बैठे नेता और संसद को चलाने के लिए जिम्मेदार नेता ये याद रखें कि हम उन्हें देख रहे हैं, जनता उन्हें देख रही है, उनके वोटर उन्हें देख रहे हैं. ●

दहेज का उत्पीड़न और दुष्कर्म का झूठा आरोप माफी लायक नहीं

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि महिला द्वारा पति के परिवार पर दहेज उत्पीड़न और दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाना और क्रुरता के समान है। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि किसी भी विवाह का आधार सहवास और दंपति संबंध होता है और एक जोड़े को एक दूसरे के साथ रहने से वंचित किया जाना साबित करता है कि विवाह चल नहीं सकता है और वैवाहिक रिश्ते से इस तरह वंचित करना अत्यधिक क्रुरता का कार्य है। अदालत ने यह टिप्पणी एक महिला की अपील खरीफ करते हुए की। जिसमें पारिवारिक अदालत द्वारा पति से अलग रहते को अपने पति क्रुरता मानते हुए तलाक की अनुमति देने की चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्याय मूर्ति लीला बंसल कृष्ण की पीठ ने कहा, वर्तमान मामले में निर्विवाद रूप से दोनों पर पक्ष 14 से अलग-अलग रह रहे हैं जो साबित होता है कि वैवाहिक संबंध बनाए रखने में असमर्थ हैं जिसे एक दूसरे को सहयोग और वैवाहिक रिश्ते से वंचित किया जा रहा है। लगभग 9 वर्षों तक इस तरह अलग रहना अत्यधिक मानसिक क्रूरता का उदाहरण है जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम और के तहत क्रुरता के आधार पर वैवाहिक संबंध तत्काल विच्छेद करने की मांग की गई है।

पीठ ने कहा की पत्नी द्वारा पति के खिलाफ दायर की गई झूठी शिकायत के पुरुष के खिलाफ मानसिक क्रूरता है। अदालत ने कहा इस बात को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है कि प्रतिवादी पति के परिवार के सदस्यों के खिलाफ न केवल दहेज उत्पीड़न बल्कि बलात्कार के गंभीर आरोप लगाए गए, जो झूठे पाए गए। यह अत्यधिक क्रुरता का कार्य है जिसके लिए कोई माफी नहीं हो सकती। अदालत में रेखांकित किया कि अलग हुए जोड़ा वमुश्किल से 13 महीने तक एक साथ रहा और अपने वैवाहिक रिश्ते को कायम रखने में सक्षम नहीं है। पति ने दावा किया की शादी के दिन से महिला घरेलू कर्तव्यों का पालन करने में विफल रही और उसे और उसके परिवार के सदस्यों को बताएं बिना अक्सर मायके चली जाती थी उसने आरोप लगाया की पत्नी ने आत्महत्या करने और उसे उसके परिवार के सदस्यों को झूठे मामलों में फंसाने की भी धमकी देती थी पुरुष के मुताबिक पत्नी अक्सर झगड़ा करती थी। भाजपा के पूर्व मीडिया प्रभारी डॉ लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने कहा कि पति पत्नी की झगड़ा को पुलिस द्वारा निर्णय कर देना चाहिए यदि मुकदमा दर्द हो जाए तो वैसी स्थिति में पुलिस के वरिय अधिकारियों को न्यायालय जाने से पहले निर्णय कर देना चाहिए। तिलक दहेज का अधिकांश मामला झूठ होती। तिलक दहेज का मामला में दूर-दूर तक संबंध नहीं रहने के बावजूद अलग रहने वाले गोतनी, ससुराल में रहने वाले ननद, 80 साल के सास, 90 साल के ससुर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा दी जाती है।●

अभी कलम उठाइये

आपके सामने हो रहे भ्रष्टाचार एवं अपराध की खबर की समीक्षा करें और सरकार सहित पुलिस-प्रशासन तक उसको पहुंचाने के लिए केवल सच पत्रिका के साथ जुड़े। खबर की जानकारी इस नम्बर पर दें

सम्पर्क करें:- 9431073769/9955077308

ई-मेल:- editor.kstimes@rediffmail.com पर भेजें।

I.N.D.I.A.
के अर्थ में छिपा है उसका विरोध

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

राजनीति में सही समय का इंतजार होता है और उसे वक्त का भी जब ऐतिहासिक त्रुटियों को दुरुस्त किया जा सके। अभी ऐसा ही एक मौका है जब 'इंडिया' की जगह 'भारत' करने को लेकर चौतरफा चर्चा चल रही है। इंडिया का शाब्दिक अर्थ होता है असभ्य, जंगली। अंग्रेज भारतीयों को इंडियन नाम से इसलिए बुलाते थे और इसी तरह मूल अमेरिकी को रेड इंडियन कहा जाता था। इसके बरअक्स, भारत एक सनातन नाम है। यह सनातन का हिस्सा है। 'भा' से भाव, 'र' से राग और 'त' से ताल। विष्णु पुराण से लेकर महाभारत तक और उसके बाद भी इस भूमि को भारत ही कहा जाता है। यदि आप ऑक्सफोर्ड की पुरानी डिक्शनरी के पन्ने पलटे हैं तो उसमें इंडियन शब्द का मतलब बताया गया है ओल्ड फैशन्ड क्रिमिनल एंड पीपुल्स,यानी पिछडे और रूढ़िवादी विचारों वाले अपराधी लोग।

औपनिवेशिक काल में क्योंकि अंग्रेजों को लेकर हमारा समाज उदासीन था इसलिए हम इस शब्द का मूल अर्थ नहीं समझ सके और ना ही यह जान सके कि अंग्रेज हमें गाली दे रहे हैं। अब यदि कांग्रेस 'भारत' शब्द का विरोध कर रही है तो वह स्वाभाविक है। दरअसल इस पार्टी की स्थापना एक अंग्रेज ने की थी। जिनका नाम था

ए ओ ह्यूमन। अंग्रेज तमाम स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी के कारण भारत छोड़ने को तैयार हो गए, मगर कांग्रेस के माध्यम से, उन्होंने सत्ता पर अपना प्रभाव बनाए रखा। विडंबना यह है कि देश के संविधान में भी इंडिया शब्द इस्तेमाल किया गया बाकी काम तो कांग्रेस सरकारों ने पूरा कर दिया। उन्होंने सरकारी स्कूल ध्वज किया, हिंदी और संस्कृति को ध्वज किया ,सिर्फ अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों पर जोर दिया। निजी स्कूलों को आगे बढ़ाया और देश के मिशनरियों को पनपने का पर्याप्त मौका दिया। इन सबसे हमारे समाज में 'इंडिया' शब्द बना रह गया। भारत के लिए आंदोलन पिछले कुछ समय से शुरू हुए जैन गुरु ने प्रखरता से इस मुद्दे को रखा, उन्होंने हर सत्संग में भारत नाम के उद्देश्य की व्याख्या की। सद्गुरु भी प्रमुखता से भारत शब्द के उद्भव को समझाने का अनवरत प्रयास करते रहे, संघ प्रमुख मोहन भागवत जो लंबे समय से देश को भारत कहा जाए, इस विषय पर अपने विचार रखते आए। अब जब राष्ट्रपति भवन द्वारा जी-20 के निमंत्रण पर 'भारत' शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो यह जरूरी है 'इंडिया' शब्द के अर्थ को जानते हुए इसे संविधान में नहीं रखा जाना चाहिए। भाजपा के पूर्व मीडिया प्रभारी डॉ लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने कहा कि भारत को 'इंडिया' नाम को मिटाना होगा।●

अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रहा काफी ऐतिहासिक

● अरविंद मिश्रा

दिनांक 27 अगस्त नवादा के लिए काफी ऐतिहासिक दिन रहा, जब नवादा के टाउन हॉल में चौथा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में नवादा के उभरते हुए युवा कलाकार और गुदड़ी के लाल,जन,जन का प्यारा राहुल वर्मा जी के प्रयास से बॉलीवुड के जाने-माने हस्ती अखिलेंद्र मिश्रा जी, सत्यकाम आनंद, श्र,ठतापकाछ,भ्पस अमेरिका के जाने माने स्टार, और ट्रे सी एन0 बीपचंस, जो कैलिफोर्निया की रहने वाली और फिल्मी जगत के महिला सुपरस्टार डायरेक्टर, और इसके साथ ही बिहार सरकार के कला संस्कृति मंत्री, जितेंद्र राय जी, गोविंदपुर के विधायक और लोकप्रिय नेता मो0 कामरान जी सहित, काफी संख्या में जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, पत्रकार, प्रबुद्ध वर्ग की उपस्थिति देखने लायक थी, सारण जिला के रहने वाले अखिलेंद्र मिश्रा जिन्होंने सैकड़ों फिल्मों में उनकी कला की धूम रही है, बॉलीवुड जगत में उनकी एक खास पहचान है, हिंदुस्तान का शायद ही कोई बच्चा अखिलेंद्र मिश्रा जी को नहीं जानता होगा, क्योंकि चंद्रकांता सीरियल में उनका बड़ा ही भयानक यक्कू का रोल आज भी जनमानस में सदा यादगार बना रहता है, अखिलेंद्र मिश्रा सहित बॉलीवुड के जाने-माने हस्तियों को एक साथ नवादा के टाउन हॉल में प्रवेश करना विश्वास ही नहीं हो रहा था, इन बॉलीवुड के कलाकारों को देखते ही नवादा वासियों ने भी तालियों की गड़गड़ाहट और पुष्प से उनका अभिवादन और स्वागत किया, कार्यक्रम और ज्यादा खास हो गया जब बिहार सरकार के कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र राय जी, गोविंदपुर विधानसभा के विधायक और जनप्रिय नेता मो0कामरान जी भी इस भव्य अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लिए, कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार के कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र राय, गोविंदपुर के विधायक मो0 कामरान जी, बॉलीवुड के महान हस्ती अखिलेंद्र मिश्रा, राहुल वर्मा और वालीबुड से आए हुए जाने-माने सभी कलाकारों के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, कार्यक्रम के आयोजक और डायरेक्टर राहुल वर्मा जी और उनके टीम के द्वारा

माननीय कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र राय जी, विधायक कामरान जी, और बॉलीवुड के सभी कलाकारों को पुष्प गुच्छ, और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया, वही विधायक कामरान जी ने भी बिहार सरकार के मंत्री जितेंद्र राय जी को और अखिलेंद्र मिश्रा सहित सभी को पुष्प गुच्छ और अंग वस्त्र देकर अभिनंदन और स्वागत किए, इस कार्यक्रम में यह भी देखने को मिला भारत की जो परंपरा रही है, अतिथियों को स्वागत करने का, अभिनंदन करने का बहुत ही सराहनीय रहा, क्योंकि सभी अतिथियों को चंदन और कुमकुम अक्षत लगाकर और पुष्प की वर्षा करते हुए किया गया,वही श्रृजन के टीम के द्वारा आगत अतिथियों को स्वागत गीत से हुआ, नवादा के प्रतिभाओं ने भी सुंदर-सुंदर गीत और नृत्य के साथ ही छोटे बच्चों का भी कई प्रस्तुति मन को मोह लिया, बिहार सरकार के कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र राय जी ने अपने संबोधन में कहा कि,कार्यक्रम के आयोजन और डायरेक्टर राहुल वर्मा जी को बहुत बधाई और आशीर्वाद, क्योंकि इस युवा और गुदरी के लाल ने, अपने अदम्य साहस, और मेहनत से इतने बड़े-बड़े बॉलीवुड के कलाकारों को नवादा के धरती पर लाकर दिखा दिए जिससे नवादा का ही नहीं बिहार को भी सम्मान बढ़ा है, राहुल वर्मा जी युवा वर्गों के लिए मिसाल है, राहुल वर्मा के द्वारा नवादा के टाउन हॉल में अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन के लिए बहुत बधाई और मंत्री महोदय ने बॉलीवुड के सभी कलाकारों को भी आभार प्रकट किया कि जो आप सब नवादा के धरती पर आकर नवादा का गौरव बढ़ाए हैं, मैं भी बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी से फिल्म फेस्टिवल को और भी बढ़ावा देने के लिए और सहयोग देने के लिए प्रयास करूंगा, वही गोविंदपुर के विधायक कामरान जी ने अपने संबोधन में कहा कि नवादा जिला में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, नवादा की धरती कला के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल की क्षेत्र में, सदा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है, लेकिन प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए बिहार सरकार को मदद करने की आवश्यकता है, आपकी और भी प्रतिभाएं आगे बढ़े जिससे बिहार का भी सम्मान बढे, और माननीय मंत्री जी आप नवादा की धरती पर आए

और इन प्रतिभाओं को इतनी गंभीरता से देखें और हर सहयोग करने के लिए अपने जो आश्वासन दिया इसके लिए हम आपका बधाई और अभिनंदन करते हैं, निवेदन भी करते हैं कि नवादा को प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए सरकार अधिक से अधिक मदद करें, इसके साथ ही विधायक कामरान जी ने कहा कि मैं राहुल वर्मा जी का बधाई देता हूं जिन्होंने अपने दम पर नवादा को सम्मान बढ़ाने का जो कार्य किए हैं, और मेरा हर संभव प्रयास होगा कि नवादा के प्रतिभाओं को सदा पुष्पित और पल्लवित करता रहूंगा, राहुल वर्मा आगे बढ़े सदैव तन मन धन से मेरा सहयोग रहेगा, वही बॉलीवुड के महान कलाकार अखिलेंद्र मिश्रा ने भी अपने संबोधन में नवादा की धरती को प्रणाम करते हुए कहा कि यह धरती बहुत ही ऊर्जावान है, नवादा की धरती सूफी, संतों की धरती है, वही राहुल वर्मा जैसे उभरते कलाकार की धरती है, मुझे नवादा बहुत प्रिय है, और सौभाग्य है कि मैं नवादा में दो दफा आ चुका हूं, वैसे मैं भी बिहार की धरती से हूं और बिहारी होने पर मुझे गर्व है, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव करवाने के लिए राहुल वर्मा जी को उनके पूरे टीम को बहुत बधाई दिए, उसके साथी कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र राय जी को और गोविंदपुर के विधायक काम रान जी को भी बहुत बधाई दिए, उन्होंने कहा की बिहार सरकार के कला संकृति मंत्री, बिहार के कलाकारों के प्रति उनका सम्मान है, और कई ऐसे अवसर और कार्यक्रमों में, मैं और मंत्री जी की उपस्थित रहे, इस बात की खुशी और गर्व है कि बिहार सरकार के माननीय मंत्री हमारे ही जिला के हैं और माननीय मंत्री जी की भावना कलाकारों को बॉलीवुड में अधिक से अधिक भागीदारी मिले ,इसके लिए इनका प्रयास रहता है, आम जनता के आग्रह पर अखिलेंद्र मिश्रा जी ने चंद्रकांता के यक्कु डायलॉग से सभी के दिल को उन्होंने जीत लिया, और उपस्थित जन समुदाय ने भी उनका तालिया से खूब स्वागत और अभिनंदन किया, वही सत्यकाम आनंद जी ने भी बॉलीवुड में अश्लीलता के सुधार पर अपनी बहुत सारी बात रखी, खास करके भोजपुरिया के कुछ कलाकारों के द्वारा अश्लीलता से शर्मशार हो रहे बॉलीवुड पर उन्होंने चिंता व्यक्त की और इस पर सुधार के लिए माननीय मंत्री जी का भी ध्यान आकृष्ट किया गया, फिर इस अंतरराष्ट्रीय फिल्म उत्सव कार्यक्रम में माननीय मंत्री जितेंद्र राय जी, माननीय विधायक कामरान जी कार्यक्रम के आयोजक और डायरेक्टर राहुल वर्मा जी के द्वारा सैकड़ों

विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले, पत्रकार हो,या समाजसेवी हो कलाकार हो, जनप्रिय नेता हो , या अधिकारी सभी को पुष्प गुच्छ अंग वस्त्र ,और शील्ड देकर सम्मानित किया गया, वही जाने माने अंतर्राष्ट्रीय कलाकार J Baidam Hil के भी कई डायलॉग पर खूब तालियां बजीं, नवादा के लिए यह बहुत ही सौभाग्य था जिन बॉलीवुड के कलाकारों को पर्दे पर देखे थे, उनको लोग इतने नजदीक से देखकर उन सभी कलाकारों के साथ खूब फोटो खिंचवाए, फिर मंच पर फोटोशूट कार्यक्रम की धूम मच गई, यह बड़ा अवसर था जब अंतरराष्ट्रीय स्तर के कलाकारों का आगमन और फिर फोटो उनके साथ नहीं हो यह कैसे हो नही सकता है, बॉलीवुड के कलाकारों का खूब स्वागत नवादा के धरती पर हुआ, पुलिस भाई और बहनों ने भी उनका खूब स्वागत किया, अभिनंदन किया और खूब फोटो भी साथ-साथ लिए, बॉलीवुड के कलाकारों ने भी पूरी उदारता और खुशी के साथ फोटो खिंचवाए, सभी को बॉलीवुड के कलाकारों ने नवादा वासियों को इस अथाह प्यार सम्मान के लिए शुभकामना दिए, जो हो लघु फिल्मों के द्वारा ही राहुल वर्मा ने अपने कामयाबी का इतिहास लिख दिया, क्योंकि इतने बड़े-बड़े सुपरस्टार बॉलीवुड के कलाकारों को लाकर दिखा दिया कि जिसके पास अदम्य साहस हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो, उसके पास समुद्र भी आएगा, आसमान भी झुक सकता है, 27 अगस्त नवादा के लिए एक खास दिन और एक यादगार दिन, जिसे भुलाया नहीं जा सकता है, अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के सफलतापूर्वक समापन के लिए राहुल वर्मा जी ने सबसे ज्यादा गोविंदपुर के विधायक कामरान जी को आभार प्रकट किया, उन्होंने अपने संबोधन में कहा की एक अभिभावक की तरह जो माननीय विधायक जी ने मुझे हिम्मत दी और जो सहयोग किया उसके लिए सदैव माननीय विधायक जी का आभारी हूं, इसके साथ ही उन सभी नवादा के दधीचि की तरह जिनके सहयोग और प्यार रहा है उसे नहीं भूल सकता हूं, क्योंकि यह कार्यक्रम की सफलता और इससे प्रकाश पंजों के वजह से हुआ , जिन्होंने तन मन धन देकर मेरा हौसला को बढ़ाया, अभिभावक तुल्य संतोष भट्ट जी को और उन सभी अभिभावकों को भी और प्रशासन को भी मैं आभार प्रकट करता हूं ,पत्रकार बंधुओ बुद्धिजीवियों को भी आभार प्रकट करता हूं,और नमन करता हूं जिनका आशीर्वाद मुझे मिला है, और सबसे ज्यादा जो मुझे हिम्मत दिया वह हमारे पिताजी हैं, आगे राहुल वर्मा ने कहा अगर इसी तरह से आपका सहयोग और प्यार मिला तो सदैव नवादा के सम्मान आगे बढ़ने का मैं प्रयास करता रहूंगा,और नवादा वासियों ने पूरी उदारता के साथ राहुल वर्मा को आगे बढ़ाने के लिए शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया, ठीक ही कहा गया है, 'कौन कहता है हो नहीं सकता है आसमान में सुराख, एक पत्थर तो दिल से उछालो यारो'। ष्सभा का संचालन विजय शंकर पाठक और श्रवण कुमार वर्नवाल ने किया।●